खण्ड-309, अंक-3
गुरूवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1896
(11 जुलाई, 1974 ई0)

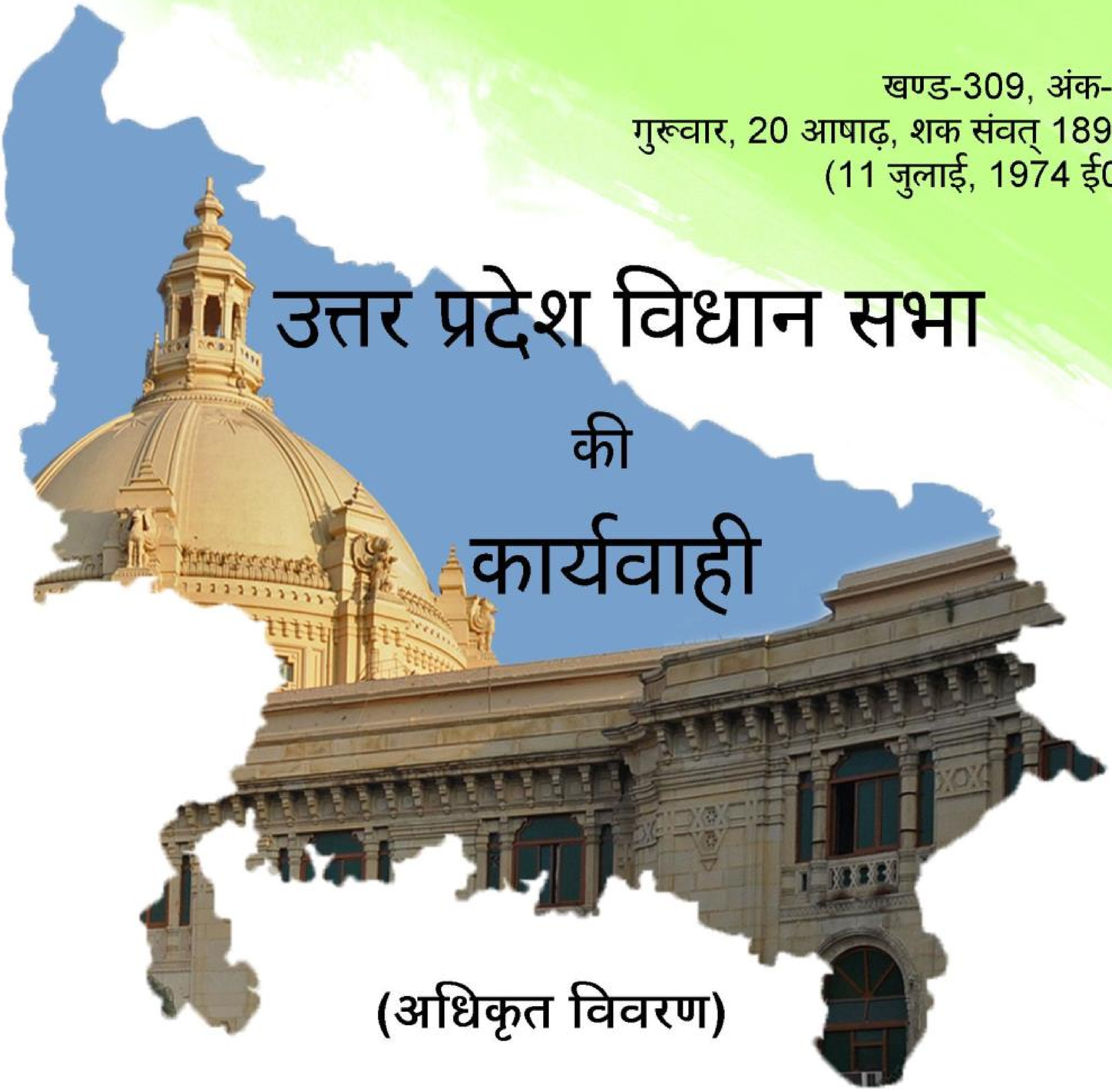

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९३

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मू० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ महरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल श्री, (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलररहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांक लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
ममताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
महम्मद असरार अहमद, श्री
महम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)

रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द, एडवोकेट
राम रती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरुप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती

शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भल्लई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेई, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री उर्फ नब्बन
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ जुलाई, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री भैयालाल, निवासी चौरा दलगजनपुरवा, हरदोई की थाना टड़ियावा में पिटाई से मत्यु

**१---श्री अंगने लाल (जिला हरदोई) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के थाना टड़ियावा निवासी, चौरा दलगजनपुरवा श्री भैयालाल को दिनांक १३ जून, १९७४ को पुलिस ने इतना मारा कि थाने में उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १३ जून, १९७४ को पुलिस को यह सूचना मिली कि चार डकैतियों में वांछित अभियुक्त भैयालाल अपने गांव चौरा में आया हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने दविश दी। पुलिस को देखते ही भैया लाल ने अपनी बन्दूक से फायर किया। उसके फायर से अपने को बचाते हुए पुलिस तथा गवाहों आदि ने आवश्यक बल प्रयोग करके उसे मय बन्दूक के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसे चोटें आयीं। इन चोटों के फलस्वरूप थाने ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी।

इस सम्बन्ध में भैया लाल के विरुद्ध थाना टडियावा पर एक मुकदमा धारा ३०७ भारतीय दंड विधान एवं २८ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किया गया। भयालाल के पिता रामसेवक ने दिनांक १४ जून, १९७४ को थाना कोतवाली जिला हरदोई में पुलिस के विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट दी जिसके आधार पर धारा ३०४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दज हुआ। दोनों मुकदमों की विवेचना हो रही है। इस मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा भी जांच की जा रही है।

श्री अंगने लाल---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मृतक मेवालाल को जिस समय गिरफ्तार किया गया, उसके शरीर में कितनी चोटें आयीं और किस समय उसकी मृत्यु हुई?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, उसके जिस्म के ऊपर १५---२० चोटें आयीं। ८ मल्टिपुल इंजुरीज एक हैं और ७ मल्टिपुल इंजुरीज एक हैं, इस प्रकार १५ चोटें आयीं।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १४ जून, १९७४ को जो मृतक के पिता ने रिपोर्ट लिखाई वह किन-किन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ थी और उनके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय---

इसी पर मजिस्टीरियल जांच हो रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, ३०४ [की] रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें लिखा है कि फलां-फलां लोगों ने उसे मारा है। श्रीमन, आज इतने दिन हो गए हैं, उत्तर तो आ गया है लेकिन किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने में ये असमर्थ हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक उनके सस्पेंशन आदि की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, उनके सस्पेंशन की कार्यवाही का प्रश्न कहां उठता है। पुलिस में डकैती के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट लिखाई गई तथा इससे सम्बन्धित जो अन्य चीजें हैं उसकी जांच मजिस्ट्रेट कर रहा है। जांच के बाद ही कार्यवाही की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरीग-ढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कन्फ्यूज कर रहे हैं और इमेज से कह रहे हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ३०४ का मुकदमा थाने में दर्ज किया गया तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि ३०४ को मुकदमा किस-किस मुल्जिम के खिलाफ दर्ज हुआ और उनको अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, दरोगा उनके साथ और एक कांस्टेबल तीन आदमी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही होगी लेकिन तब तक उनके खिलाफ से कोई कार्यवाही की जाय जब तक कि प्राइमा फेसी न हो जाय।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मृतक का जो पोस्ट-मार्टम हुआ था उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, काज आफ डेथ जो लिखा है उसमें शाक ऐंड हेमरेज एंड आल सौर्ट्स आफ इंजुरीज है।

अर्थात् सभी चोटों के सम्मिलित प्रभाव से जो असर हुआ उससे मौत हुई।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस मामले में दो तरफा रिपोर्ट हुई है और आपने मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी बिठाली है, इससे सन्तोष नहीं होता है जैसे आज क मैजिस्ट्रेट हैं, तो क्या आप इसको सी०आई०डी० को भी सौंपन जा रहे हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

अभी मैजिस्ट्रेट की जांच के बावजूद कोई ऐसी-वैसी बात न हो तो इसका प्रश्न नहीं है। जबतक मैजिस्ट्रेट स्वयं न कहे या स्वयं सरकर को इस बात का शक हो कि कहीं कुछ कमी है, तभी ऐसा किया जा सकता है। हम तो मैजिस्ट्रेट की जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसमें देखेंगे उसने कोई कमी तो नहीं रखी है, रह जाएगी तो सोचेंगे।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

किस तरह के आले, किस तरह के वीपंस से चोट लगी, आपसे यह पूछा गया था कि पोस्ट-मार्टम में क्या निकला। तो चोटें किस प्रकार की लगी हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

Multiple contusions in an area of 25 Cm.×10 Cm. on left arm on posperio-laterial aspect.

(2) Multiple contusions in an area of 22 Cm. on left fore-arm and hand back.

(3) Contusion 8 Cm.×4 Cm. on left knee-cap.

(4) Contusions 6 Cm.×2 Cm. on left skin in middle.

(5) Contusions over laping 7 Cm.×6 Cm.

चौधरी चरण सिंह—

वह चोटें कैसे लगीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

बाई ब्लन्ट वीपन ।

चौधरी चरण सिंह—

वह कम्ट्यजन कैसे पैदा हुआ ?

श्री राज मंगल पांडेय—

वह तो बाई ब्लन्ट वीपन से ही होता है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मंत्री जी ने गोविन्द सिंह के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो नामजद थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उनका नामजद किया जाना ही काफी नहीं है जबतक साथ ही अन्य प्रूफ न हों, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी कत्ल के मुकदमें में जो नामजद हैं उसको तय करने का अधिकार अदालत को है या पुलिस को है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इसमें पुलिस अधिकारी को है । यदि ऐसा होन लगे तो कोई भी आदमी रंजिश में किसी का नाम लिखा दे और उसके खिलाफ कार्यवाई हो जाय । इसलिये यह है कि कुछ न कुछ शहादत मिल जाय तो हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

१३–६–७४ के पहले मृतक के खिलाफ किस धारा के मकदमें पुलिस ने दर्ज कर रखे थे, जिसके कारण पुलिस उसकी तलाश कर रही थी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इसके खिलाफ ४ डकैती के केसेज थे । नम्बर १, मु०अ०स० ५१७, धारा ३९५/३९७, (२) म०अ०स० २१७/१३, धारा ३९६, (३) मु०अ०स० २६७/७३, धारा ३९५/३९७ और नम्बर (४) मु०अ०स० ११८/७४, धारा ३९५/३९७ ।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

ये जो ४ डकैतियां थीं, ये उसी थाने की थीं या किसी और थाने की भी थीं, और क्या इस कांड के पहले उसकी गिरफ्तारी की कोई कार्यवाई या धारा १८७/८८ की कार्यवाही की गई थी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

३ केस थाना टडियांवा के और एक केस थाना कोतवाली का था । इनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास नहीं है कि क्या कार्यवाही पहले की गई थी ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

यह इतनी गम्भीर धारायें थीं और भागने दौड़ने में चोटें लग सकती हैं, तो ऐसे संगीन अपराधी के विरुद्ध धारा ३०४ का मुकदमा पुलिस ने कैसे दर्ज किया ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मुझे दुख है कि माननीय सदस्य समझ नहीं सके । ३०७ का मुकदमा दर्ज कराया था दरोगा ने क्योंकि फायर किया था । सिपाहियों पर और उन पर । उसके खिलाफ ३०७ का मुकदमा कायम हुआ । उसके पिता ने पुलिस, थानेदार और सिपाहियों आदि के खिलाफ रिपोर्ट किया उसमें ३०४ का मुकदमा कायम हुआ ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक की उम्र उस समय क्या थी, क्या यह सही है कि उस मृतक की उम्र १५ वर्ष थी ? मेरे हाथ में स्कूल सर्टिफिकेट है उस लड़के का ।

श्री राज मंगल पांडेय---

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो है उसके कालम में---प्राबेबिल एज ३० इयर्स है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

पुलिस इसके योग्य नहीं है कि प्रशासन कर सके न सरकार इस योग्य है कि प्रशासन कर सके । यह बनाया हुआ नहीं हो सकता । यह सर्टिफिकेट है प्राथमिक स्कूल का । उसमें उसका ब्योरा लिखा है । भैयालाल, आत्मज श्री रामसेवक, जन्म तिथि ३-१-५९ मिल कर डाक्टर से, वहां के अधिकारियों से मिल कर (व्यवधान एवं शोर) हजार बार लानत है ऐसी सरकार को (शैम-शैम) की आवाजें वह बन्दूक चलायेगा, वह बन्दूक चलायेगा उस दरोगा पर जो हाथ से ठोकर दे तो गिर जाय, जिसकी १५ वर्ष उम्र है । सरकार को लज्जा आनी चाहिये ऐसे अफसरों की वकालत करती है । हजार बार लज्जा आनी चाहिये ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

उस लड़के को पकड़ कर लाया गया, और थाने में बन्द रखा गया । उसको मारा गया । रात भर चिल्लाता रहा ....

श्री राज मंगल पांडेय---

चूंकि सरकार के ऊपर बात कही गयी है मैं विरोध प्रकट करता हूं । यह मान लें कि १५ वर्ष का आदमी अपराध कर ही नहीं सकता ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

माननीय सदस्य यहां हरदोई के है । उनकी जानकारी है । उस बच्चे को थाने लाया गया, और थाने में इतना मारा गया कि वह रात भर चिल्लाता रहा । उसने कहा कि मेरे मुंह से खून आ रहा है हमें अस्पताल भेज दो । लेकिन अस्पताल नहीं भेजा गया । आवश्यकता इस बात की थी कि उसको अस्पताल भेज देते तो डाइंग डिक्लेरेशन होता । डाइंग डिक्लेरेशन न होने पाये इस लिये अस्पताल नहीं भेजा । माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर क्या इस बात की जानकारी करेंगे कि उस लड़के की मृत्यु थाने में ही हुई और वहीं पर वह मारा गया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

उसकी जांच मैजिस्ट्रेट कर रहा है जो दोनों मुकदमें है, जो फैसला होगा देख कर कार्यवाही की जायगी ।

तरांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

श्री राजकुमार धोबी, निवासी कुचला, जिला हरदोई की गोली लगने से हत्या

चौधरी चरण सिंह--

क्या यह सही है कि हरदोई जिले के थाना हरपालपुर के ग्राम कुचला निवासी श्री हेम नाथ धोबी के लड़के की दिनांक ९ मई, १९७४ को गोली मार कर हत्या कर दी गई और मृत्यु घटनास्थल पर हो गई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और कितनी गिरफ्तारियां की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९-५-७४ की शाम को मैकू धोबी निवासी ग्राम कुचला जिला हरदोई ने थाना हरपालपुर पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी दिन गांव में एक ठाकुर की शादी का कसौड़ा ११ बजे दिन में हो रहा था जहां लोग गोले दगा रहे थे तथा बन्दूक के फायर कर रहे थे और किसी की बन्दूक की गोली लगने से उसके भतीजे राजकुमार (पुत्र हेम नाथ) जो कसौड़ा देख रहा था की मृत्यु हो गयी । इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३०४ का भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया । विवेचना से प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है । इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिये जाने के लिये शासन द्वारा आदेश दे दिये गये हैं ।

थाना महानगर, लखनऊ के आर्म्ड पुलिस में हेड कांस्टेबिल के विरुद्ध किरायेदार की पत्नी को पीटने की शिकायत

*२--श्री भीखा लाल, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, (जिला बाराबंकी), श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या यह सत्य है कि ६ जून, १९७४ को थाना महानगर, लखनऊ के मुहल्ला भिन्डिया टोला में आर्म्ड पुलिस के एक हेड कांस्टेबिल ने रात्रि में एक मकान में घुसकर अपने किरायेदार की पत्नी को उसके पति की अनुपस्थिति में बुरी तरह मारा, उसके कपड़े फाड़ डाले तथा उसे बेइज्जत करने का प्रयास किया, जिसकी रिपोर्ट उक्त थाने में उसी रात्रि के ००.४५ बजे दर्ज हुई ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है, इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

दिनांक ७-६-७४ को श्रीमती अमरदेवी सिंह निवासिनी मुहल्ला भिन्डिया टोला, चांदगंज ने थाना महानगर में इस आशय की सूचना दी कि जगमोहन प्रसाद हवलदार (हेड कांस्टेबिल, आर्म्ड पुलिस) तथा उसकी स्त्री ने दिनांक ८-६-७४ को करीब ९ बजे रात्रि में उन्हें गालियां दी और डंडे से मारा और साथ ही मकान न खाली करने पर जान से मारने की धमकी दी । इस सूचना पर थाने पर धारा ३२३/५०४/५०८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट अंकित हुई । मामला गैर-दस्तन्दाजी था फिर भी एक सब-इंस्पेक्टर को भेजकर जांच करायी गयी तो मालूम हुआ कि मकान मालिक श्री जगमोहन प्रसाद की स्त्री व वादिनी में कुछ मामूली झगड़ा व

मार-पीट हुई थी और दोनों औरतों को मामूली चोटें आई थीं। आर्म्ड पुलिस के हेड कान्सटेबिल द्वारा मकान में धुसकर किरायेदार की पत्नी को मारने, कपड़ा फाड़ने व बेइज्जत करने की बात सत्य नहीं पाई गई। यह घटना मकान का किराया बढ़ाने के सिलसिले में हुई थी।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूचना है वह जबानी लिखी गई है या तहरीरी है और वह क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, ३०३,४०५ और ४०६ में रिपोर्ट दर्ज है यदि आज्ञा हो तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हेड कान्सटेबिल के खिलाफ जो रिपोर्ट हुई है उसकी उसी थाने के थानेदार ने जांच की है या किसी और ने ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह तो नान काग्नीजेबिल अफेन्स था इसलिये जांच का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हेड कान्सटेबिल का मामला था इसलिये सब इंस्पेक्टर को भेज दिया। उसको मालूम हुआ कि यह सब बात गलत थी और किराये की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ था।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, न तो सब इंस्पेक्टर ने उस स्त्री का बयान लिया न उसके पति का बयान लिया और न उन गवाहों के बयान लिये जिनके नाम उसने लिखाये थे तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट सुन लें तो फिर किसी बात की जरूरत नहीं होगी। यह नान काग्नीजेबिल अफेन्स है और यह मामूली धारा है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

मंत्री जी ने कहा है कि यह नान काग्नीजेबिल आफेन्स है जबकि घर में घुस कर मार-पीट हुई तो यह कैसे क्रिमिनल ट्रेस पास नहीं है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, रिपोर्ट के आधार पर ही तो जुर्म बनेगा या किसी और आधार पर बनेगा। वादिनी की रिपोर्ट यह है कि वादनी ने बयान किया है मैं व मुलजिम उपरोक्त एक ही मकान मालिक के किरायेदार थे परन्तु अरसा करीब दो साल हुआ जब मकान मालिक मुर्ली ठेकेदार जिन्दा थे मुलजिम उपरोक्त ने अपने नाम मकान लिखवा लिया तथा मुझसे किराया मकान लने लगे अब मुलजिम उपरोक्त कहते हैं कि किराया बढ़ा दो नहीं तो मकान खाली कर दो उसी बिने पर जब मैं आज "बढ़ते कदम" देख कर आये तो मुलजिम उपरोक्त मुझे डंडे से मारने लगे और गाली-गुप्ता देने लगे मकान खाली कर दो नहीं तो जान से मार दूंगा। जो लिखाया लिखा-सुना ठीक है। दस्तखत बनाती हूं। दस्तखत अमरदेवी सिंह।

अमरहट पम्प कैनाल योजना, कानपुर के सम्बन्ध में शोषित समाज दल द्वारा सत्याग्रह

*३--श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुखरायां (भोगनीपुर) तहसील में शोषित समाज दल की ओर से अमराहट पम्प कैनाल योजना चलाओ सत्याग्रह दिनांक

८ जून, १९७४ से चालू है ? यदि हां, तो उसमें अब तक कितने लोग गिरफ्तार किये गये और सरकार ने सत्याग्रह को समाप्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पांडेय---

कानपुर जिले की पुखरायां, भोगनीपुर तहसील में शोषित समाज दल की ओर से अमराहट पम्प कैनाल योजना के सम्बन्ध में ८ जून, १९७४ से सत्याग्रह चल रहा है । इस आन्दोलन के सिलसिले में दिनांक ६ जुलाई, १९७४ तक कुल ७४४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है । जिलाधिकारी, कानपुर ने भोगनीपुर तहसील की जनता से अमरहट पम्प कैनाल योजना की स्थिति स्पष्ट करते हुये सत्याग्रह समाप्त करने की अपील की है ।

श्री रणधीर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शोषित समाज दल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह के सम्बन्ध में उन्होंने इस सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए उक्त दल के विधायक अथवा राज्य अधिकारी से कोई बात की या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

प्रश्न समझ नहीं सका ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न समझा नहीं ।

श्री रणधीर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शोषित समाज दल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह के सम्बन्ध में शोषित समाज दल के विधायक अथवा शोषित समाज दल के राज्य अधिकारी में से किसी से इस सत्याग्रह को समाप्त करने के लिये कोई बात की या नहीं की ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह जरूर है कि शोषित समाज दल के जो नेता हैं वही इस सत्याग्रह को चला रहे हैं। उनका कहना है कि पम्प योजना चालू की जाये । हमारा कहना है कि उसके लिये बिजली उपलब्ध नहीं है। वह कहते हैं दीजिए, हम कहते हैं कि हमारे लिये समस्या है । यही झगड़ा है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सत्याग्रह को समाप्त करने की अपील की है तो कौन सी स्थिति स्पष्ट की है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, भोगनीपुर क्षेत्र की जनता के नाम से निकला है मैं उसको पढ़े देता हूं।

भोगनीपुर क्षेत्र की जनता के नाम सन्देश

कानपुर जिले की भोगनीपुर तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा अमरहट पम्प नहर परियोजना के प्रथम चरण का कार्य आरम्भ किया जा रहा है । इस परियोजना के सम्बन्ध में उस क्षेत्र की जनता द्वारा इस समय आन्दोलन किया जा रहा है जो कि सम्भवतः प्रस्तावित योजना की सही रूपरेखा की जानकारी न होने के कारण है । इस योजना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना इस क्षेत्र की जानकारी के लिये दी जा रही है ।

अमरहट पम्प नहर के द्वारा यमुना नदी से जल पम्प व निकटवर्ती क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इस योजना का कार्य दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है । पहले

चरण म यमुना सुनाव नाले के बीच स्थित खाकी क्षेत्र में लगभग १२,००० एकड़ भूमि को प्रति वर्ष सिंचाई सुविधा दी जायगी । इस क्षेत्र में इस समय कोई भी राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस चरण के लिये लगभग १,००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी । योजना के दूसरे चरण में पम्प नहर को आगे बढ़ाकर भोगनीपुर शाखा के सिकन्दरा रजबहे में मिलाया जाना प्रस्तावित है । जिससे भोगनीपुर शाखा से सिंचित क्षेत्र में प्रथम चरण से कई गना अधिक बिजली की आवश्यकता होगी । परियोजना के दूसरे चरण में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है । और उसके पूर्ण होते ही उसका प्रोजेक्ट शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जायगा ।

इस प्रदेश में विद्युत शक्ति का महान संकट है । प्रथम चरण के लिये तो शक्ति उपलब्ध हो जाने का अनुमान है परन्त द्वितीय चरण के लिये इतनी अधिक शक्ति के तुरन्त उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

अतः इस क्षेत्र की जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुये इस समय हो रहे आन्दोलन का कोई औचित्य नहीं है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सत्याग्रह चल रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ भ्रम पैदा हो गया है, सत्याग्रही लोगों को या सरकार को । तो क्या इसको समाप्त करने के लिये सत्याग्रह के संचालकों से सत्याग्रह को समाप्त करने के लिये कोई वार्ता करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

हमने तो स्थिति स्पष्ट कर दिया । हम वार्ता करने के लिये तैयार हैं लेकिन सत्याग्रह के रहते हुए नहीं ।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनमें कितने नाबालिग हैं और उनमें से कितनों को माफी मंगवा कर छोड़ दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो प्रश्न नहीं है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

मान्यवर, एक प्रश्न और करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---

वह आप बाद में कह दीजियेगा ।

स्वतंत्रता सेनानी श्री गंगाधर गुप्त को खाला बाजार लखनऊ में अल्प संख्यकों द्वारा पीट जाने की शिकायतें

*४---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि ६ जून, १९७४ को लखनऊ स्थित खाला बाजार थाना क्षेत्र म स्वतंत्रता संग्राम सैनिक श्री गंगाधर गुप्त को अल्प संख्यक वर्ग के कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा तथा थाने (खाला बाजार) में पकड़ ले गये जहां पुलिस ने भी उन्हें अपमानित किया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों एवं पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि श्री गंगाधर ने पीटे जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट थाने में अंकित कराई थी या संबंधित आरक्षी अधीक्षक को पत्र लिखा था और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, कई पत्र भेजे गये । एक पत्र तो राम किशोर, जो महामंत्री हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी हैं उन्होंने बहुगुणा जी को संबोधित करके लिखा है । यह १० जून, १९७४ का पत्र है । दूसरा पत्र गंगाधर गुप्त ने ९-६-७४ को बहुगुणा जी को संबोधित करके लिखा है । इसके अलावा वहां के पुलिस अधीक्षक को भी इन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया था और जिसके संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, चौक से जांच कराई थी ।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस-जिस पत्र का हवाला उन्होंने दिया, उस संबंध में कौन-सी घटना का विवरण उस पत्र में दिया गया है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

श्री गुप्ता के मारे-पीटे जाने के बारे में यह घटना है । एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में है । अगर आदेश हो तो दोनों पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष--

सारांश बता दें ।

श्री राज मंगल पांडेय--

सारांश तो मान्यवर, मैंने पढ़ दिया है ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है । तो मान्यवर, देबारा सी० आई० डी० या अन्य एजेंसी द्वारा इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, चोटों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है और न ही कोई मेडिकल रिपोर्ट है । इसकी जांच सी० ओ० चौक ने की । उन्होंने कहा कि जमीन का झगड़ा था । आपस में यह चीज हुई मारने-पीटने की बात गलत है ।

श्री चन्द्रभान महेश्वरी पर जिला जालौन के राजमार्ग पर कातिलाना हमला तथा अस्पताल में डाइंग डिक्लेरेशन न लिया जाना

*५--श्री त्रिवेणी सहाय तथा चौधरी चरण सिंह--

क्या यह सही है कि २२ अप्रैल, १९७४ को उरई, जिला जालौन के मुहल्ला विजय नगर के राजमार्ग पर श्री चन्द्र भान महेश्वरी पर कातिलाना हमला किया गया और जब मरणासन्न अवस्था में उसको अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी नहीं लिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त काण्ड का सम्बन्ध में महेश्वरी के बड़े भाई ने प्रदेश के

मुख्य मंत्री, पुलिस अधिकारियों को कोई शिकायती-पत्र भेजते हुये सूचित किया था कि कथित हमलावर भू० पूर्व विधान सभा सदस्य श्री स्व० राज नारायण मिश्र के सरकारी गवाह का छोटा भाई है ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मोहल्ला विजयनगर, उरई, जिला जालौन राजमार्ग पर महेश्वरी ट्रांस्पोर्ट के श्री चन्द्र भान महेश्वरी को दिनांक २२–४–७४ की रात में तमंचे से फायर करके घायल किये जाने की लिखित नामजद सूचना उसी रात थाना कोतवाली, उरई पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा ३०७, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। इस मकदमे की विवेचना पुलिस उप अधीक्षक, हमीरपुर कर रहे हैं।

२—श्री चन्द्रभान महेश्वरी का डाइंग डिक्लेरेशन न लिखे जाने के लिये सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

३—श्री चन्द्रभान महेश्वरी के बड़े भाई श्री प्रेम प्रकाश महेश्वरी का एक प्रार्थना-पत्र शासन को मई, १९७४ के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य शिकायतों के साथ यह भी लिखा गया था कि हमलावर भूतपूर्व सदस्य विधान सभा स्व० श्री राज नारायण मिश्र हत्या काण्ड के सरकारी गवाह का छोटा भाई है।

चौधरी चरण सिंह—

क्या यह सही है कि पहले इसकी विवेचना उप-पुलिस अधीक्षक, सिविल पुलिस से लेकर सी० आई० डी० को सुपुर्द की गई ? अगर हां, तो क्यों, जबकि सीधा सादा मामला था, रोजाना इस प्रकार से जुर्म होते हैं जिनकी सिविल पुलिस जांच करती है, तो बीच में सी० आई० डी० को सुपुर्द क्यों की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इस संबंध में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बहुत बड़ा विवाद चला। जब इसकी हालत इतनी चिन्ताजनक थी। इस मामले को लेकर सरकार ने बहुत गम्भीर रुख लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रोसीजर १–४–७४ से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदल गया है और डाइंग डिक्लेरेशन वह मजिस्ट्रेट करेगा, इससे हम संतुष्ट नहीं हुए। इस चीज को लेकर कि इतना विलम्ब हुआ, दोनों तरफ से कई रिपोर्ट आयीं, एक का कहना था कि इस सिचुएशन में मरा और दूसरे का कुछ और कहना था, डाइंग डिक्लेरेशन में विलम्ब हुआ इसलिए यह मामला सी० आई० डी० को रेफर किया गया।

चौधरी चरण सिंह—

उसकी तहकीकात हुयी या नहीं कि तमन्चे से मारा या रिवाल्वर से मारा, जुर्म हुआ या नहीं हुआ ? मैं भी यह जानना चाहता हूं कि जब इसे सी० आई० डी० को रेफर किया गया था तो फिर सिविल पुलिस को क्यों सपुर्द कर दिया गया ? मतलब यह है कि पहले इसे सी० आई० डी० को सुपुर्द किया फिर किन कारणों से इसे किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

केवल एडवाइस की बात है। इसे केवल सी० आई० डी० को रेफर किया गया था ताकि दोनों की राय ली जाय। ऐसी कोई बात नहीं हुयी कि इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जाय। बाद में यह तय हुआ कि सिविल पुलिस द्वारा ही इसकी जांच करायी जाय।

चौधरी चरण सिंह--

पहले यह मामला सी० आई० डी० को रेफर हुआ और फिर आपने, कोई भी कारण हों, यह मामला झांसी के पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर दिया कि वे तहकीकात करें तो इसके क्या कारण हैं, क्या तहकीकात हुयी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जब एक दो व्यक्तियों ने उस पर यह कहा कि जो कार्यवाही अमल में लानी चाहिये वह नहीं हुयी और यह भी पाया गया कि डाइंग डिक्लेरेशन सही समय पर नहीं हुआ और यह भी मालूम हुआ कि डी० एस० पी० जो इस मामले में जांच कर रहे हैं, और यह भी सरकार को पता चला कि हमलावर भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा स्वर्गीय श्री राज नारायण मिश्र हत्या कांड के सरकारी गवाह का छोटा भाई है । अतः इसलिये कि विरोध पक्ष कुछ न कहे, एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को मामला सौंपा है ताकि यह न कहा जा सके कि हमने कोई कार्यवाही दबाव के कारण की है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या यह सही है कि जो अभियुक्त है वह मुख्य मंत्री का साढ़ू है । शासन ने अपने उत्तर में यह कहा है कि श्री चन्द्रभान महेश्वरी के बड़े भाई श्री प्रेम प्रकाश महेश्वरी का एक प्रार्थना-पत्र शासन को मई, १९७४ में प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य शिकायतों के साथ यह भी लिखा गया था कि हमलावर भूतपूर्व सदस्य विधान सभा स्वर्गीय श्री राजनारायण मिश्र हत्या कांड के सरकारी गवाह का छोटा भाई है । आपने इसमें क्या पता लगाया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यह सही है कि भूतपूर्व सदस्य विधान सभा स्व० श्री राज नारायण मिश्र मुख्य मंत्री के साढ़ू हैं लेकिन इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमलावर भूतपूर्व सदस्य विधान सभा स्व० श्री राज नारायण मिश्र हत्या के सरकारी गवाह का छोटा भाई है या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसके बारे में अभी पूरी सूचना नहीं मिल पायी है । इसलिये हम इस पोजिशन में नहीं हैं कि इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं ।

श्री हिम्मत सिंह--

यह मामला सी० आई० डी० को रेफर हुआ इन्क्वायरी के लिये और उसके पूर्व पुलिस के अधिकारी को सुपुर्द किया गया था । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे इन दोनों ने इसे स्वयं वापस किया या सरकार ने इनसे वापस ले लिया ?

श्री राज मंगल पांडेय-

मैंने कहीं भी नहीं कहा कि सी० आई० डी० को जांच के लिये कहा गया था । पहले कुछ मसलों पर सी० आई० डी० की राय की जरूरत थी, वह उनसे ली गयी थी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

इसमें नामजद रिपोर्ट हुई थी तो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ या नहीं ? दूसरे मंत्री जी ने बताया है कि स्थानीय पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध थी इसलिये झांसी की पुलिस को कार्य सौंपा गया, तो स्थानीय पुलिस को इन्होंने कोई सजा दी या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं की गयी है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जब खुद इन्होंने माना है कि पुलिस की कार्यवाही संदिग्ध थी और कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ, बयान नहीं कराया गया तो क्यों नहीं किया क्या वजह थी, उसका जवाब दिलाइये ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने डाइंग डिक्लेरेशन न होने का कारण बता दिया कि १-४-७४ को जो नयी प्रक्रिया अपनायी गयी, फिर विवेचना जारी है । डी०वाई०एस०पी० देखेंगे कि क्या सत्यता है तभी उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

स्थानीय पुलिस के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई अगर उसकी कार्यशैली संदिग्धा थी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

दोनों तरफ के मुकदमें की विवेचना हो रही है, जब असलियत का पता चल जायगा तभी तो कार्यवाही होगी . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा कि चूंकि एक विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित मामला है इसलिए पुलिस उचित कदम नहीं उठा रही है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इसको सही सूचना मानकर मेरी, कि इस तरह का एक आतंक फैला हुआ है और खुले आम वह तलवार और बंदूक लेकर घूमता है और बड़ा शातिर आदमी है और बहुत से चोरी-डकैती के केस उसके नाम दर्ज हैं, क्या पुलिस ने उनको ऐसी सूचना दी या नहीं कि कितने केसेज में, क्रिमिनल अफेंसेज में--डकैती में और मर्डर में वह इन्वाल्व्ज है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

डकैती और मर्डर की तो कोई भी सूचना नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

इसमें ३०४ की रिपोर्ट लिखी गयी है जोकि कि अटेम्प्ट टु मर्डर होता है तो कानून यह है कि जब पूरी तहकीकात हो जाय, गिल्टी साबित हो जाय तब उसको गिरफ्तार किया जाय या नामजद अफेंडर हो तभी गिरफ्तार किया जायगा, आखिर क्या कानून है ? क्या ऐसा है कि शुरू में गिरफ्तार नहीं किया जायगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसका क्या जवाब दूं । दोनों की विवेचना हो रही है । वह झांसी के पुलिस अफसर को दे दी गयी । अगर हमीरपुर के आदमी को करते तो दूसरी बात आप करते ।

जिला मैनपुरी के ग्राम जसराजपुर (ऊरम सराय) के हरिजनों को पीटा जाना तथा उनके घरों की लूट

*६--श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले में भोगांव थाने के जसराजपुर (ऊरम सराय) गांव के हरिजनों को पिछले मास दिन दहाड़े सामूहिक रूप से निर्ममता पूर्वक पीटा गया और

रात को एक-एक घर लूट लिया गया तथा औरतों के साथ बलात्कार किया गया जिसकी रिपोर्ट भोगांव थाने में दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो उक्त घटना का पूर्ण विवरण क्या है? और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १५-५-७४ को थाना भोगांव, जिला मैनपुरी में बद्री प्रसाद जाटव निवासी ग्राम जसराजपुर मौजा ऊरम सराय ने अमुक व्यक्तियों द्वारा लाठियों से मारने, गेहूं के बोझों में आग लगा देने व उसके लड़के को चोट आने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई। इस सूचना पर धारा ४३५/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया।

विवेचना के उपरान्त तीनों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ४३५/३२३/३२५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय भेजी गई।

उक्त घटना की विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वादी व उसका भाई घटना स्थल पर अपनी साइकिलें छोड़कर भाग गये थे जिन्हें दो अन्य अभियुक्त उठा ले गये। विवेचना के उपरान्त उक्त दोनों अभियुक्तों का पलायत अपराधी की भांति धारा ३७९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत चालान अदालत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक २०-५-७४ को वादी जौहरी लाल जाटव, निवासी ग्राम जसराजपुर, मौजा ऊरम सराय द्वारा थाना भोगांव में उसके तथा अन्य व्यक्तियों के घरों में दिनांक १९/२०-५-७४ की रात्रि में पड़ी डकैती की रिपोर्ट लिखवाई गई। इस सूचना पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया तथा विवेचना आरम्भ की गई। एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया अन्य अभियुक्तों की खोज जारी है। किसी स्त्री के साथ बलात्कार होना नहीं पाया गया।

श्री बद्री प्रसाद जाटव को कुछ झगड़े का अंदेशा था। अतः दूसरे पक्ष के २२ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी गई।

श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी उसके अन्दर बलात्कार का जिक्र किया गया था या नहीं और क्या वादी तथा उसका भाई जो साइकिलें छोड़ गये और अभियुक्त उठा ले गये वह साइकिलें अभी तक बरामद की जा सकीं या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

वह रिपोर्ट ही मैं पढ़ कर सुना देता हूं। मेरी समझ में तो बलात्कार के लिये इस रिपोर्ट में कहीं कोई बात अंकित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

फिर रिपोर्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। उसमें बलात्कार का जिक्र नहीं है तो नहीं है। साइकिलें बरामद हुईं या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

साइकिल वह ले गये तभी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

एक केस पहले का है। एक और केस डकैती का है। दोनों में से कोई नहीं गिरफ्तारी हुआ।

श्री राजमंगल पांडेय--

केवल एक व्यक्ति जो उससे संबंधित था वह गिरफ्तार हुआ । बाकी की खोज जारी है । उसको ऐब्सकांडर डिक्लेयर कर दिया गया है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

जो दो मुकदमें हैं उनकी तफतीश एक सब-इंस्पेक्टर साहब को दी गयी थी और चूंकि वह कायदे से काम कर रहे थे लिहाजा उनका ट्रांसफर कर दिया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अलीगंज जिला एटा में दिन दहाड़े सरे बाजार गोली कांड व लूट

*७--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २३ मई, १९७४ को अलीगंज, जिला एटा में दिन दहाड़े सरे बाजार गोलीकांड हुआ तथा कुछ दुकानें लूट ली गईं और आग लगा दी गई ? यदि हां, दो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और स्थानीय पुलिस स्टेशन पर अंकित कराई गई रिपोर्टस क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगंज, जिला एटा म २३-५-७४ को हुई घटना के संबंध में कुल ५ अभियोग दर्ज कराये गये जिनके संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं:--

(१) अपराध संख्या १७५ अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३०७ भारतीय दंड विधान-वादी श्री लटूरी सिंह, एम०एल०ए० ने अपने ऊपर ७ नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा तमन्चे से फायर किये जाने की तथा उनसे वादी को चोटें आने की तहरीरी रिपोर्ट दी ।

(२) अपराध संख्या १७६ के अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३०७ भारतीय दंड विधान- वादी पूरन सिंह सब इन्सपेक्टर थाना अलीगंज ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि बाजार में एक दूकान की छत पर ९-१० व्यक्ति मय तमन्चा व बन्दूकों के खड़े थे तथा उन्होंने सब-इन्सपेक्टर द्वारा ललकारे जाने पर, फायर किये जिससे ४ जनता के व्यक्तियों को चोटें आयीं। सब इन्स्पेक्टर द्वारा हवाई फायर किये जाने पर बदमाश भाग गये।

(३) अपराध संख्या १७७ के अन्तर्गत धारा ३९५/३९७/४३६ भारतीय दंड विधान - वादी श्री नरेश चन्द गुप्ता ने श्री लटूरी सिंह तथा ५० अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वादी पर गोली से आक्रमण करने, उसके मेडिकल स्टोर को लूट लेने तथा उसमें आग लगा देने की रिपोर्ट अंकित करायी ।

(४) अपराध संख्या १७८ के अन्तर्गत धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान-वादी श्री सतीश चन्द ने लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि श्री लटूरी सिंह व उनके साथियों ने वादी की दूकान लूट ली जिसमें २०,००० रु० का नुकसान हुआ तथा वादी के ऊपर गोली भी चलायी ।

(५) अपराध संख्या १८१ के अन्तर्गत धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान- वादी श्री बांके लाल मलिक'साड़ी संसार' के इस आशय के प्रार्थना-पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गयी कि प्रार्थी की दूकान पर श्री लटूरी सिंह तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों ने आक्रमण किया उनकी दूकान का ताला तोड़ा तथा उन्होंने फायर भी किये ।

६—इस संबंध में शासन द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

(१) पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंच कर जनता की सहायता से श्री गेंदा लाल गुप्त के मेडिकल स्टोर में लगी आग को बुझाने का भरपूर प्रयत्न किया।

(२) अलीगंज कस्बे में धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता लगा दी गयी।

(३) अलीगंज में बाहर से पुलिस फोर्स तथा पी०ए०सी० बुलाकर तैनात कर दी गयी और चारों तरफ गश्त जारी कर दी गयी।

(४) उक्त सभी दर्ज अपराधों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी।

(५) अपराध संख्या १७५ के तीन अभियुक्तों को २४-५-७४ को गिरफ्तार किया गया।

(६) घटना स्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारी जिनमें आगरा परिक्षेत्र के डी०आई०जी०, अपराध अनुसंधान विभाग के डी०आई०जी०, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हैं कर चुके हैं। आगरा परिक्षेत्र के डी० आई०जी० को पुनः आदेश दिये गये हैं कि वे एटा जाकर स्थित देखें और अपनी रिपोर्ट शासन को दें ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, लटूरी सिंह जो सत्ता कांग्रेस पार्टी के एम०एल०ए० हैं तथा उनके साथ के ५०—६० आदमियों के विरुद्ध दफा १७७, १७८, १८१, ३९५ तथा ३९७ के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायी गयी है और नामजद रिपोर्ट है, फिर भी एक भी व्यक्ति गिरफ्तार न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, यह तो जो भी अधिकारी विवेचना करता है उसके विवेक पर निर्भर करता है कि किसको वह गिरफ्तार करे । जहां उसको सत्यता के अंश ज्यादा दिखाई पड़ते हैं वहां वह कार्यवाही गिरफ्तारी आदि की भी करते हैं, जहां उनको सत्यता दिखाई नहीं पड़ती वहां कार्यवाही नहीं करते हैं इसकी । उस रिपोर्ट में सत्यता का अंश नहीं मिला होगा उनको, यही कारण है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, लटूरी सिंह के खिलाफ ३०२ का मुकदमा भी चल रहा है। सतीशचन्द के गोली मारने के संबंध में वहां के अधिकरी का डबल स्टैंडर्ड कानून चल रहा है, कांग्रेस वालों के लिये दूसरा और इधर विपक्ष वालों के लिये दूसरा । जितने भी केसेज इस तरह के हुए हैं उनमें किसी में भी कांग्रेस वाले किसी भी आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है, जब कि बिरोध पक्ष के कितने ही आदमियों की बन्दूकें तक जब्त करा ली गयी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उत्तर तो मैंने अभी दिया कि जो अधिकारी विवेचना करता है यह उसके विवेक पर ही निर्भर करता है कि वह क्या कार्यवाही करे । जिस रिपोर्ट में उसको सत्यता का आभास नहीं मिलता वह कार्यवाही नहीं करता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, कहीं अधिकारी काम करता है, कहीं मंत्री जी का टेलीफोन काम करता है, यही कारण है कि पब्लिक मदान में आकर कानून का फसला स्वयं करती है इनके भ्रष्ट अधिकारियों के कारण । जब दरोगा के सामने दूकान लूटी जाय, उसे जलाया जाय, डेढ़ बजे रात तक वह जलती रहे, उसे बुझाया न जाय तो गम्भीर स्थिति पदा हो जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को जितना नुकसान हुआ है क्या सरकार उनको मुआवजा देगी ? (व्यवधान)

एक सदस्य---

एक सवाल मुझे भी करना था। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी-

मान्यवर मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाय कि सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करने का विचार कर रही है?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, जितनी मेरी जानकारी है कि इंडीविजुअल केसेज में सरकार कभी मुआवजे की बात नहीं करती है। यह कैसे इंडीविजुअल केस है। यदि सरकार अलग-अलग सबको मुआवजा देने लगे तो संभव नहीं है। और सरकार कहां से मुआवजा दे सकती है ।

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, एक सवाल और करना चाहता हूं, जैसा अभी बताया गया कि इंडीविजुअल केसेज में मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह इंडीविजुअल केस नहीं है। सारा बाजार आतंकित है।

दूसरी बात मान्यवर लोगों के जिन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया है बंदूकों के लाइसेंस जब्त कर लिये गये हैं । उनकी जान का खतरा है। लटूरी सिंह एम०एल०ए० जो मुलजिम हैं उनकी बंदूक जब्त नहीं की गयी है क्योंकि वह कांग्रेस के हैं लोग अलीगंज छोड़कर भाग रहे हैं । इन लोगों की सुरक्षा का कोई बन्दोबस्त नहीं है और इन लोगों का रिपोर्ट में नाम भी नहीं है। तो क्या इनके हथियारों के लाइसेंस जो सस्पेंट किये गये हैं फिर से आप बहाल करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर लटूरी सिंह की बांह में गोली लगी है। आप देख लें । दूसरी बात प्रतिपक्ष दल के बारे में मैंने पहले कही है कि विवेचना के अनुसार ही और विवेक से मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और उनके हथियारों को जब्त किया गया है। सत्यता और विवेक के आधार पर श्री लटूरी सिंह की बंदूक जब्त नहीं की गयी है ।

*८---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ६वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९---श्री ऊदल---श्री भीखा लाल, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री जफर आजमी---

[निरस्त]

श्री रमेश चन्द्र, निवासी ग्राम सोंधरा, जिला मैनपुरी को अपनी बहन की कथित हत्या के आरोप में बन्दी बनाया जाना।

*१०—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी ग्राम सोंधरा, थाना सिरसागंज, जिला मैनपुरी को अपनी बहिन कमलेश की कथित हत्या के आरोप में स्थानीय पुलिस ने हाल ही में बन्दी बनाकर जेल भेज दिया जबकि दिनांक १४ जून, १९७४ से १८ जून, १९७४ के मध्य उक्त श्री तेज सिंह ने अपनी उपरोक्त जीवित पुत्री कमलेश को जिलाधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करके पुलिस द्वारा गढ़ी गई कहानी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है किन्तु फिर भी उपरोक्त श्री रमेश को जेल से मुक्त नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? और सरकार ने सारे मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पुत्तू लाल चौकीदार, मौजा, सीगेमई ने दिनांक २—६—७४ को प्रातः थाना सिरसागंज में जवानी सूचना अंकित कराई कि श्री राम सिंह ठाकुर के कुआं में एक लाश पड़ी है । पुलिस द्वारा उक्त ग्राम में पंहुच कर लाश कुएं से निकाली गई । दरयाफ्त हाल से हत्या का मामला प्रतीत हुआ । अतः धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई । विवेचना के मध्य उक्त लाश ठाकुर तेजसिंह निवासी सोंधरा की लड़की अमलेश कुमारी की होना पाया गया । पूछताछ करने पर श्री तेज सिंह के लड़के रमेश चन्द्र ने अन्य दो व्यक्तियों की सहायता से अपनी बहन को मार कर कुयें में डालना बताया । अतः रमेश चन्द्र को गिरफ्तार करके दिनांक ६—६—७४ को जेल भेजा गया । दिनांक १२—६—७४ को श्री तेज सिंह ने एक लड़की कमलेश कुमारी के नाम से जिलाधिकारी के सम्मुख पेश की । जिला मैजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच के लिये आदेश दिया । जांच उप-पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है ।

रमेश को सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक १४—६—७४ को व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या १० पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या विरोधी पक्ष का सफाया करने के लिये सरकार राजनैतिक हत्याओं का कोई षडयंत्र रचा रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरे जिले का सवाल है अतः एक सवाल पूछना चाहता हूं । जैसा पुलिस का कारनामा है वह आपके सामने है कि कत्ल नहीं हुआ और मुलजिम को जेल भेज दिया गया यह जो गट्स जितने सरकार में है शायद उससे १० गुने ज्यादा पुलिस में ह । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लाश मिली है और जो कमलेश कुमारी की नहीं है क्या उसका पोस्ट मार्टम कराया गया और उसकी रिपोर्ट क्या है । इस सिलसिले में क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कमलेश कुमारी जिनका बयान जिलाधिकारी के सामने हुआ है वही कमलेश कुमारी है या जिनकी हत्या हुयी है वह कमलेश कुमारी है ।

(हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस तरह से अगर पुलिस की वकालत की गई तो देश का कल्याण हो जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बताने का कष्ट करगे कि जब यह चीज साफ स्पष्ट हो चुकी है कि कमलेश कुमारी की हत्या के आरोप में उसके भाई श्री रमेश चन्द्र को जेल भेजा गया था । तो इस श्री रमेश चन्द्र के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसका अभी प्रश्न ही नहीं होता है क्योंकि कोई भी लड़की को खड़ा करके यह कह दे कि यह कमलेश कुमारी है। यह वही ही लड़की है दूसरी नहीं । अतः इसकी जांच की जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वह अभियुक्त धारा ३०२ का मुलजिम है और व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने क्या उसकी जमानत के खिलाफ विरोध किया था ? तो नहीं किया था । क्यों नहीं किया था ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यही साबित करता है कि हमारी पुलिस कितनी अच्छी है ।

श्री कल्याण सिंह--

इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये । इसने सभी सीमाओं को पार कर दिया है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

श्री प्रेम चन्द्र सब इन्सपेक्टर डेरापुर कानपुर के विरुद्ध इस्तगासा

*१--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या मख्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के पलिस थाना डेरापुर के सब-इन्सपेक्टर प्रेमचन्द्र के द्वारा इलाके के भले लोगों की मारपीट, रिश्वतखोरी अकर्मण्यता एवं पक्षपात तथा भ्रष्टाचार के फलस्वरूप यहां की जनता परेशान है और इसकी शिकायतें उच्च अधिकारियों से की गई है । तथा इनके विरुद्ध मारपीट तथा रिश्वतखोरी के इस्तगासे (मुकदमें) जनता की ओर से अदालतों में चल रहे है ? यदि हां, तो उक्त दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रेम चन्द्र सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध इलाके में उनके द्वारा भले लोगों को मारपीट करना, रिश्वतखोरी, अकर्मण्यता, पक्षपात अथवा क्षेत्रीय जनता को परेशान करना सही नहीं पाया गया । सब-इन्सपेक्टर श्री प्रेम चन्द्र के विरुद्ध श्री सोनेलाल का केवल

नोटः--[नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।]

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

एक इस्तगासा न्यायालय में विचाराधीन है जो धारा ३२३/५०४/५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत है इस सब-इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण जिला कानपुर में जिला इटावा के लिये अप्रैल, १९७४ में हो चुका है । न्यायालय द्वारा इस्तगासे का निर्णय होने के उपरान्त उक्त सब इन्स-पेक्टर के विरुद्ध जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी की जायगी ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

उत्तर नहीं है । इसको कल के लिये बढ़ा दिया जाय । इसको स्थगित कर दीजिये ।

(मेंजों की थपथपाहट)

(कुछ देर बाद उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष—

यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है । अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

हम अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ पाये, कृपया इसको दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रथम तो प्रश्नो का समय समाप्त हो गया है और दूसरे चूंकि यह न्यायालय के विचाराधीन है अतः अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ६वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्त-रित] ।

*३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

(निरस्त) !

हरिजन सेवा संघ, जिला खीरी के खजांची श्री सुदर्शन की हत्या

*चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि खजरिया, जिला लखीमपर खीरी के निवासी श्री सुदर्शन की जो जिला हरिजन सेवा संघ के खजान्ची थे, २ मार्च, १९७४ को खजुरिया के ग्राम चौराहे पर चाकू से गर्दन काट कर निर्मम हत्या कर दी गई जबकि हत्या के षडयंत्र की सूचना २३ जनवरी, १९७४ को ही पुलिस को दी जा चुकीं थी ? और क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर लगभग १८ घंटे बाद पंहुचे जब कि घटनास्थल पुलिस चौकी से केवल ६ मील दूर सड़क पर ही थी ? यदि हां, तो पलिस की इस लापरवाही पर तथा हत्यारों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

श्री सुदर्शन, खजान्ची, जिला हरिजन सेवक संघ, खीरी निवासी ग्राम भानपुर खजुरिया की २-३-७४ को रात्रि में लगभग ८ बजे ग्राम में ही चाकू से आहत किये जाने और थाने पर लाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाने की लिखित सूचना उनके भाई ने पुलिस चौकी सम्पूर्ण नगर पर दी जिसके आधार पर धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गई और नामांकित अभियक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । मुक-दमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री सुदर्शन की हत्या के षडयंत्र की कोई पूर्व सूचना किसी पुलिस अधिकारी को नहीं प्राप्त हुई । दिनांक २३-२-७४ को सुदर्शन ने सतीश नामक व्यक्ति के विरुद्ध गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना चौकी सम्पूर्णनगर पर अवश्य दी थी जिसके आधार पर एक हस्तक्षेपनीय मुकदमा धारा ५०४/५०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया था । २६-२-७४ को सब-इंस्पेक्टर ने ग्राम भानपुर खजरिया में जाकर अभियुक्त सतीश को चेतावनी दे दी थी ।

श्री सुदर्शन की हत्या की सूचना पुलिस चौकी पर २-३-७४ की रात्रि में ९ बजकर ५ मिनट पर प्राप्त हुई थी । मतक का शव भी चौकी पर आया था अतः सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी ने मुकदमा कायम होने के बाद पंचायतनामा तैयार किया और लाश को पोस्ट मार्टम के लिये भेजा व तदुपरान्त १२.३० बजे रात्रि में घटना स्थल, जो चौकी से ६ मील दूर है, के लिये रवाना हुआ ।

परिवहन विभाग द्वारा मिनी बसों तथा बड़ी बसों को दिये गये परमिट

*५—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९७४ से अब तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा कितनी प्राइवेट मिनी बसों तथा बड़ी बसों को परमिट दी गई है और उसकी सूची सदन के पटल पर रखते हुये क्या कृपया बतायेंगे कि परमिट देने का आधार क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थानाध्यक्ष मंगलगंज, खीरी के विरुद्ध कथित साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप

*६—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि जिला खीरी के थाना मेगलगंज में उप जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मार्च, १९७४ के अंतिम सप्ताह में इस आशय की कोई सूचना साम्प्रदायिक दंगे होने की गम्भीर आशंका उत्पन्न होने वाली है, मिली थी, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मार्च, १९७४ में थाना मेगलगंज पर नहीं अपितु पुलिस अधीक्षक खीरी के कार्यालय में श्री बहीद हसन एडवोकेट का एक तार तथा श्री नाजिम हुसेन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें थानाध्यक्ष मेगलगंज के विरुद्ध साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न किये जाने आदि की बात कही गई थी । जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करने पर यह आरोप कि थानाध्यक्ष द्वारा साम्प्रदायिकता का प्रचार किया गया अथवा साम्प्रदायिक झगड़े की आशंका है, निर्मूल पाया गया ।

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र बनाने का कारखाना

*१—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि मिर्जापुर जिले में अवैधानिक रूप से हथियार बनाने के दो कारखाने अप्रैल, १९७४ के अन्तिम सप्ताह में पकड़े गये ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, १९७४ के अंतिम सप्ताह में मिर्जापुर जनपद में पुलिस ने केवल एक ही अवैध आग्नेयास्त्र बनाने का कारखाना पकड़ा था। यह अपराध जनपद मिर्जापुर के थाना हलिया में अपराध सं० ३७, धारा ३९६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में प्रकाश में आया। इस सम्बन्ध में दिनांक २७ अप्रैल, १९७४ को इलाहाबाद जनपद में थाना करछना के ग्रामबगरिया, निवासी राम टहल लोहार के घर पर प्रातः लगभग नौ बजे छापा मारा गया जिसके फलस्वरूप उसके घर से अर्ध निर्मित देशी पिस्तौल बनाने की मशीन, औजार व पुर्जे, १२ बोर के जीवित कारतूस तथा एक एयरगन बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में अपराध संख्या ६३ धारा २५ शस्त्र अधिनियम का अभियोग दिनांक २७ अप्रैल, १९७४ को थाना करछना में लिखा गया तथा राम टहल बन्दी बनाकर जेल भेजा गया। इस समय वह जमानत पर छूट कर बाहर आ गया है। विवेचना सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् शीघ्र राम टहल के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा जायेगा।

हरिद्वार कुम्भ मेले में डूबने तथा कुचलने से मृत्यु

*२—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में हरिद्वार में हुये कुम्भ मेले के अवसर पर गंगा जी में डूबने तथा भीड़ में कुचलने से कितनी मत्यु हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार हाल में हरिद्वार में हुये कुम्भ मेले के अवसर पर गंगा जी में डूबने तथा भीड़ में कुचलने से कोई मृत्यु नहीं हुई।

*३-४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[१५वें गुरूवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सब-इन्सपेक्टर, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध कथित हरिजन द्रोही होने का आरोप

*५—चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि पुलिस चौकी सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी के एस०आई० के हरिजन द्रोही होने का एक प्रस्ताव दिनांक ११ जनवरी, १९७४ को सम्पूर्णानगर की जन-सभा में पारित किया गया और उस जन-सभा में तत्कालीन उप मंत्री भी उपस्थित थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनसार दिनांक ११-१-७४ को सम्पूर्णानगर जनपद खीरी में एक जन-सभा हुई थी जिसमें एक भूतपूर्व उपमंत्री भी उपस्थित थे किन्तु उक्त जन-सभा में सब-इंस्पेक्टर पुलिस चौकी सम्पूर्णानगर के हरिजन द्रोही होने के बारे में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर द्वारा धन का कथित दुरुपयोग

*६—चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि क्या जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर द्वारा हरिजनों को दी जाने वाली धनराशि का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत के बावजूद

अतिरिक्त जिलाधीश, नियोजन, बिजनौर द्वारा उनकी पदोन्नति कर दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार पूरे तथ्य की जानकारी करायेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*७—८—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १०वें गुरुवार में ५—४ पर स्थानान्तरित ।]

*९—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*१०—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

[७वें बधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*११—श्री त्रिवेणी सहाय—

[निरस्त]

थाना वजीर ,गोंडा के अन्तर्गत एक हरिजन महिला श्रीमती मुन्नी देवी की हत्या

*१२—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह तथा श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ मई, १९७४ को थाना वजीर गोंडा में एक हरिजन महिला श्रीमती मुन्नी देवी स्त्री नासिर धोबी निवासी ग्राम करोंदा को दिनांक २६ मई, १९७४ की रात में कत्ल कर दिये जाने की रिपोर्ट ग्राम प्रधान करोंदा द्वारा दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री राम दुलारे, ग्राम प्रधान करोंदा, जिला गोंडा ने दिनांक २७—५—७४ को थाना वजीर-गंज में श्रीमती मुन्नी देवी स्त्री नीबर धोबी की २६/२७—५—७४ की रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा ३०२/२०१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना तत्काल प्रारम्भ की गई । पोस्ट मार्टम परीक्षण से श्रीमती मुन्नी देवी की मृत्यु चोटों के सदमें तथा रक्त श्राव से होना पाया गया ।

स्थानीय पुलिस ने अब तक २ व्यक्तियों जिनका आचरण संदिग्ध पाया गया, की खाना तलाशी ली और उनसे पूछ-ताछ की किन्तु कोई लाभप्रद बात ज्ञात नहीं हुई ।

थाना सांडी, जिला हरदोई के अन्तर्गत हरिजनों पर अत्याचार की शिकायतें

*१३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के थाना सांडी, हरपालपुर बिलग्राम में सवर्णों द्वारा हरिजनों को सताये तथा मारे जाने आदि के बारे में नवम्बर, १९७३ से मई, १९७४ तक कितनी शिकायतें व रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं दर्ज हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पष्ठ ३२९ पर)

अभियोजन विभाग के कर्मचारियों को जिलाधिकारियों के अधीन रखा जाना

*१४—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन (जिला सहारनपुर) श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जिलों के पी० पी०, ए० पी० पी० व एल० आई० यू० को पुलिस विभाग से हटाकर जिलाधिकारियों के मातहत करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

जिलों में तैनात अभियोजन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिलाधिकारियों के अधीन रखे जाने के आदेश दिनांक ३१ मई, १९७४ को जारी हो गये है । एल० आई० यू० को पुलिस विभाग से हटाकर जिलाधिकारियों के अधीन रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

परिवहन विभाग द्वारा हेलीकाप्टर की खरीद

*15—श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी), श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री हरीश कुमार गंगवार, (जिला बरेली), श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विभाग ने कोई हेलीकाप्टर खरीदा है ? यदि हां, तो कितने में और इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां । रुपया २५,६४,६९७.९४ में ।

आपातकालीन स्थितियों में जैसे, बाढ़ सूखा पड़ने, इत्यादि के समय इन क्षेत्रों का निरीक्षण करने तथा पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र राहत देने के लिये हेलीकाप्टर की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुई । साथ ही प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में शीघ्र पंहुचने के लिये हेलीकाप्टर ही उपयुक्त साधन समझा गया ।

*१६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[निरस्त]

कुर्सी रोड अलीगंज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर

*१७—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री धर्म चन्द्र मिश्र (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुर्सी रोड अलीगंज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर बन कर तैयार हो गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उनको अब तक आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं और आवंटित का आधार क्या होगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं ।

केवल ८ अपूर्ण क्वार्टर विशेष परिस्थिति में उन कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं जिनसे उनके द्वारा अध्यासित आवास खाली कराने थे । क्वार्टरों के पूर्ण रुप से तैयार हो

जाने पर उनका आवंटन दीर्घतम सेवा अवधि तथा आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

राजकीय पद्धति बालिका विद्यालय लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी और नये वेतन मान की दर से भत्ता एवं वेतन

*१८—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित राजकीय पद्धति बालिका विद्यालय (लखनऊ) के चतुर्थ श्रेणी समस्त कर्मचारियों को सरकारी वर्दी व साप्ताहिक त्यौहारिक तथा राष्ट्रीय अवकाश की सुविधायें नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब तक ये सुविधायें उन्हें उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्नगत संख्या में चतुर्थ श्रेणी के १८ कर्मचारी हैं और जिनमें से १ स्थायी है और नियमानुसार केवल वही वर्दी पाने का पात्र है। इन्हें वर्दी नहीं दी गई है। वर्दी क्यों नहीं दी गई इस संबंध में जांच हो रही है। निदेशक को सूचना के अनुसार इस वर्ष इन्हें वर्दी दी जायेगी।

जहां तक साप्ताहिक, त्योहारिक एवं राष्ट्रीय पर्व पर अवकाश देने का प्रश्न है सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अवकाश मांगने पर स्वीकृत किया जाता है परन्तु आवासीय संस्था होने के कारण एक साथ ही सभी कर्मचारियों को अवकाश देना संभव नहीं हो पाता।

*१९—श्री मन्ना लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित राजकीय पद्धति बालिका विद्यालय (आर्य नगर बस्ती) लखनऊ के समस्त राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन आयोग १९७१–७२ के नये वेतन मान की दर से भत्ता एवं वेतन अब तक नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये वेतन-मान की दर से वेतन व भत्ता दिलाने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, कानपुर का सेवा-काल और स्थानान्तरण

*20—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के जिला बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को, जो गत वर्ष इसी जिले की डेरापुर एवं घाटमपुर परगनों के परगना अधिकारी थे और उन्हें इसी जिले में तीन वर्ष से अधिक समय हो गया था, को किन कारणों से कानपुर का एस० ओ० सी० बना दिया गया है ? क्या यह सही है कि उनकी कानपुर जिले में तमाम रिश्तेदारियां हैं तथा वह पड़ोसी जिले के निवासी भी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिस तिथि को इस अधिकारी को बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), कानपुर नियुक्त किया गया था उस समय उन्हें कानपुर में तीन वर्ष पूरे नहीं हुए थे।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

इस अधिकारी की छोटी बहन का विवाह कानपुर में हुआ था, किन्तु उनकी बहन और बहनोई स्थायी रूप से मुरादाबाद में रह रहे हैं और वहां पर उन्होंने अपना मकान बना लिया है। उनकी बड़ी बहन और बहनोई कलकत्ता में रहते हैं, किन्तु बड़ी बहन के देवर वर्माशैल, कानपुर में तैनात हैं।

यह अधिकारी फतेहपुर जिले के निवासी हैं।

इनका स्थानान्तरण इलाहाबाद कर दिया गया है।

जौनपुर के हरिजनों को मकान एवं उद्योग हेतु अनुदान

*२१—श्री रामसमुझावन (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सरकार द्वारा किन-किन हरिजनों को सन् १९७३-७४ में मकान एवं उद्योग सम्बन्धी अनुदान दिये गये? क्या सरकार उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जौनपुर जिले के जिन हरिजनों को वर्ष १९७३-७४ में मकान एवं उद्योग संबंधी अनुदान दिये गये हैं उनकी सूची† अ तथा 'ब' संलग्न है।

*२२—श्री हरि केवल—

[७वें गुरूवार के लिए स्थगित]

किशनी ग्राम मैनपुरी में पड़ी डकैती

*२३—श्री मुलायम सिंह (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले के ग्राम किशनी थाना किशनी में २१/२२ दिसम्बर सन् १९७३ को सशस्त्र डकैती पड़ी? यदि हां, तो क्या धन के अतिरिक्त कुछ जानें भी गई हैं? और क्या इस डकैती के सम्बन्ध में अब तक कोई डकैत पकड़ा गया है? यदि हां, तो कितने?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २२-१२-७३ को वादी रामेश्वर दयाल गुप्ता, निवासी कस्बा किशनी जिला मैनपुरी द्वारा थाना किशनी पर उसके यहां पड़ रही डकैती की सूचना दी गई जिस पर धारा ३९५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा अंकित किया गया। उक्त डकैती में धन के अतिरिक्त तीन व्यक्तियों की जाने भी गई। डकैती के सम्बन्ध में अभी तक एक व्यक्ति बन्दी बनाया गया है।

बाराबंकी जिले में हुई हत्यायें

*२४—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में मई, १९७४ से अब तक कितनी हत्यायें हुई और यह सही है कि १९७४ में उक्त अवधि में सर्वाधिक हत्यायें हुई? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये हैं?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार बाराबंकी जिले में एक १-५-७४ से २०-६-७४ तक १० हत्या की घटनाओं की रिपोर्ट थानों पर दर्ज कराई गई जब कि वर्ष १९७४ में १ जनवरी से ३० अप्रैल तक ३० हत्याओं की सूचना विभिन्न थानों पर दर्ज कराई गई। अतः यह कहना सही नहीं है कि इस वर्ष १ मई और २० जून के बीच बाराबंकी जिले में सर्वाधिक हत्यायें हुई।

हत्याओं की रोकथाम हेतु चौकीदारों व हल्का कांस्टेबिलों को कड़े निदेश दिये गये हैं कि जहां कहीं किंचित मात्र भी झगड़े का आभास मिले उसकी सूचना तुरन्त थाने पर लिखायें और थानाध्यक्षों को आदेश दिये गये हैं कि ऐसी सूचनायें प्राप्त होने पर तुरन्त निरोधात्मक कार्यवाही करें।

*२५ -श्री जगदीश अवस्थी--

[निरस्त]

श्री दिनेश कुमार रस्तोगी की बहराइच नगर में हत्या

*२६--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि बहराइच नगर में अप्रैल, १९७४ को श्री दिनेश कुमार रस्तोगी का अपहरण करके हत्या कर दी गई? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है? क्या यह सही है कि मृतक के पिता ने पुलिस को कई व्यक्तियों पर हत्या का संदेह होने की बात बताई? यदि हां, तो उनके विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्री ओम प्रकाश रस्तोगी बहराइच ने कोतवाली बहराइच में ३०-४-७४ को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका पुत्र दिनेश कुमार २७-४-७४ को ५ बजे शाम को ट्यूशन पढ़ने गया और तभी से गायब है। श्री ओम प्रकाश रस्तोगी ने दिनांक २-५-७४ को पुनः कोतवाली बहराइच में लिखित सूचना दी कि उन्हें कुछ धमकी भरे पत्र मिले हैं जिनसे यह आभास मिलता है कि दिनेश कुमार जीवित है और पच्चीस हजार रुपये देकर उसे छुड़ाया जा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर धारा ३६४/३६५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके कोतवाली पुलिस ने विवेचना आरम्भ की।

दिनांक २-५-७४ को ही बहराइच से ७ मील दूर ग्राम सोहरवा के एक कुएं से, थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा एक लाश बरामद की गई। थाने के रिकार्ड के अनुसार १८-५-७४ को श्री ओम प्रकाश रस्तोगी ने शव से उतारे गये कपड़ों की पहचान की और यह कपड़े दिनेश कुमार के ही होना बताया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोतवाली बहराइच पर दर्ज धारा ३६४/३६५ भारतीय दंड विधान के मुकदमे को धारा ३०२/२०१ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया।

यह सही है कि मृतक के पिता ने स्थानीय पुलिस को दिये गये बयान में कई व्यक्तियों पर दिनेश कुमार की हत्या करने का संदेह व्यक्त किया था और स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछ तांछ भी की तथा उनके हस्तलेख के नमूने लेकर धमकी भरे पत्रों के लेख से मिलान हेतु कार्यवाही की। इस मुकदमे की विवेचना २७-५-७४ से अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने हाथ में ले ली है।

सचिवालय के अवर व प्रवर वर्ग सहायकों का स्थायीकरण

*२७--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)--

६ जून, १९७४ के प्रश्न कर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि शेष सचिवालय के प्रवर वर्ग एवं अवर वर्ग सहायकों

[श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव]

की जो तीन वर्ष सेवा काल पूरी कर चुके हैं की कुल संख्या क्या है और उन्हें अब तक स्थायी किन कारणों से नहीं किया गया और कब तक उन्हें स्थायी किया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

१ जनवरी, १९७४ तक तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले तथा स्थायीकरण हेतु अर्ह प्रवर वर्ग सहायकों की कुल संख्या ४ तथा अवर वर्ग सहायकों की ४२८ है, जिनका स्थायीकरण अभी नहीं किया जा सका है। प्रवर वर्ग सहायकों के तथा अवर वर्ग सहायकों में से २० के स्थायी न किये जाने का कारण उसके द्वारा टंकण गति न दिखलाया जाना तथा उनके विषय में औपचारिकताओं की पूर्ति का न होना है। शेष अवर वर्ग सहायकों के विषय में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और पर्याप्त संख्या में स्थायी रिक्तियां भी अभी उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में सक्रिय रूप से कदम उठाये जा रहे हैं और शेष सहायकों को भी शीघ्र यथासंभव स्थायी कर दिया जायगा।

जिला तथा सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के ऊपर अदालत में जूता फेंका जाना

*२८---श्री राम जी (जिला गाजीपुर)---

क्या यह सच है कि दिनांक १३ मई, १९७४ को जिला तथा न्यायालय, गाजीपुर के ऊपर भरी अदालत में जूता फेंका गया और जूता फेंकने वाले ने अपने बयान में जज पर अनेकों आरोप लगायें ? यदि हां, तो वह युवक कौन था और आरोप क्या-क्या लगाये गये थे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी हां, यह सत्य है कि दिनांक १३-५-७४ को जिला तथा सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के ऊपर जब वे न्यायिक कार्य कर रहे थे अदालत में जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले ने न्यायाधीश द्वारा मौखिक रूप से पूछे जाने पर कि वह कौन है और वहां क्यों आया है यह कहा कि "मैं आप के बारे में बहुत सुन चुका हूं। आप बहुत भ्रष्टाचार कर रहे है और आप ने बहुत लोगों को कष्ट पहुंचा दिया है।" उस व्यक्ति ने, जब उसके विरुद्ध न्यायालय की मानहानि की कार्यवाही उसी दिन की गई, अपने बयान में न्यायाधीश के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये। उस युवक ने अपना नाम श्री श्याम दत्त शर्मा पुत्र श्री कृष्ण दत्त शर्मा निवासी जिला मुजफ्फरनगर बताया।

पुलिस अधीक्षक, हरदोई के सर्विस रिवाल्वर का एकाएक चल जाने से एक व्यक्ति की कथित मृत्यु

*२९---श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव---

क्या यह सही है कि मास मार्च, अप्रैल, १९७४ में एस०पी० हरदोई की सर्विस रिवाल्वर के एकाएक चल जाने के फलस्वरूप उनके निवास स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उक्त घटना के कारण उनको दंडित न करके केवल तबादला कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा पूर्ण घटना क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी नहीं, पुलिस अधीक्षक, हरदोई के निवास स्थान पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दिनांक २६/२७ अप्रैल, १९७४ की रात्रि को पुलिस अधीक्षक आर्म्ड गार्ड के साथ जीप पर गश्त में थे। जीप में झटका लगने से उनका अपना सर्विस रिवाल्वर एकाएक चल जाने से वे स्वयं जख्मी हो गये थे। जिला हरदोई से उनके स्थानान्तरण के आदेश इस दुर्घटना के पूर्व ही हो गये थे।

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में हरिजन की कथित हत्या

*३०—श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक १ जून, १९७४ को इलाहाबाद स्थिति सिविल लाइन्स में एक हरिजन नवयुवक की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १ जन, १९७४ को सिविल लाइन्स इलाहाबाद में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना होने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नही हुई ।

किसानों को बिजली के न्यूनतम चार्ज तथा प्रति हार्स पावर अधिभार में छूट

*३१—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष १९७३–७४ में वृहद् विद्युत कटौती के कारण किसानों को बिजली के न्यूनतम चार्ज तथा प्रति हार्स पावर अधिभार में छूट देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं । विद्युत द्वारा चालित नलकूप के उपभोक्ताओं से कोई न्यूनतम चार्ज (मिनिमम गारन्टी) नही ली जाती है ।

तीन रुपया प्रति हार्स पावर प्रतिमाह हार्स पावर चार्ज बिजली की दर का एक भाग है यह पावर हाउस से उपभोक्ता के यहां तक बिजली लाने वाली सभी पूंजी पर ब्याज, हास (depreciation) इत्यादि का एक छोटा सा अंश है इस कारण इससे छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में अपराधों की वृद्धि

*३२—श्री भाभी (जिला आजमगढ़) तथा श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २७ जून, १९७३ से ११ दिसम्बर, १९७३ तक तथा १३ दिसम्बर, १९७३ से २९ मई, १९७४ तक कानपुर नगर में हत्या, आत्म-हत्या, डकैती, हत्या सहित डकैती, राहजनी, नकबजनी, चोरी आगजनी, चाकूबाजी, गिरहकटी तथा बल्वे की कितनी घटनायें हुई तथा दिनांक २७ जून, १९७३ से ११ दिसम्बर, १९७३ तक घटित हुये अपराधों से दिनांक १३ दिसम्बर, १९७३ से २९ मई, १९७४ तक घटित हुए अपराध कितने प्रतिशत कम या अधिक हुये ? और उपरोक्त तिथियों में कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद पर कौन-कौन व्यक्ति रहे हैं और उनने अपराधों की रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २७ जून, १९७३ से ११ दिसम्बर, १९७३ तक तथा १३ दिसम्बर, १९७३ से २९ मई, १९७४ तक कानपुर जिले में प्रश्न में उल्लिखित अपराधों के बारें में तथा उसी अवधि के अपराधों में की कमी व बढ़ोत्तरी के बारे में प्रतिशत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के नाम व अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३२० पर) ।

थानाध्यक्ष शिवराजपुर, कानपुर द्वारा अवैध रूप से रुपया वसूलते हुये पकड़ा जाना।

*३३—श्री हरि केवल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक १२ मई, १९७४ की रात्रि में क्षेत्राधिकारी के द्वारा थानाध्यक्ष शिवराजपुर, जिला कानपुर को मोटर ठेला वालों से अवैध रूप से रुपया वसूल करते हुये रंगे हाथों पकड़कर अवैध रुपयों सहित पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र के समक्ष उपस्थित किया गया था ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १२ मई, १९७४ की रात्रि में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में रेलवे स्टेशन चौबेपुर और बर्राजपुर की ओर जाते समय क्षेत्राधिकारी पलिस, ग्रामीण क्षेत्र कानपुर ने देखा कि थाना शिवराजपुर के बाहर ७–८ मोटर ठेलों की भीड़ लगी है और होम गार्डों के दो सिपाही आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं । अतः अपनी गाड़ी रोककर क्षेत्राधिकारी थाने के सामने गये तो देखा कि थानाध्यक्ष शिवराजपुर और दो अन्य कुर्सियों पर बैठे थे और उनके सामने मेज पर कुछ नोट रखे थे । क्षेत्राधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष से पूछताछ करने और अन्य लोगों के बयान लेने पर विदित हुआ कि थानाध्यक्ष की उपस्थिति में एक मंदिर के निर्माण के लिये पैसा इकठ्ठा किया जा रहा था । थानाध्यक्ष का यह कार्य वैधानिक नहीं था और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमावली का उल्लंघन किया था । अतः उन्हें निलम्बित किया गया । बाद में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनकी चरित्रपंजिका में दुराचरण की प्रविष्टि कर दी गई ।

चम्पावत तहसील, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज खोलने का आश्वासन

*३४—श्री दया किशन पांडे (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के स्थान लोहाघाट में एक डिग्री कालेज खोलने की घोषणा पर्वतीय विकास राज्य मंत्री द्वारा दिनांक १६ फरवरी, १९७४ को की गई थी ? यदि हां, तो उसको कब तक खोलने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

भूतपूर्व राज्य मंत्री जी द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में एक राजकीय डिग्री कालज जिला पिथौरागढ़ के चम्पावत तहसील में खोलने का आश्वासन दिया था न कि उस तहसील के किसी स्थान विशेष पर ।

*३५—श्री तीरथ राम कोहली—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त] ।

सुल्तानपुर में अग्निशमन सेवा खोलने का विचार

*३६—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले में राज्य फायर सर्विस की शाखा खोलकर, फायर ब्रिगेड रखने की व्यवस्था करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ऐक्ट, १९४४ के अधीन शासन द्वारा अग्नि दमन सेवा सुल्तानपुर में इस समय लागू करना सम्भव नहीं है । सामान्यतः अग्नि शमन सेवा स्थापित करने का उत्तरदायित्व यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन स्थानीय नगरपालिका का है ।

सहारनपुर में बसों का अपहरण व यात्रियों को लूटा जाना

*३७—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सप्ताह सहारनपुर जिले में तीन बसों का अपहरण करके उनके यात्रियों को लूट लिया गया जिससे जनता बहुत भयभीत है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और क्या कोई डाकू गिरफ्तार किया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार: —

(१) दिनांक ६-६-७४ को थाना देवबन्द, सहारनपुर में एक बस चालक द्वारा बस को अपहृत कर यात्रियों को लूटे जाने की सूचना लिखाई गई । उक्त सूचना पर धारा ३९४/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया जो विवेचना के मध्य धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया । विवेचना से सात अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से ५ को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । (इनमें से एक अस्पताल में दाखिल है) तथा एक ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । विवेचना जारी है ।

(२) दिनांक ८-६-७४ को थाना कोतवाली सहारनपुर में एक बस चालक द्वारा बस को अपहृत कर यत्रियों को लूटे जाने की सूचना लिखाई गई । उक्त सूचना पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया । विवेचना से सात अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से ३ को, जो दिनांक ६-६-७४ की घटना में भी अभियुक्त थे, बन्दी बनाकर जेल भेजा गया(इनमें से एक अस्पताल में दाखिल है) तथा एक ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । विवेचना जारी है ।

(३) दिनांक ८-६-७४ को थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर में एक टैक्सी चालक द्वारा टैक्सी के यात्रियों को लटे जाने व टैक्सी लेकर भाग जाने की सूचना लिखाई गई । उक्त सूचना पर धारा ३९२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया । चोरी की गई टैक्सी उसी रात सड़क पर प्राप्त हो गई । अभी तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है । विवेचना जारी है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त घटनाओं से जनता विशेष भयभीत दृष्टिगोचर नहीं होती है ।

बदायूं में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*३८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के आठों निर्वाचन क्षेत्रों के किन-किन ग्राम सभाओं की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने का निश्चय पिछले २ वर्षों में सरकार ने किया था और दिनांक ३१ मई, १९७४ तक उनमें से किन-किन ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गांवों एवं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का समय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नहीं बल्कि संपूर्ण जनपद के लिये निर्धारित किया जाता है । संपूर्ण बदायूं जनपद में मत दो वर्षों में कुल

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

१८२ हरिजन बस्तियों के विद्यतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा ३१-५-१९७४ तक १०२ बस्तियों का विद्यतीकरण हो चुका है जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' का उत्तर आगे पृष्ठ ३३१-३३२ पर ।)

*३९-४०—श्री देव कुमार यादव—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

डा० रामपाल सिंह, ग्राम नैसना, शाहजहांपुर का कत्ल

*४१—श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक ९ फरवरी, १९७४ को शाहजहांपुर जिले के थाना-कलान के ग्राम नैसना में रात्रि के ९ बजे डा० रामपाल सिंह का कत्ल हो गया और क्या यह सही है कि उल्लिखित थाने के थानेदार को हल्के के सिपाहियों ने पहले से यह सूचना दी थी कि उल्लिखित व्यक्ति की हत्या रात्रि में हो जाने का डर है ? यदि हां, तो एस० ओ० कलान द्वारा हत्या को बचाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९-२-१९७४ को प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना नहीं हुई ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक ११-२-१९७४ को प्रातः थाना कलान पर इस संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक १०-२-१९७४ को थोड़ा दिन रहे श्री राम पाल सिंह का कत्ल हो गया है। दिनांक १०-२-१९७४ को गश्त से वापस आने पर एक कांस्टेबिल ने दोपहर १२-१५ बजे इस आशय की रिपोर्ट दर्ज की कि मृतक क पार्टी के आदमी विपक्षी पार्टी को नीचा दिखाने के चक्कर में हैं जिससे कि किसी समय नीचा दिखने के ख्याल से एक दसरे को जानी माली नुकसान पहुंचाने क फिकर में है और किसी समय भी शांति भंग हो सकती है। थानाध्यक्ष इस रिपोर्ट से पूर्व ९-२-१९७४ को एक अन्य अपराध की विवेचना के संबंध में दूसरे गांव में गये हुए थे तथा वे घटना के बाद १०-२-१९७४ को रात्रि में ९-५ बजे वापस लौटे। अतः उनके द्वारा कोई कार्यवाही करना संभव नहीं था ।

जौनपुर में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*४२—श्री राम समुझावन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपर जिले के केराकत तहसील के डोमी, केराकत मुफ्तीगंज और जागलपुर ब्लाकों में किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जौनपुर जिले को केराकत तहसील क प्रश्नगत ब्लाकों की ५७ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३३ पर ।)

*४३—श्री नन्हें लाल—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

सतर्कता विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य पूरा करने की अवधि और राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

*४४—श्री रामजनम राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सतर्कता विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य पूरा करने के लिये कोई अवधि निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्या जन-हित में सरकार कोई निश्चित अवधि निर्धारित करके जांच कार्य उसके अन्दर ही पूरा करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नही उठता ।

*४५—श्री रामजनम राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विभिन्न विभागों के कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में सतर्कता, विभाग द्वारा अभियोग सिद्ध होने का प्रतिवेदन प्रस्तुत है और कितनों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा शेष के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने का क्या औचित्य है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु आवश्यक ववरण तथा सामग्री एकत्र करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह प्रश्न में निहित उद्देश्य को देखते हुए बहुत अधिक होगा ।

झांसी में हरिजन बस्तियों का निर्माण

*४६—श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि झांसी जिले में कितनी हरिजन बस्तियां बनाई गई हैं और क्या उनमें सभी में हरिजन लोग रह रहे हैं और कितनी हरिजन बस्तियां जिला झांसी में रजत जयंती के लिये ग्रामों में बनाई जा रही हैं और वह कब तक बनकर तैयार हो जायेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

झांसी जिले में ७ हरिजन बस्तियां बनाई गई हैं जिनमें से ६ बस्तियों में हरिजन लोग रह रहे हैं ।

रजत जयन्ती में लिये गये ६ ग्रामों में हरिजन बस्तियां बनाई जा रही हैं और जुलाई, १९७४ के अन्त तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है ।

परासौली, मुजफ्फरनगर में कथित ३३ के० बी० सब-स्टेशन का निर्माण

*४७—श्री मूल चन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि जिला मुजफ्फरनगर में ग्राम परासौली के प्रधान ने उप खंड अधिकारी विद्युत् प्रसारण निर्माण चतुर्थ उप खंड, शामली मु० नगर के पत्र संख्या ४८६/१२-४-७३ के संदर्भ में ग्राम के नजदीक तालाब वाली जमीन में से ३३ के० बी० स्वीकृत सब-स्टेशन परासौली के लिये दे दी गई थी ? यदि हां, तो वह ३३ के० बी० सब-स्टेशन, परासौली कब बनाया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

परासौली में ३३ के० बी० सब-स्टेशन बनाने का विचार नहीं है क्योंकि इस ग्राम की दी हुई भूमि तकनीकी दृष्टि से सब-स्टेशन बनाने के लिये अनुपयुक्त पायी गई।

वाराणसी में मुसहर जाति में शिक्षा का प्रतिशत

*४८—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी), श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री तारीख ६ जून, १९७४ को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३२ नत्थी (क) के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के परगना कोल असला एवं चन्द्रहा में मुसहर जाति में शिक्षा का प्रतिशत बच्चे/बच्चियों एवं बालिग लोगों में क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बच्चों में ३ प्रतिशत।

बच्चियों तथा बालिग लोगों की शिक्षा का प्रतिशत शून्य है।

टिहरी-गढ़वाल में विधवाओं को दी गयी सहायता

*४९—श्री गोविन्द प्रसाद गेरौला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७३–७४ में टिहरी गढ़वाल जनपद में विधावाओं के कितने प्रार्थना-पत्र सहायता हेतु प्राप्त किये गये थे और उनमें कितने स्वीकृत किये गये? अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों के क्या कारण हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ३३४ पर)

*५०—श्री भगवती सिंह विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

देहरादून के चाय बागान के श्रमिकों को देय जीवन-निर्वाह भत्ता

*५१—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त के आदेश संख्या २८३१–३६/एस० आर०-एस आइन्डेक्स १९७३, दिनांक २० मार्च, १९७४ के अन्तर्गत चाय बागान के पत्ती तोड़ने वाले श्रमिकों के लिये जीवन निर्वाह भत्ता निर्धारित किया है? यदि हां, तो जिला देहरादन के चाय-बागान के मालिकान अपने श्रमिकों को यह भत्ता दे रहे हैं? यदि नहीं, तो श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री राज मंगल मंडेय—

जी नहीं। श्रमायुक्त के परिपत्र संख्या २८३१/३६ एस० आर० एस० आई०/इडेक्स-१९७३, दिनांक २० मार्च, १९७४ द्वारा जुलाई, १९७३ से दिसम्बर, १९७३ की अवधि में चाय बागान के पत्ती तोड़ने वाले श्रमिकों को देय जीवन निर्वाह भत्ता निर्धारित करने के लिये केवल अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सचकांक सूचित किया गया है। चाय बागान के पत्ती तोड़ने वाले श्रमिकों के लिये जीवन निर्वाह भत्ता शासकीय अधिसूचना संख्या ३८३ (वि)/३६–५–१०२३ (वि) ७२, दिनांक २० फरवरी, १९७३ द्वारा निर्धारित हुआ है।

प्राप्त सूचना के अनुसार चाय बागान के मालिकान ने उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देना बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में चाय बागान के श्रमिक संघ का ध्यान आकर्षित करते हुये सूचित कर दिया गया है कि यदि मालिकान निर्धारित दर से जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दे रहे हैं तो सम्बन्धित श्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत क्लेम अथारिटी (Claim Authority) के समक्ष अपने दावे दायर कर दें। दावों का निर्णय हो जाने के पश्चात् ही न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघनों के लिये सेवायोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन चलाये जा सकते हैं।

बलिया की प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर हाई स्कूलों के हरिजन व प्रतिभाशाली छात्रों को देय छात्रवृत्तियां

*५२—श्री काशी नाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में हरिजनों और प्रतिभाशाली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की धनराशि का भुगतान विभिन्न स्कूलों के सम्बन्धित अध्यापकों को गत दो सालों से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित वर्षों से सम्बन्धित छात्रवृत्तियों की धनराशि शासन द्वारा क्रमशः दिनांक २८ मार्च, १९७३ तथा २१ दिसम्बर, १९७३ को शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर वितरण हेतु रख दी गयी थी।

प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश द्वारा धनराशि जिलों को ३० अप्रैल, १९७४ को आवंटित कर दी गई है परन्तु सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को यह धनराशि विद्यालयों के बन्द होने के कारण वितरित नहीं की जा सकी है।

इलाहाबाद के हाइडिल जल विद्युत मण्डल (मैन्टीनेन्स) विभाग के कर्मचारियों को देय वेतन

*५३—श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद के हाइडिल जल विद्युत् मंडल (मेन्टीनेन्स) विभाग में ५३ कर्मचारियों की दिनांक २६-३-७४ को अधीक्षण अभियन्ता इलाहाबाद के आदेशानुसार पुनर्नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो क्या अप्रैल माह का वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इलाहाबाद के हाइडिल जल विद्युत् मंडल (मेन्टीनेन्स) विभाग के ५३ कर्मचारी नहीं वरन् ५२ कर्मचारियों को दिनांक २६ मार्च, १९७४ से नहीं वरन् २१ मार्च, १९७४ से पुनः नियुक्त किया गया। इनके अप्रैल-माह के वेतन के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। इन कर्मचारियों की सेवासमाप्ति के आदेश ३० अप्रैल, १९७४ को जारी किये गये जिसे कर्मचारियों ने लेने से इन्कार किया। सेवासमाप्ति के आदेशों की तामील में बिलम्ब के कारण वेतन भुगतान की कार्यवाही में तदनुसार बिलम्ब हुआ।

गाजियाबाद जिला मेरठ के सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में गुन्डागर्दी

*५४—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि लगभग दो मास हुये गाजियाबाद (मेरठ), सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में कुछ व्यक्तियों ने सरेआम गुंडागर्दी के बल पर सब-रजिस्ट्रार के साथ

[श्री रेवती शरण मौर्य]

मारपीट की थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी ? यदि हां, तो वे आक्रमणकारी कौन-कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २३-४-७४ को थाना सिहानीगेट, मेरठ में श्री चन्द्र स्वरूप भटनागर सब-रजिस्ट्रार, गाजियाबाद व उनके कार्यालय के दो क्लर्कों द्वारा सर्वश्री राम औतार गुप्त, एडवोकेट, जगराम सिंह तोमर एडवोकेट, राम कुमार सिंह एडवोकेट, सुखबीर सिंह गहलौत, एडवोकेट, भारतेन्दु शर्मा, एडवोकेट, आनन्द स्वरूप अर्जीनवीस तथा कई अन्य अज्ञात वकीलों के विरुद्ध उनके कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली गालौज देने, मारपीट करने व उनके कार्यालय में रिश्वत लिये जाने के सम्बन्ध में जबरदस्ती तहरीर लिखवाने की लिखित सूचना दी गई । उक्त सूचना पर धारा १४७/३३२ भारतीय दंड विधान के अर्न्गतत अभियोग अंकित किया गया । विवेचना जारी है ।

थाना मंझनपुर, इलाहाबाद के सब इन्सपेक्टर के बन्दूक की चोरी

*५५--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में थाना मंझनपुर के किसी सब-इन्सपेक्टर क राइफल रात में पिछले दो माह के अन्दर कोई उठा ले गया तथा सब-इन्सपेक्टर को आहत भी किया गया ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक २१ अप्रैल, १९७४ की रात में सब-इन्सपेक्टर राज नारायण मिश्रा थाना मंझनपुर ने थाना मंझनपुर पर इस आशय की सूचना दी कि उसी रात लगभग दो बजे जब वह अपने क्वार्टर के आंगन में सो रहे थे तो कुछ आवाज सुनकर जागे और देखा कि सतैया पासी निवासी ओसा उनकी लाइसेन्सी बन्दूक मय कारतूस के चुरा कर कमरे से निकल रहा है और ओसा का ही भगुआ पासी आंगन में बन्दूक लिये खड़ा है । जब उन्होने सतैया को पकड़ा तो भगुआ व दो अन्य व्यक्तियों ने जो आड़े में थे आकर उनके ऊपर हमला कर दिया तथा सतैया को छुड़ाकर बन्दूक लेकर भाग गये । इस सूचना पर थाना मंझनपुर पर एक मुकदमा धारा ४५८/२२४/२२५ भारतीय दंड विधान के अधीन कायम किया गया । एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है और जेल भेजा गया है ।

थाना अलीगंज, एटा के अन्तर्गत आग्नेयास्त्रों को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया जाना

*५६--श्री कल्याण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के थाना अलीगंज के कस्बा अलीगंज के किन-किन नागरिकों के लाइसेंस शुदा आग्नेय आयुध सरकार द्वारा २५ मई, १९७४ को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में कर लिये गये ? तथा सरकार यह बात बतायेगी कि पुलिस ने आग्नेय आयुध कब्जे में करने के पूर्व क्या कोई कारण बताओं नोटिस दिया था ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एटा जिले के थाना अलीगंज के कस्बा अलीगंज के श्री जय प्रकाश, श्री नन्हें लाल, श्री कामता प्रसाद, श्री राम प्रकाश, श्री रामेश्वर दयाल, श्री महेन्द्र प्रताप, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राजेश कुमार तथा श्री कुंवर बहादुर के लाइसेंस शुदा आग्नेयास्त्र दिनांक २४/२५ मई, १९७४ को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में कर लिये गये ।

आग्नेयास्त्र कब्जे में लेने हेतु शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस के पास इतना समय नही था कि उपरोक्त लाइसेंसियों को पूर्व नोटिस दिया जाता ।

श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी महापुरवा, गोण्डा द्वारा डकैती की रिपोर्ट

*५७—श्री दीप नारायण पान्डे (जिला गोण्डा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २५/२६–३–७४ की रात्रि में ग्राम महापुरवा, थाना कौड़िया , जिला गोण्डा में श्री रामेश्वर के घर डाका पड़ा तथा कई लोगों को बन्दूक आदि की चोटें आयीं ? क्या यह सही है कि गवाहों ने कुछ मुलजिमानों के विरुद्ध बयान भी दिये तथा अदालत पर बयान हलफी भी कराई परन्तु आज तक कोई गिरफ्तारी नही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी महापुरवा थाना कौड़िया जिला गोण्डा नें २६–३–७४ को थाना कौड़िया में इस आशय की मौखिक सूचना दी थी कि २५/२६–३–७४ की अर्द्ध रात्रि में उसके यहां डकैतों ने आक्रमण किया और उसे व तीन अन्य व्यक्तियों को बन्दूक व हथियारों से घायल करके घर के जेवर व बर्तन आदि लूट ले गये । उक्त सूचना पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बारह अभियुक्तों को नामजद किया गया था । वादी सहित ५ गवाहों ने नामजद अभियुक्तों के विरुध विवेचक के समक्ष बयान दिये तथा अदालत में बयान हलफी भी लगाये । अब तक की विवेचना से उपरोक्त गवाहों के बयान पार्टी बन्दी की रंजिस के कारण दिये गये पाये गए और क्षेत्राधिकारी की जांच से भी अभियुक्त की नामजदगी संदिग्ध पाई गई , अतः किसी नामजद या अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार नही किया गया है ।

ग्राम सर्रा जिला हरदोई में डकैती और थानाध्यक्ष सुरसा के विरुद्ध कथित शिकायत

*५८—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को जानकारी है कि २२/२३ मार्च, १९७४ को ग्राम सर्रा, थाना सुरसा, जिला हरदोई में तीन डकैतियां एक ही रात में पड़ीं जिसमें कि लगभग दो लाख रुपये का माल लूटा गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २२/२३ मार्च, १९७४ की रात्रि में डाकुओं के एक गैंग द्वारा ग्राम सर्रा, जिला हरदोई में तीन व्यक्तियों रघुराज सिंह , भुवनेश्वर सिंह और केशव सिंह के घरों को लूटे जाने की घटना की मौखिक सूचना उक्त ग्राम के प्रधान ने थाना सुरसा पर २३–३–७४ को दी । तीनों व्यक्तियों ने डकती में जो सामान लूटा जाना बताया उसकी कीमत लगभग ५९,२८१ रुपया है ।

उपरोक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया । विवेचना के दौरान ६ संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

*५९—श्री श्रीशचन्द्र—

क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सर्रा ग्राम की डकैतियों में एक डकैती श्री केशो सिंह जी के यहां भी पड़ीं जिसकी लिखित रिपोर्ट श्रीकेशो सिंह ने थाना इंचार्ज सुरसा,जिला हरदोई को २४–३–७४ को दी ? लेकिन थाना इंचार्ज सुरसा ने उनकी रिपोर्ट का इंदराज नही किया

[श्री श्रीशचन्द्र]

जिसकी कि शिकायत उन्होंने शासन तथा जिले के पुलिस अधिकारी से की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री केशव सिंह ने २४-३-७४ को थानाध्यक्ष, सुरसा को कोई रिपोर्ट नहीं दी । श्री सिंह ने २३-३-७४ को मौके पर अपने लूटे गये माल की सूची थानाध्यक्ष को दी थी जो रोजनामचे में शामिल की गई । श्री केशव सिंह ने थानाध्यक्ष सुरसा के विरुद्ध कुछ शिकायती-पत्र दिये थे जिनमें रिपोर्ट न लिखने आदि के आरोप थे । जांच से आरोप सही नहीं पाये गये ।

थाना किठौर मेरठ के अन्तर्गत श्री खलील की हत्या व डकैती

*६०--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना किठौर, जिला मेरठ में लगभग १ साल पहले खलील व महरबान के कत्ल व डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो मुकदमा क्या था उसकी तफतीश किसने की और मुलजिमान के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २-६-७३ को श्री खलील पुत्र महरबान ने थाना किठौर, जिला मेरठ पर लिखित सूचना दी की रात में जब वह और उसका भाई एक भाग की कटी हुई लकड़ियों के पास सोये थे, चार नामांकित अभियुक्तों ने उसके ऊपर पुरानी रंजिश के कारण लाठियों से हमला करके चोटें पहुंचाई । इस सूचना के आधार पर धारा ३०८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया । दिनांक १९-६-७३ को खलील की मृत्यु हो जाने के बाद मुकदमें में धारा ३०४ भी जोड़ दी गई ।

२--इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में डकैती का कोई उल्लेख नही था और महरबान के साथ मारपीट आदि किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं था ।

३--इस मुकदमें की विवेचना पहले सब-इन्सपेक्टर श्री आर०पी० शर्मा ने की । उनके स्थानान्तरण के बाद सब-इन्सपेक्टर श्री गोपी चन्द शर्मा ने विवेचना की । फिर इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच तीन क्षेत्राधिकारियों द्वारा अलग-अलग की गई । इस बीच में विवेचना स्थगित रही । अब विवेचना थानाध्यक्ष, किठौर श्री नन्द राम द्वारा की जा रही है ।

४--एक नामांकित अभियुक्त को दिनांक २-६-७३ को गिरफ्तार करके ३-६-७३ को जेल भेजा गया । अन्य नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई ।

भूतपूर्व विधान मण्डल के सदस्यों और मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा सरकारी आवासों का उपयोग

*६१--श्री राम सुन्दर पण डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन-कौन भूतपर्व विधान मंडल के सदस्यगण, एवं मंत्रि-परिषद क सदस्य हैं जो लखनऊ में सरकारी निवास स्थान का अभी भी उपयोग कर रहे हैं और क्या उन्हें स्थान को छोड़ने का आदेश दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूची संलग्न है ।

आवासों को खाली कराने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

मुड़हा ग्राम जिला उन्नाव में चोरी और डकैती

*६२—श्री शिवपाल सिंह तथा श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुड़हा, थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव के अन्तर्गत २४–२५ मई, १९७४ को बाबू धोबी के यहां डकैती पड़ी ? यदि हां, तो कितने नामजद मुलजिम है और किस दफा में उनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २५–५–७४ को श्री गंगा राम पुत्र बाबूलाल, निवासी ग्राम मुड़हा, थाना फतेहपुर ८४, जिला उन्नाव ने थाने पर सूचना दी कि विगत रात में चार दुशचरित्र उसके मकान में प्रवेश कर कपड़ा, जेवर आदि चोरी कर ले गये । वादी के द्वारा दी गई सूचना में दो अभियुक्त नामांकित किये गये थे और उसके आधार पर थाना फतेहपुर, के ८४ पर एक अपराध के अन्तर्गत धारा ४५७/३८० भारतीय दल विधान अंकित किया गया तथा उसकी विवेचना हो रही है ।

*६३—श्री शिवपाल सिंह तथा श्री सुन्दर लाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुड़हा, थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव में दिनांक १४ जून, १९७४ को देवीगुलाम नाई के घर पर डकैती पड़ी और बदूकों की चोटों से कई लोग घायल हुए ? यदि हां, तो इसमें कितने नामजद मुलजिम है और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवी गुलाम, निवासी ग्राम गुड़हा ने दिनांक १५–८–७४ के अपने यहां विगत रात में पड़ी डकैती की सूचना थाना फतेहपुर–८४, जिला उन्नाव पर अंकित कराई जिसके आधार पर धारा ३८५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गयी। इस घटना में वादी तथा उसके पुत्र को एक-एक चोट बन्दूक के छर्रे से आई है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त को नामांकित नहीं किया गया किन्तु दो व्यक्तियों द्वारा रंजिशन बदमाशों से मेल करके वादी का माल लुटवाने की बात कही गई है । विवेचना से उक्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

मोंगर ग्राम, बदायूं में ट्रान्सफार्मर की चोरी

* ६४—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम मोंगर, विकास क्षेत्र बिनावर त० व जिला बदायूं में एक ट्रांसफार्मर चोरी चले जाने से ७ नलकूपों की बिजली बन्द हो गई और कृषकों का २ लाख रुपये का नुकसान सिंचाई न हो पाने से हो गया ? यदि हां, तो ट्रांसफार्मर कब चोरी गया और अभी तक दूसरा ट्रांसफार्मर न लगाने के क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ट्रांसफार्मर की चोरी हो जाने के कारण नलकपों की बिजली बन्द अवश्य हो गई थी, परन्तु यह बताना मुश्किल है कि इससे कृषकों का २ लाख रुपया का नकसान हो गया। यह ट्रांसफार्मर दिनांक २० फरवरी, १९७४ को चोरी हुआ था जिसके स्थान पर एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है।

गंगाघाट, उन्नाव के थानाध्यक्ष के यहां से देशी तमन्चे का बरामद होना

*६५—श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७-४-७४ को थाना गंगाघाट (उन्नाव) के थानाध्यक्ष के घर पर तलाशी ली गई थी? यदि हां, तो उस तलाशी के दौरान कितनी पिस्तौलें बरामद हुई हैं और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १७—४—७४ को श्री शिवपाल सिंह, एम० एल० ए० द्वारा पलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस आशय की लिखित शिकायत दिये जाने पर कि थानाध्यक्ष, थाना गंगाघाट, उन्नाव के घर के अन्दर लगभग १०० से ऊपर अवैध कारतूस हैं पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के आदेश पर उसी दिन सर्किल आफिसर, अजगैन सर्वश्री शिवपाल सिंह, दवी प्रसाद गुप्ता तथा अन्य दो व्यक्तियों की उपस्थिति में थानाध्यक्ष गंगाघाट के मकान की तलाशी ली किन्तु उनके मकान से कारतूस अथवा अन्य कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई।

थानाध्यक्ष गंगाघाट के मकान की तलाशी लेने के बाद सर्वश्री शिवपाल सिंह तथा देवी प्रसाद गुप्ता की निशानदेही पर थाना गंगाघाट के हेड मुहर्रिर के क्वार्टर के पीछे बनी नाबदान की नाली के पास के स्थान से कूड़ा हटवाने पर ५ देशी तमन्चे तथा एक तलवार बरामद हुये, जिसके सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पर असलहा ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

*६६—श्री मुलायम सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मोहम्मद मुजम्मिल भूतपूर्व वाइस प्रिन्सिपल, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ की हत्या

*६७—श्री शिव प्रसाद तथा श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ मई, १९७४ को शिबली नेशनल कालेज आजमगढ़ के भूतपूर्व वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर एम० मुजामिल का शव उनके आजमगढ़ नगर स्थित निवास गृह में मिला? यदि हां, तो पोस्ट मार्टम से मृत्यु का क्या कारण ज्ञात हुआ तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहम्मद मुजम्मिल आजमगढ़ का शव उनके मकान में एक बक्से में दिनांक २५—५—७४ को बरामद हुआ। पोस्ट मार्टम परीक्षण से श्री मोहम्मद मुजम्मिल की मृत्यु उनके शव पर पाई गई चोट के कारण शाक तथा हेमरेज से हुई। इस हत्या के मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

मैनपुरी में शहीद स्मारक बनाने की मांग

*६८—श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९७३ में बेवर, जिला मैनपुरी में १९४२ के शहीदों के एक स्मारक बनाने की मांग को लेकर एक सप्ताह तक सांकेतिक भूख हड़ताल वहां के नागरिकों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर की थी और जिलाधिकारी ने इस पर विचार करने का आवशासन भी दिया था तथा इस हेतु भूमि प्रदान करने की घोषणा भी की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। क्योंकि प्रश्नगत भूमि पर प्राइमरी स्कूल बेवर का कब्जा है अतएव जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग से इस भूमि को खाली कराने का अनुरोध किया है।

स्वर्गीय श्री इन्द्राज सिंह, मशीन मैन जरवल शुगर फैक्ट्री, गोण्डा को देय भविष्य निधि का भुगतान

*६९—श्री गिरजा शंकर पाठक, श्री राम रति बिन्दु,
श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी) तथा श्री शिव कैलाश—

क्या वह सही है कि स्वर्गीय श्री इन्दराज सिंह ग्राम कटुवा नाला पो० ओ० सीपुरा जिला गोंडा मशीन मैन जरवल शुगर फैक्टरी का उनके प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि का भुगतान अविलम्ब करने का आदेश १९७१ से १९७३ ई०तक के बीच अनेकों बार श्रमायुक्त कानपुर (फण्ड) को दिया था और क्या यह भी सही है कि उस पर अभी तक कोई कार्य वाही नहीं की गई ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन करने में विलम्ब का क्या कारण है और अब उनका भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

स्वर्गीय इन्दराज सिंह की पत्नी श्रीमती दुलारा देवी का भविष्य निधि के भुगतान विषयक एक प्रार्थना-पत्र, दिनांक २७ नवम्बर, १९७३ शासन को प्राप्त हुआ था जिसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ३१ दिसम्बर, १९७३ को भेज दिया गया था। भविष्य निधि का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है क्यों कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जिलाधिकारी, गोंडा से स्वर्गीय इन्दराज सिंह के वारिसों के बारे में सूचना एकत्र करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त दावा प्रपत्र भतपूर्व नियोजक के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और वह प्रपत्र बुरी तरह फटी हालत में हो गया था क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दावा प्रपत्र को भूतपुर्व नियोजक को इस आशय से वापस कर दिया है कि वे श्रीमती दुलारा देवी से नया दावा प्रपत्र भरवा कर सभी विवरण को प्रमाणित करा कर उन्हें पुनः भेजें। क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त सम्बन्धित प्रतिष्ठान का निकट भविष्य में दौरा कर रहे हैं और तब वे उक्त मामले को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था करेंगे।

बाराबंकी के अभियोजन अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी के कार्यकाल की अवधि

*७०—श्री राम सेवक यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में पब्लिक प्रासीक्यूटर (पी० पी०) और सहायक ए० पी० पी० की कुल कितनी संख्या है और उनके नाम क्या-क्या हैं ? तथा १५ जून, १९७४ तक जनपद बाराबंकी में उनके कार्यकाल की अवधि क्या-क्या है और क्या इस अवधि में इनमें से किसी का स्थानान्तरण हुआ ? यदि हां, तो कब और क्या उस स्थानान्तरण आदेश पर अमल हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उत्तर संलग्न तालिका में अंकित है।

[देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३३६-३३७ पर।]

श्री नेहरू इन्टर कालेज, मेंडू, अलीगढ़ के चौकीदारों द्वारा पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*७१---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री अल्ला बक्श चौकीदार श्री नेहरू इन्टर कालेज मेंडू जिला अलीगढ़ ने उक्त कालेज के प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक को दिनांक ३-४-७४ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उक्त तिथि को रात्रि के १०.३० बजे पुलिस द्वारा अनधिकृत रुप से वाउन्ड्री फलांग कर श्री अल्ला बख्श तथा वहीं के एक अन्य चौकीदार श्री पातीराम को मार पीट कर चोटे पहुंचाने के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं? क्या उक्त कालेज के प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ को उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में प्रेषित दिनांक ४-४-७४ में तार के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ को कोई अर्द्ध शासकीय पत्रांक शि/परीक्षा/७४, दिनांक ४-४-७४ ज्येष्ठ आरक्षी अधीक्षक, अलीगढ़ को प्राप्त हुआ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री अल्ला बख्श, चौकीदार श्री नेहरू इंटर कालेज, मेंड़ू अलीगढ़ का दिनांक ३-४-७४ का प्रार्थना-पत्र उक्त कालेज के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना ज्ञात हुआ तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ का दिनांक ४-४-७४ का अर्ध शासकीय पत्र आरक्षी अधीक्षक अलीगढ़ को प्राप्त हुआ। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य पाये गये।

पातीराम थाना हाथरस की एक डकैती में अपेक्षित था। थाना हाथरस जंक्शन की पुलिस द्वारा उसे उक्त कालेज के दरवाजे पर दिनांक ३-४-७४ को गिरफ्तार किया गया।

कछवा बाजार, मिर्जापुर में फर्जी गैमेक्सीन की फैक्ट्री

*७२---श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री रामरति विन्द तथा श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ४-४-७४ को मिर्जापुर के कछवा बाजार में एक फर्जी गैमेक्सीन की फैक्ट्री छापा मार कर पकड़ी गयी थी उस संबंध में क्या कोई मुकदमा कायम किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ४ अप्रैल, १९७४ को नहीं बल्कि दिनांक १३ अप्रैल, १९७४ को यह सूचना मिलने पर कि कछवा जिला मिर्जापुर में राम दुलारे नामक व्यक्ति नकली गमेक्सीन पाउडर बनाने का अवैध धंधा करता है वाराणसी जिले की पुलिस ने थाना कछवा का पुलिस को साथ लेकर उक्त राम दुलारे की दुकान व मकान की तलाशी ली जिसके फलस्वरूप कुछ सामान जिसमें पत्थर के चूर्ण में मिला हुआ गैमेक्सीन पाउडर भी था, बरामद हुआ। में इस संबंध में थाना कछवा पर एक मुकदमा धारा १३/७ फर्टीलाइजर ऐक्ट तथा १२५ डी० आई० आर० के अन्तर्गत कायम किया गया है।

तरबगंज तहसील गोण्डा में पुलिस चौकी कायम करने की मांग

*७३---श्री शारदा प्रसाद रावत (जिरा गोरखपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तरबगंज जिला गोंडा के अन्तर्गत ग्राम सभा कचनापुर, हीरापुर, शाहपुर व शीशामऊ तथा कन्जेमऊ आदि के निकट पुलिस चौकी

कायम करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि, हां, तो हालात को देखते हुए उक्त चौकी को कब तक कायम कर दिया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं ।

कुमारी सुनीता बनर्जी, वास्लीगंज मिर्जापुर का कथित अपहरण

*७४--श्री आशा राम यादव (जिरला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर नगर के मध्य वास्लीगंज मुहल्ले से २०-२१ मई, १९७४ को पिस्तौल की नोक पर कु० सुनीता बैनर्जी नामक २० वर्षीय बी० टी० सी० की छात्रा का एक युवक द्वारा अपहरण कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या पुलिस को अपने प्रयास में कोई सफलता प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार मिर्जापुर के वास्लीगंज मुहल्ले से दिनांक २०/२१ मई, १९७४ को पिस्तौल की नोक पर किसी लड़की का अपहरण किये जाने की बात सही नहीं है ।

दिनांक २१ मई, १९७४ को थाना कटरा, मिर्जापुर पर इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त हुई थी कि वास्लीगंज मुहल्ले की निवासिनी एक लड़की जो बी० टी० सी० की छात्रा है और जिसकी आयु लगभग २० वर्ष है, २० मई, १९७४ को स्कूल पढ़ने गई किन्तु वापस नहीं आई और पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि अमुक व्यक्ति जो वास्लीगंज के ही निवासी हैं, उस लड़की को एक टैक्सी में बैठाकर ले जाते हुए देखे गये थे । इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३६५/३६६/३६८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया । पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा तथा शेष २ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की ।

संबंधित लड़की वापस आ गई है और अपने पिता की सुपुर्दगी में दे दी गई है ।

शाहजहांपुर में आग्नयास्त्रों के दिये गये लाइसेंस

*७५--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में दिनांक १ जनवरी, १९७३ से २१ मई, १९७४ तक अग्नि शस्त्रों के लाइसेंस जिन लोगों को दिये गये उनके नाम, वलदियत व पूरे पते क्या हैं ? क्या कुछ ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिये गये हैं जिनपर इस वक्त भी जाब्ता फौजदारी के मुकदमात चल रहे हैं ? यदि हां, तो किस की सिफारिश पर या किस आदेश के अन्तर्गत?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

शाहजहांपुर जिले में । जनवरी, १९७३ से २१ मई, १९७४ तक जिन लोगों को आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये गये उनके नाम, बलदियत व पूरे पते संलग्न सूची† में दिये गये हैं ।

इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर लाइसेंस स्वीकार किये जाने की तिथि तक जाप्ता फौजदारी का मुकदमा चल रहा हो । किन्तु दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर परगना मैजिस्ट्रेट द्वारा आग्नेयास्त्र के लाइसेंस स्वीकार किये गये और लाइसेंस स्वीकार करने की तिथि के बाद उन पर जाब्ता फौजदारी के मुकदमा चले जो अभी चल रहे हैं ।

---

†छापी नहीं गई।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ७वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

२---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[१० वें गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३---श्री मोहम्मद रफी खां---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कानपुर के पुलिस थाना सचेंडी को प्रथम श्रेणी का थाना बनाने की मांग

४---श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर के पुलिस थाना सचेंडी को प्रथम श्रेणी का थाना बनाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी नहीं ।

थाना हरबंश मुहाल, कानपुर की इमारत का निर्माण

५---श्री गोरे लाल शाक्य---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर के थाना हरबंश मुहाल की इमारत बनवाने में कितन रुपये व्यय किये जाने की योजना है और इमारत का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

थाने के निर्माण के लिये आवश्यक पूरी भूमि अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ और कब तक पूरा हो सकेगा ।

पुलिस हेड कांस्टेबिलों का पुलिस सब इन्सपेक्टर के पदों पर चयन

६---श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वर्ष १९७३-७४ में प्रदेश के कितने पुलिस हेड कांस्टेबिलों का चयन पुलिस सब इन्सपेक्टर परीक्षण में मुरादाबाद भेजने के लिये किया गया था ? उनमें से कितने हेड कांस्टेबिलों को परीक्षण के लिये भेजा जा चुका है और कितने को भेजा जाना शेष है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वर्ष १९७३-७४ में कुल २८६ हेड कांस्टेबिलों का चयन सब-इन्सपेक्टर नागरिक पुलिस पद पर प्रशिक्षण हेतु किया गया । उन सभी को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा चुका है और अब किसी को भेजा जाना शेष नहीं है।

बस्ती में पड़ी डकैतियां

७---श्री भीषम (जिला बस्ती)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माह अप्रैल व मई, १९७४ में ग्राम सेठी थाना घनघटा व ग्राम विश्वनाथपुर थाना महुली जिला बस्ती तथा मई, ७४ में कोड़री थाना खलीलाबाद जिला बस्ती में डकैतियां पड़ी थीं ? यदि हां, तो उसमें कितनी जाने गयी कितने लोगों को बंदी बनाया जा सका है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

ग्राम सेठी थाना घनघटा जिला बस्ती में अप्रैल, ७४ में एक डकैती पड़ी जिसके फलस्वरूप २ व्यक्तियों की जान गई । इस डकैती के संबंध में दो अभियुक्त बन्दी बनाये गये हैं । इस ग्राम में मई, ७४ में कोई डकैती नहीं पड़ी ।

ग्राम विश्वनाथपुर, थाना महुली, बस्ती में मई, १९७४ में डकैतों ने आक्रमण किया था । इस घटना में किसी की जान नहीं गई । इसके संबंध में २ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इस ग्राम में अप्रैल, ७४ में कोई डकैती नहीं पड़ी ।

ग्राम कोडरी थाना खलीलाबाद, बस्ती में मई, १९७४ में एक डकैती पड़ी । इस घटना में किसी की जान नहीं गई । इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उसको जेल भेजा गया।

८---श्री रामसुन्दर पांडेय---

[९वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शाहजहांपुर में अपराध की घटनायें

९---श्री दल सिंह यादव---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९७४ से मई ७४ के बीच शाहजहांपुर जिले के थाना कलान में, कत्ल डकैती एवं आगजनी की कितनी घटनायें हुई तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उपलब्ध सूचना के अनुसार थाना कलान प्रश्नगत अवधि में कत्ल के 3, डकैती के 3 तथा आगजनी के 2 मुकदमें दर्ज किये गये । कत्ल के 3 में से एक मुकदमे में 7 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है और एक अभियुक्त का चालान मफरूरी में किया गया तथा दो मुकदमों में ११ अभियुक्त या तो गिरफ्तार किये गये हैं अथवा न्यायालय में समर्पण कर चुके हैं । डकैती के ३ मुकदमों में प्रत्येक में ५-५ अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं । प्रभावित क्षेत्रों में पी० ए० सी० तथा आर्म्ड पुलिस की तैनाती कर दी गयी है। आगजनी के २ में से एक मामला विवेचनाहीन है तथा दूसरे में अंतिम रिपोर्ट में न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है ।

श्री श्याम मोहन गुप्त, निवासी निहालपुर, इलाहाबाद की हत्या

१०---श्री तीरथ राम कोहली---

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि इलाहाबाद नगर के खुलदाबाद मुहल्ले में दिनांक १२-५-७४ को किसी नागरिक की हत्या हुई तथा उसकी लाश सड़क पर पाई गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दिनांक १२ मई, १९७४ को श्री हरी मोहन गुप्त निवासी निहालपुर इलाहाबाद ने थाना खुल्दाबाद पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनका भाई श्याम मोहन गुप्त बीती रात में घर नहीं पहुंचा। तलाश करने पर उसका शव निहालपुर में ही एक आटा मशीन के पास पाया गया और उसके पेट पर घाव है। इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

स्कूटरों का आवंटन

११---श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल व मई १९७४ में किस-किस को कितन-कितने स्कूटर आवंटित किये ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

†सूची संलग्न है।

१२---श्री अब्दुल रऊफ लारी---

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

मिर्जापुर के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

१३---श्री ओम प्रकाश सिंह---

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में किन-किन गांवों के हरिजन बस्तियों को मार्च, १९७२ से मार्च, १९७४ तक बिजली दी जा चुकी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 338 पर)

१४---श्री मूल चन्द---

(६वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

इटावा में दस्यु समस्या

१५---श्री सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)---

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इटावा में जो दस्यु समस्या उग्र रूप में विद्यमान है उसे हल करने के लिये कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार इटावा जिले की दस्यु समस्या पर काबू पाने हेतु गत ६ माह में पुलिस ने डकैतों से २६ मुठभेड़ें की। मुठभेड़ के फलस्वरूप एक अन्तर्क्षेत्रीय डकतों के गिरोह के ४ डकैत मारे गये तथा ११४ गिरफ्तार किये गये। इसके अलावा १८ बन्दूकें तथा ६९ देशी तमंचे बरामद किये।

---

†छापी नहीं गयी।

जनपद इटावा में दस्यु समस्या से निपटने के लिये क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष अपराध निरोधक योजना चालू की गई है। दो विशेष दल एक सब-इंसपेक्टर के साथ सक्रियता से दस्यु उन्मूलन की कार्यवाही में लगे हुए हैं और दो प्लाटून पी० ए० सी० की तैनात की गई हैं। गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु ६ रेडियो वायरलेस सेटों की व्यवस्था भी की गई है।

१६—श्री हरि केवल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद के औद्योगिक क्षत्र नैनी के श्रमिक गृहों में पी०ए०सी० का कब्जा

१७—श्री हरि केवल—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद के औद्योगिक क्षेत्र नैनी में कितने श्रमिक क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनमें पी० ए० सी० के लोग रहते ह तथा कितने दिनों से रहते हैं? और क्या नैनी की श्रमिक बस्ती को पी० ए० सी० से खाली कराकर श्रमिकों को अवास के लिये कब तक दे दिया जायेगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इलाहाबाद के औद्योगिक क्षेत्र नैनी के ३०० श्रमिक गृहों में पी० ए० सी० के लोग वर्ष १९६३ से रह रहे हैं। इन गृहों को खाली कराये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० इलाहाबाद को कई बार लिखा गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने इन्हें खाली कराये जाने हेतु कोई निश्चित तिथि इंगित नहीं की है। जैसे ही रिक्त हो जावेंगे, यह गृह श्रमिकों को आवंटित कर दिये जावेंगे।

बिजली की कमी के फलस्वरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों की छटनी

१८—श्री हरि केवल—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में बिजली की कमी के कारण अप्रैल, १९७३ से मार्च, १९७४ तक प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कितने श्रमिकों की छटनी हुई है कितने श्रमिकों का ले आफ हुआ है? छटनी शुदा श्रमिकों को पुनः नौकरी पर रखने के लिये कौन सी कार्यवाही कर रहीं हैं?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

राज्य में बिजली की कमी के कारण अप्रैल, १९७३ से मार्च, १९७४ की अवधि में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में १२०५ श्रमिकों की छटनी हुई तथा ६७,७६२ श्रमिकों का ले आफ हुआ। उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में धारा ६ क्यू में निहित प्राविधान के अनुसार प्रत्येक छटनी किया गया श्रमिक पुनः जगह होने पर भर्ती के लिये वारीयता पाने का अधिकारी है।

१९—श्री भीषम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

२०—श्री राम सेवक यादव—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

एक मंत्री द्वारा दूसरे सदन में सदन को उडाने के षडयंत्र में गिरफ्तार व्यक्ति के जनसंघ से सम्बद्ध होने सम्बन्धी बयान पर आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं एक चीज कहने की इजाजत चाहता हूं। और वह यह कि मैं इस पर उद्वेलित भी हूं कि एक दिन जब मैंने इसी सदन में एक सवाल उठाया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सदन को उड़ा देना चाहते हैं और वह पकड़े गये, डाइनामाइट भी मिला। मान्यवर, मेरी दृष्टि से यह बहुत गंभीर विषय है . . . .

श्री अध्यक्ष---

ऐसे नहीं। अभी तो नियम से सदन चलेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हम चलने नहीं देंगे यह गलत है। हमारी बात सुनिये . . . .

(व्यवधान)

(जनसंघ दल के सदस्य खड़े होकर मेजें थपथपाने लगे)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जब ट्रेजरी बेंचेज को कोई ऐतराज नहीं है तो श्री त्रिपाठी जी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

इस तरह से सदन चलने नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

('तानाशाही नहीं चलेगी', के नारे)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, मेरी अपील है. . . (व्यवधान) . . . . . को मौका दिया जाय।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह---

आपके जरिये मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं उनसे सहमत हूं जो बात वह कहने जा रहे हैं। वह बात सदन में कहने की उनको इजाजत होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष तो केवल चाहते हैं कि यह सारे आइटम निकल जायं और जब सातवां आइटम आता तो वह अपनी बात कहते।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हम बड़ी विनम्रता से नेता विरोधी दल से कहेंगे कि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय किया गया है, वह हम बरदास्त नहीं करेंगे और रूल ब्रेक करेंगे चाहे हमें निकलवायें। आपने हमें बोलने तक नहीं दिया। जब जीरो आवर आता है तो बोलने का अधिकार होता है। हम तो आपकी आज्ञा हमेशा मानते हैं। मुख्य मंत्री खड़े होते हैं तो हम उनका आदर करते हैं और बैठ जाते हैं। हमारा मन बहुत उद्वेलित है। हमें दो मिनट बोलने दिया जाय। अगर हमारे नेता विरोधी दल पहले यह कहते तो हमें शिरोधार्य था। लेकिन अब हम नहीं बैठेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

मैं समझता हूं माननीय नेता सदन को कोई ऐतराज नहीं है, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। लिहाजा उन्हें बोलने की अभी इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी माननीय संसदीय मंत्री ने 'आउट आफ टर्न' एक प्रसंग रखा। मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी खड़े हुए। मैं कह रहा हूं कि सचिव, विधान सभा सदन को सूचित करेंगे, परिवहन मंत्री पटल पर रखेंगे तो यह क्रम है। बाद में कोई रुकावट नहीं है। आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जो सूची क्रम है उसका अतिक्रमण करके करेंगे या नियमानुसार करेंगे। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की बात है तो किसी बात को जिसको माधव प्रसाद त्रिपाठी जी कभी भी किसी भी वक्त कहना चाहते हैं तो उसमें रुकावट नहीं पड़ी है। लेकिन यदि सचिव विधान सभा सदन को सूचित न करें, कोई मंत्री पटल पर न रखे, अध्यक्ष कोई घोषणा विशेषाधिकार की अवहेलना की न करें तो इससे क्रम बिगड़ता है।

चौधरी चरण सिंह--

मैं तो आपसे सहमत हूं। बेहतर होता कि क्रम से चलते और जब समय आता तो त्रिपाठी जी अपनी बात कहते। लेकिन अब जबकि उन्होंने कह दिया और माननीय नेता सदन को और मुझको भी कोई ऐतराज नहीं तो आप भी अपना आब्जेक्शन वापस ले लें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

नेता विरोधी दल और नेता सदन इस विधान सभा के ऊपर हैं ....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

व्यवस्था का सवाल है। या तो किसी नियम से सदन चलेगा या [×××] उनके बल पर सदन चलायेंगे ....।

(व्यवधान)

एक सदस्य--[×××]

श्री कल्याण सिंह--

इन्होंने गुंडागीरी शब्द का प्रयोग किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो शब्द माननीय काशीनाथ मिश्र ने प्रयोग किया है वह असंसदीय है। माननीय काशीनाथ मिश्र ने जिस परिवेश में उस शब्द का प्रयोग किया है वह अनुपयुक्त और असंसदीय है। कृपया उसको वह वापस ले लें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैंने किसी व्यक्ति के लिये गुंडा शब्द नहीं कहा। मैंने कहा है कि सदन में [×××]

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

अगर काशीनाथ मिश्र । मैंने इस विषय पर निर्णय दे दिया है । एक प्रसंग के तत्काल बाद जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह उसके लिये है। इसलिये वह इस शब्द को अतिशीघ्र वापस ले लें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, हमने किसी व्यक्ति के लिये उस शब्द को नहीं कहा है । मैंने तो एक जनरल बात कही है कि सदन नियम से चलेगा या [***] अराजकता से चलेगा ।

(इसके बाद श्री काशी नाथ मिश्र सदन से बाहर चले गये।)

(व्यवधान)

जनसंघ दल के कुछ सदस्य--

इस शब्द को निकाल दिया जाय, अन्यथा श्री काशी नाथ मिश्र के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाय ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, श्री काशीनाथ मिश्र ने आपकी आज्ञा का पालन न कर, निश्चय ही आपको और हमारे दल दोनों को, ठेस पहुंचाई है । इसका मुझे अफसोस है और आशा करता हूं कि माधव बाबू अब अपनी बात, जबकि वह आपकी आज्ञा पा चुके हैं, कहेंगे तो हम शांति से इस माननीय सदन में उनकी बात सुनेंगे ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, श्री काशीनाथ मिश्र अपने शब्दों को वापस लिये बिना आपके आदेशों के खिलाफ, सदन से बाहर चले गये हैं, तो क्या यह वह शब्द कार्यवाही में रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

वह नहीं रहेगा ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब मैंने बोलना प्रारम्भ किया तो, मान्यवर, आपने आदेश दे दिया कि परिवहन मंत्री जी प्रारम्भ करें। जब प्रश्नों का समय समाप्त हो जाता है और जीरो अवर प्रारम्भ होता है तो जो लोग अपने मन की बात कहना चाहते हैं, जिसको वे लिखकर नहीं दिये होते, कहना प्रारम्भ कर देते हैं । उस परम्परा के अनुकूल मैंने कहना प्रारम्भ किया । मैं मानता हूं कि अनुशासन का पालन होना चाहिये और नियम को मानना चाहिये । मैं यह भी मानता हूं कि जब नेता सदन खड़े हों तो बठ जाना चाहिये और नेता विरोधी दल खड़े हों तो बैठ जाना चाहिये । इस नियम से संबंधित जो जन-भावना है, उसका आदर करना चाहिये । लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि मैं जिस दल का सदस्य हूं और उस पर ठेस लगेगी तो मैं नियम का उल्लंघन करूंगा । इसलिये करूंगा कि वह मुझे किसी ग्रेटर काज के लिये करना पड़ रहा है । उस हालत में मैं नियमों का पालन नहीं कर सकता, चाहे मुझे यहां या बाहर कोई कुछ भी कहे ।

मान्यवर, उस दिन मुख्य मंत्री खड़े हुए थे । हमने प्रश्न रखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माननीय सदन को उड़ा देना चाहते हैं । इस संबंध में जो लोग पकड़े गये हैं उनके पास ग्रेनाइट और राइफलें बरामद हुयीं । उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वे प्रजातंत्र

[***]श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को उखाड़ देना चाहते हैं । इस सदन में हमला करेंगे तो हमारे ऊपर भी हमला होगा और मैं भी मरूंगा । हम सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, तो वह दूसरी बात है । लेकिन इस संबंध में जब हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए और यदि मैं उनको ठीक समझा हूं तो उन्होंने यह कहा कि इसकी रिपोर्ट सरकार के सामने भी आई है । उसकी जांच हो रही है और इस मामले को और उभारा न जाय अन्यथा जो जांच हो रही है, वह इससे प्रभावित होगी । यह मुख्य मंत्री जी ने कहा था और मैं बैठ गया । लेकिन सरकार की तरफ से दूसरे दिन उस हाउस में श्री राजमंगल पांडेय ने दूसरी राय व्यक्त की ।

माननीय पांडेय जी ने कहा कि वह ऐसा व्यक्ति है जो जनसंघ से संबंधित है । मान्यवर, यह हमारी पार्टी को मेलाइन करने के लिये कहा गया है । हमारे दल को बदनाम करने के लिये और नीचा दिखाने के लिये और हम सबको नीचा दिखाने के लिये यह सब किया गया । इस सरकार की क्या गति है ? पुलिस की जांच कैसी होती है । उसका रवैया कैसा है इसे आपने आध घंटा पहले देख भी लिया । कांग्रेस सरकार का जो हाल आज है वह यह है कि जिन्दे को मरा देखती है, मरे को जिन्दा देखती है, साधु को बदमाश कहती है और बदमाश को साधु कहती है। यानी कोई निष्पक्षता से काम यह नहीं करती । उसकी जांच हो रही है। ऐसी बेईमान तथा करप्ट मशीनरी से क्या न्याय की आशा की जा सकती है। पांडेय जी न कहा कि जनसंघ का आदमी संबंधित है । गवर्नमेंट के वह स्पोक्समैन हैं पांडेय जी और तिवारी जी दायें और बायें हाथ हैं । अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है तो न्याय कैसे होगा उस जांच में ? जांच अपनी मर्जी के मुताबिक होगी और तोड़ मरोड़ कर होगी । इस प्रकार यह घोर अन्याय हो रहा है । किसी पार्टी को मेलाइन करना कहां तक उचित है ? इस प्रकार क्या न्याय होगा ? पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमको शामिल करते तो हम निपट लेते । आप चौवन्नी भर कहेंगे तो हमारे पास बीस आने मशाला मौजूद है । यह कौन सा तरीका था कि बिना जांच किये हुए एक पार्टी को मेलाइन करने के लिये, बिना जांच किये हुए ऐसे शब्द कह दिये गये ? यह अन्याय क्यों किया गया ? या तो वे शब्द वापस लिये जायं वर्ना हम यह समझेंगे कि यह एक बहुत बड़ी कांसपिरेसी है । जनसंघ को बदनाम करने के लिए उसे प्रभावित करने के लिये, एस० एस० पी० से पूछा गया जनसंघ के बारे में । उन्होंने कहा कि जनसंघ का कोई आदमी शामिल नहीं है । ऐसी स्थिति में और क्या शंका हो सकती है सिवा इसके कि बदनीयती इस सारी इंक्वायरी के पीछे है ताकि जनसंघ को प्रभावित किया जाय, बदनाम किया जाय । नहीं तो आखिर किस वजह से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया ? आल इंडिया पार्टी यह है । कोई खेल नहीं है । काशीनाथ जी ने अभी गुंडई शब्द इस्तेमाल किया और बहुगुणा जी ने माफी मांग ली और अध्यक्ष ने कहा कि एक्सपंज हो जायगा । हम भी वसा ही करने लगें । फिर परम्परा कहां रहेगी ? मैं सरकार का स्टेटमेंट चाहता हूं कि इसका परिमार्जन वह करे, अगर नहीं करेगी तो हम सबको एक-एक करके आप निपटा लेंगे, हम सदन को नहीं चलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल उस सदन में उठा था । उस सदन की कार्यवाही के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उस सदन की कार्यवाही पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । ऐसे एक्सिडेंट के संबंध में सरकार जो घोषणा करती है उससे जनसंघ प्रभावित होता है, मेलाइन होता है, एडमिनिस्ट्रेशनल इंक्वायरी प्रभावित होती है । उसका परिमार्जन सरकार को करना होगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैं अभी अपील कर रहा हूं, निर्णय नहीं दे रहा हूं। वहां किसने क्या कहा इसका उल्लेख कर रहा हूं। यह नाजुक मामला है। आपके दल के लोग वहां सदस्य हैं। इसको वहां वे बहुत मजबूती के साथ उठा सकते हैं लेकिन इस सदन में ये शब्द किसी मंत्री के मुख से निकले नहीं हैं . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपका अभिप्राय मैं समझ गया और क्या आपकी व्यवस्था होने जा रही है। मैं उस व्यवस्था के सामने नतमस्तक हूं लेकिन मैं अपनी बात पर स्टिक करता हूं। यह बात जो वहां कही गयी पार्टी से संबंधित है। मैं अपने को नहीं समझा पाता कि गवर्नमेंट का वह स्टेटमेंट हमारी पार्टी को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन मैं सरेन्डर नहीं करूंगा। एक-एक करके आप हमारे माननीय सदस्यों को निकालिये। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरी दवा नहीं है। यह हमारी पार्टी को मेलाइन करने की बात हुई।

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरे सदन की बात है। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन से इस पर सोच-विचार कर हम अपनी राय देंगे।

चौधरी चरण सिंह---

आपने अपनी राय का संकेत तो कर ही दिया किन्तु निर्णय सुरक्षित रखा। मेरी दरख्वास्त आपसे यह है कि अभी आप निर्णय न दें और माननीय नेता सदन को भी अपनी बात कहने का मौका दें। मुमकिन है वह इन्सिस्ट न करें या करें। दूसरे हाउस में क्या चर्चा हुई, इस पर तो आप अपना निर्णय दे ही चुके हैं उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। शायद अब भी आपकी यही राय हो या न हो। लेकिन यदि माननीय नेता सदन को कोई आपत्ति न हो तो शायद वह मौका यहां पर पैदा ही न हो आपको व्यवस्था देने का। तो मैं माननीय बहुगुणा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस संबंध में अपनी बात कहें। यह बड़ा नाजुक मामला है। किसी पार्टी के लिये ऐसा नहीं कहना चाहिये। उस दिन जब मुख्य मंत्री ने कहा तो उसके बाद त्रिपाठी जी खामोश हो गये और कोई सप्लीमेंटरी सवाल भी उन्होंने नहीं किया। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा किसी पार्टी का नाम लिया जाना जब तक कि कोई इन्वेस्टीगेशन न हुआ हो, ठीक नहीं है। हो सकता है माननीय नेता सदन इस पर कोई अपनी ऐसी बात कहें जिससे शायद यह बात आगे न उठे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, मैं बदकिस्मती से उस सदन में हाजिर भी नहीं था। नियमतः मैं यह भी मानता हूं कि वहां पर कोई चर्चा हुई हो तो वह यहां पर नहीं हो सकती। लेकिन किसी प्रसंग में मन उद्वेलित हो जाता है। सचमुच तो मैं उस सदन की बात नहीं कहना चाहता कि किसने क्या कहा, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि इस पर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती और मामला ऐसा है कि जब तक चर्चा न हो तब तक मन को संतोष होना मुश्किल है। यदि मेरी पार्टी वाले भी कोई ऐसी बात कहते तो मेरा मन भी अवश्य उद्वेलित होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कक्ष में आपके समक्ष माननीय नेता विरोधी दल और माधव बाबू की उपस्थिति में सब बातों की जानकारी करके मालूम कर लें कि उस सदन में क्या हुआ। उसके बाद यदि माधव बाबू आवश्यकता समझें तो उसे किसी दूसरे रूप में एक वक्तव्य इस प्रश्न के उत्तर में हो जाय। अभी मुझे खुद मालूम नहीं है कि किसने क्या कहा। अगर हम चर्चा शुरू कर देंगे तो कई बार कांग्रेस के लिये कहा गया कि हमारी पार्टी के फलां आदमी ने ऐसा कहा तो हमारी पार्टी का अहित होगा। इस संबंध में मैं मामले के तथ्यों को न जानने के कारण कोई राय देने में अपने को संकट में पा रहा हूं। इसलिये मेरा सुझाव है कि आज स्वायत्त शासन का

मेरा बजट है उसके समाप्त होने के बाद आपके कक्ष में आप, माननीय नेता विरोधी दल और माधव बाबू बैठ जायं। मैं आप तीनों पर इस मामले को छोड़ दूंगा। जो निर्णय आप करेंगे उसको मैं मान लूंगा। आपके स्वविवेक पर इसका हल छोड़ देता हूं। लेकिन हमें दोनों सदनों के आदर और सम्मान को कायम रखना है, मर्यादा को कायम रखना है। ऐसा संगम बनाना है जिससे कोई मर्यादा टूटने न पाये।

जहां तक मेरा संबंध है मैं स्पष्ट तौर से एक बात तो कह सकता हूं कि किसी दल की कोई बात की कोई रिपोर्ट नहीं है कि फलां दल ने ऐसा करने की कोशिश की और ऐसी भी रिपोर्ट नहीं है कि जनसंघ ने ऐसा कोई काम किया। सूचना जो उन्होंने उठाई, उस सदन की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में, मैं नहीं कह रहा हूं। अब किस-किस बात की चोट कैसे-कैसे ठीक हो। मन उद्वेलित हो तो थोड़ा ठंडा होने के बाद बैठकर बात सोच सकते हैं। इससे ज्यादा रीजनेबिल हम क्या कह सकते हैं कि नेता विरोधी दल, माधव बाबू और मैं स्वयं आपके सामने बैठ जायें और आपके सामने स्वविवेक पर सब छोड़ दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात यदि पहले कह दी गई होती तो मैं ऐसा न कहता। तब तो यह स्थिति ही न पैदा होती। ठीक है, मुझे आशा है कोई रास्ता निकलेगा। अब मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग—अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या २९५२-टी/तीस-४-२४-बी-७३, दिनांक १७ अप्रैल, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को, उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९७४ तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४†

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि:—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९७४, जिसे विधान सभा ने दिनांक २० जून, १९७४ को पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हो गया है।

(२) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४, जिसे विधान सभा ने दिनांक २६ जून, १९७४ को पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ तथा उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

मानानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:--

(१) दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ जिसे विधान सभा ने दिनांक २० जून, १९७४ को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हो गया है।

(२) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७४, जिसे विधान सभा ने दिनांक २७ जून, १९७४ को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हो गया है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनायें कल जो मिली हैं, उनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक चौधरी रामपाल सिंह यादव की है। सर्वश्री रामपाल सिंह यादव रणधीर सिंह ने सूचना दी है कि मा० सिंचाई मंत्री ने १० जुलाई, ७४ के तारांकित प्रश्न संख्या (५), नत्थी (ख) पर एक गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है। माननीय सदस्य ने अपने इस आरोप का यह प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जिस पत्र को माननीय मंत्री जी ने प्राप्त किया हुआ स्वीकार नहीं किया है, उसके बारे में श्री मोहम्मद रशीद खां के प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। जबकि माननीय मंत्री जी का कहना है कि यह संबंधित पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न पर निर्णय देने के पूर्व माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण आवश्यक है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

यह १९ मार्च का पत्र है। सिंचाई मंत्री के पी० ए० को दिया गया है। कल माननीय मंत्री कहते हैं कि चार महीने के बाद भी नहीं मिला। यह बिल्कुल-गलतबयानी या गुमराह करने की बात है।

श्री अध्यक्ष--

अभी उनसे स्पष्टीकरण आयेगा तब मामला उठेगा। उनका स्पष्टीकरण तो आने दीजिये।

अब माननीय सत्यपाल मलिक ने एक विशेषाधिकार का आज दिया है।

श्री सत्यपाल मलिक ने सूचना दी है कि माननीय सिंचाई मंत्री ने ३ जुलाई, १९७४ को उनके तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर में सदन में बताया कि पूर्वी यमुना नहर को पर्याप्त पानी इसलिये नहीं मिल रहा है क्योंकि एक बैराज गलत बन गया है जिसके निर्माण की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, मगर वह उसे ठीक करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप किया है कि माननीय सिंचाई मंत्री ने अनुपूरक प्रश्नोत्तर के समय यह कहा कि नहर की पानी लेने की क्षमता पर्याप्त है और वह ज्यादा से ज्यादा पानी ले सकती है। माननीय सदस्य का कहना है कि यह सूचना जानबूझ कर बोला गया असत्य है और माननीय मंत्री जी का उद्देश्य इस गलत-बयानी करने में यह है कि वे गलती की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार पर डाल सकें।

माननीय सदस्य ने जो आधार दिये हैं वे केवल अनुमान और राय के विषय हैं, कोई ठोस आधार उन्होंने नहीं दिया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि माननीय मंत्री ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है ।

९ जुलाई, १९७४ को मैंने माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि माननीय सदस्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य या प्रश्नों के उत्तर में कोई विरोधभास या असत्यता पाते हैं तो यह उचित होगा कि इस संबंध में प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण करवायें न कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाकर स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।

यह जो सूचना है, इस में जो आप कह रहे हैं, बदनीयती होगी, यह अनुमान है ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

मेरा निवेदन है, जो प्रश्न मैंने उठाया है, मैं खुद विशेषाधिकार के प्रस्ताव को मजाक नहीं बनाना चाहता हूं । लेकिन यह कई बार सत्तारूढ़ दल की तरफ से कहा जाता है कि बगैर जानकारी के चीजें रख दी जाती हैं । जो प्रश्न मैंने उठाया है उसकी पूरी जानकारी मेरे पास है । मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री से मैंने अनुपूरक प्रश्न किये, कई बार जोर देकर यह बात पूछी कि क्या नहर की सामर्थ्य है कि वह बरसात में ज्यादा पानी ले सके । कई बार पूछने के बाद कहा, निश्चित है, सिर्फ बैराज की वजह से पानी नहीं आता । मैंने एक सूची तैयार की है, पिछले दस सालों में जो बैराज में हर साल पानी आया । एक मिनट सुन लिया जाय । मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपनी जिम्मेदारी को दूसरी सरकार पर डाल दिया है । जो अपनी कोताही से उसको छिपाने की कोशिश करते हैं । अगर पिछले दस वर्ष का आंकड़ा प्रिविलेज कमेटी मंगा लेगी तो सारी चीजें साफ हो जायंगी ।

श्री अध्यक्ष---

वह दस साल से मंत्री नहीं रहे । इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें । मैं उस प्रश्न को स्वीकार करूंगा । उसका जवाब माननीय सिंचाई मंत्री सोच-समझ कर देंगे । अगर कोई पुरानी बात और इसमें फर्क होगा . . . .

श्री सत्यपाल मलिक---

मैं इसमें आप से एग्री नहीं करता । अल्पसूचित प्रश्न का हाउस में जो जवाब होगा फिर उसमें असत्यता रहती है तो फिर मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष---

चौधरी साहब से आप बनवा लेंगे तो उनका जवाब देना ही पड़ेगा ।

श्री सत्यपाल मलिक---

जो मैंने निवेदन किया, जो मैंने जानकारी दी, क्या आप इस निश्चित राय के हैं कि माननीय मंत्री ने जो कहा है वह असत्य नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

हमारी राय का मतलब नहीं है । आप सवाल पूछते हैं वह जवाब देते हैं । आप संतुष्ट या असंतुष्ट हों । यह आपकी राय है । मैं देखता हूं कि नियमों के हिसाब से कैसे चलें । बस मेरे यहां बैठने का मतलब नहीं है कि मेरी कोई सहमति या राय उसमें है । एक प्रश्न आप उठायेंगे तो उसका जवाब आ जायेगा कि बदनीयती से नहीं किया । आपका जो साक्ष्य है वह आपके पास ही रह जायेगा । कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि साबित न हो । जैसा आपने कहा कि दस साल से यह मामला है । अगर वह यह कह दें कि हम तो एकाध साल से सिंचाई मंत्री हैं और यह सवाल बहुत पुराना है । यदि बदनीयती की बात आती है तो उसी समय से देखना होगा जब से वह सिंचाई मंत्री रहे । गवर्नमेंट की तो कंटीन्यूटी है लेकिन इसके बारे में देखना होगा ।

श्री सत्यपाल मलिक--

श्रीमन्, बदनीयती की बात इसलिये आती है कि मैंने कहा कि नहर की इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि बैराज ठीक नहीं है और वह हरियाणा सरकार के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष--

दो रायें हैं। एक मंत्री जी की और दूसरी आपकी। हो सकता है कि आपकी राय सही हो।

श्री सत्यपाल मलिक--

मेरी राय सही है।

श्री अध्यक्ष--

दो रायें हैं। एक मंत्री जी की और एक आपकी। हो सकता है कि आपकी राय सही हो। आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री सत्यपाल मलिक--

नियम ४९ के अन्तर्गत आध घंटे की चर्चा दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तथ्य आपको अलग से देने होंगे। जो सवाल आपने पूछा है और जो जवाब दिया है वहीं तक तो सीमित रहेगा। इसलिये आपको क्या फायदा है।

श्री सत्यपाल मलिक--

श्रीमन्, आप तमाम बुनियादी चीजों को कायदे कानून में खो देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

[illegible] की बात है तो नीयत के [illegible] में (माननीय असरार अहमद जी आप बीच में से [illegible] कर जा रहे हैं) (चौधरी साहब के लौटने पर, आप वहीं रहें) देखना होगा कि बद-नीयती है या नहीं। चौधरी साहब से बात कीजिये वह आपको ढंग बता देंगे।

श्री सत्यपाल मलिक--

अध्यक्ष महोदय, नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

वह कब हो। इसको समझ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, मैंने सदन के अवमान की सूचना दी है। जो यह पर्चा छपा है, ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि ऐसे कागज को आप दिखायेंगे उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यह कहां छपा, कैसे छपा, यह कोई विषय है।

(व्यवधान)

सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक १९ जुलाई, १९७४ को सदन की बैठक न हो और दिनांक १९ जुलाई, १९७४ और उसके आगे के दिनों को पड़ने वाले विधान सभा के कार्य-क्रम क्रमशः एक एक दिन बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दिनांक १९ जुलाई, १९७४ को सदन की बैठक न हो और १९ जुलाई, १९७४ और उसके आगे के दिनों को पड़ने वाले विधान सभा के कार्यक्रम क्रमशः एक-एक दिन बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बद्रीनाथ मंदिर के बिड़ला बन्धुओं द्वारा तोड़वाकर अपनी निर्माण शैली से बनाये जाने की सूचना से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिरों का प्रशासन एवं नियंत्रण "श्री बद्रीनाथ ऐण्ड श्री केदारनाथ टेम्पुल्स ऐक्ट, १९३९ [उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पुल्स (संशोधन) अधिनियम, १९६४ द्वारा यथा संशोधित]" के अधीन किया जाता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा ५ (३) के अन्तर्गत इस कार्य हेतु "श्री बद्रीनाथ ऐण्ड श्री केदारनाथ टेम्पुल्स कमेटी" गठित की गई है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा ५ के अनुसार उक्त मंदिरों के प्रशासन एवं उनकी व्यवस्था का पूरा अधिकार उक्त कमेटी में निहित है। इसी अधिनियम की धारा २३ के अन्तर्गत उक्त कमेटी, यात्रियों एवं दर्शकों की सुविधा के लिये भवनों का निर्माण, मंदिरों का का जिर्णोद्धार एवं उनके विस्तार इत्यादि के मामलों में स्वविवेकानुसार निर्णय लेने के लिये समक्ष हैं।

२--प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले २५ वर्षों में यातायात की अधिक सुलभता के फलस्वरूप प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या में आशातीत वृद्धि होने के कारण ही समिति का ध्यान बद्रीनाथ मंदिर के विस्तृतीकरण की ओर गया क्योंकि प्रायः दर्शनार्थियों की इतनी अधिक संख्या हो जाती है कि उनके लिये सुविधापूर्वक दर्शन कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है अतः समिति द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु श्री बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर को छोड़कर सकेके शेष भाग का विस्तृतीकरण कराये जाने के लिये फरवरी, १९७२ में निर्णय लिया गया। चूंकि इस कार्य पर बहुत अधिक व्यय अनुमानित है और मंदिर के कार्य से यह कार्य सम्पन्न होना संभव नहीं है, अतः समिति के प्रस्ताव पर बिड़ला बन्धुओं के जय श्री ट्रस्ट ने इस संबन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करने का दायित्व स्वीकार कर लिया है तथा समिति द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार यह कार्य किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा इस कार्य के लिये धन संग्रह हेतु अनेक दानदाताओं से अनुरोध किया गया था किन्तु केवल बिड़ला बन्धुओं ने ही समिति के अनुरोध को स्वीकार किया है।

३--शासन को समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि बिड़ला बन्धुओं द्वारा मंदिर को तोड़वाकर उसे उनकी निर्माण शैली में बनाया जा रहा है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मैंने यह प्रश्न उठाया था। अभी माननीय मंत्री जी के बयान में आया है कि उसमें दो चीजें देखने की हैं। एक तो यह कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अनेक दान

[श्री सत्यपाल मलिक]

दाता इस चीज के लिये तैयार थे जो कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये रुपया देते। उस हालत में अगर यह अपील की जाती तो तो हिन्दुस्तान भर के धार्मिक लोग रुपया दे सकते थे। मेरी आपत्ति यह है कि उसको बिड़ला साहेब बना रहे हैं। मेरे पास एक बोर्ड है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि "बिड़ला परिवार देवानाम प्रिय अशोक की भांति मानवता की रक्षा एवं सनातन हिन्दू धर्म के संवर्धन में संलग्न हो।" यह उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहली चीज यह है कि उसके ऐतिहासिक महत्व को कायम रखना चाहिये, उसकी शैली को कायम रखना चाहिये। उस बोर्ड की तस्वीर मेरे पास है। टाइम्स आफ इंडिया का प्रकाशन है--दिनमान। वहां के लोगों ने इस बात की आपत्ति की है कि यह बिड़ला शैली में नहीं बनेगा। इस मंदिर को बिड़ला के अलावा अन्य लोगों से बनवाया जा सकता है। बाद में इसको लोग बद्रीनाथ मंदिर के स्थान पर बिड़ला मंदिर कहने लगेंगे। इस तरह से जो इसकी महत्ता है वह समाप्त हो जायेगी और उस पर एक पूंजीपति का मुलम्मा चढ़ जायेगा। मैं मान्यवर, मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की वह कोशिश करेंगे कि इस मंदिर को अभी भी बिड़ला परिवार से छीनकर इसको जनता के रुपये से बनाया जाय।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, स्वतः जो वक्तव्य है उसमें लिखा है कि "चूंकि इस कार्य पर बहुत अधिक व्यय अनुमानित है और मन्दिर की आय से यह कार्य सम्पन्न होना सम्भव नहीं है, अतः समिति के प्रस्ताव पर बिड़ला बन्धुओं के जय श्री ट्रस्ट ने इस संबंध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करने का दायित्व स्वीकार कर लिया है तथा समिति द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार यह कार्य किया जा रहा है।" इस समिति के वह अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। उसने अपील की और अपील पर बिड़ला बन्धु आये और उन्होंने कहा कि हम इसमें धन लगायेंगे। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जहां पर बद्रीनाथ की मूर्ति तथा और देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं कोई भी उस मूल रूप को बदलने की कभी कोई कल्पना भी नहीं करेगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मेरी एक सलाह है अगर आपके द्वारा माननीय सदन मान ले, जितना उसकी कमेटी ने, जो आर्किटेक्चर ने नक्शा तैयार किया है, इस सदन के सब दलों के एक एक प्रतिनिधि बैठाल दिये जायं कि इसमें वह कोई परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं। सदन की इच्छा है कि परिवर्तन बिलकुल न हो, तो ऐसी कमेटी से राय मशविरा कर लिया जाय। हम लोगों के पास न तो कोई नक्शा है और न तो हम लोग कोई आर्किटेक्ट ही हैं, ७२ में कोई बात आई होगी, मैं समझता हूं कि इस विषय को खत्म करना चाहिये। सब लोग बैठ कर १५ दिन में हम उनसे कहते हैं कि सारा नक्शा यहां पर भेज दो आपके कमरे में, एक निष्पक्ष ढंग से उसको सब देख लिया जाय मिल कर और अगर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता न हो तो मना किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, यह नहीं है कि बिड़ला बन्धु बना रहे हैं या और कोई बना रहे हैं। प्रश्न यहां पर सिर्फ इतना है कि जो बद्रीनाथ मंदिर का जो बाहर का सिंह द्वार है उसको पुरातत्व के अनुसार बनाया गया और आर्कोलाजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने यह कहा कि अगर सिंह द्वार का परिवर्तन हुआ तो यह पुरानी कला जो है वह खत्म हो जायगी जब कमेटी बना कर अन्य दल के लोगों को बुलायें तो आर्कोलाजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुला लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुझे यह भी आपत्ति नहीं है कि आर्कोलाजिकल डिपार्टमेंट से भी परामर्श ले ली जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है उस बात से मैं सहमत हूं । मान्यवर, अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो उसका महत्व खत्म हो जायगा । बात यह है कि बिल्डिंग कैसी बने वह किस प्रकार सुन्दर लगे, इसका सबसे बड़ा महत्व है । कितने आदमी उस ऐतिहासिक स्थान के प्रति, उस मूर्ति के प्रति, उसका जो राष्ट्रीय स्वरूप है, उसके प्रति, उसे देखना चाहते हैं । उसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं होना चाहिये । एक बात मैं कहना चाहता था कि जब तक हम लोग कोई किसी निर्णय पर पहुंचते है, बैठक होती है तब तक वहां पर जो कार्य हो रहा है, वह पूरा हो जायगा । इसलिये तब तक के लिये उस कार्य को स्थगित कर दिया जाय और जो एक बड़ा भारी आन्दोलन का केन्द्र बन रहा है उनकी भावनाओं का भी आदर हो । वह स्थान भी देख लिया जाय , तब तक कि कोई कार्य निर्माण का हो रहा है, बंद कर दिया जाय और और इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद तब उचित कदम उठायें ।

श्री अवैद्य नाथ (जिला गोरखपुर)---

श्रीमान्, बद्रीनाथ मंदिर समिति में कुछ दिन पहले मैं भी एक सदस्य था । तब भी इस मंदिर के निर्माण की योजना पर विचार हो रहा था । बिड़ला बन्धु ने उस समय भी यह प्रस्ताव रखा था लेकिन समिति के लोगों ने उस समय इस बात को, उचित नहीं समझा था क्योंकि बिड़ला जी ने हिन्दुस्तान में जहां जहां भी मंदिर बनाये हैं उनकी ख्याति देवता नाम से नही हुई है बल्कि बिड़ला मंदिर के रूप में हुई है । हिन्दुओं के अन्दर यों भी बहुत से देवता हैं इसलिये खतरा इस बात का है कि भविष्य में इन ३३ करोड़ के बाद बिड़ला जी एक और देवता न हो जायं । उदाहरण स्वरूप जैसे दिल्ली में लक्ष्म नारायण मंदिर है उसे बिड़ला मंदिर कहा जाता है । तो इसलिये सरकार हमको इस बात के लिये आश्व त करे कि ये जो मंदिर बना रहे हैं, या जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वह बिड़ला मंदिर के नाम से न विख्यात हों । हमने उस समय यह कहा था कि ये बिड़ला जी जितना रुपया लगाना चाहें वह समिति को दे दें , हम उसे धन्यवाद सहित स्वीकार करेंगे और समिति स्वयं ही उस मंदिर को बनावे ताकि भविष्य में इस बात का खतरा न हो कि बद्रीनाथ में भी बिड़ला जी का मंदिर हो जाय ?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

माननीय अवैद्य नाथ जी ने जो फरमाया है और जिसकी ओर माननीय मलिक ने इशारा किया था यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व का है । सारे देश की श्रद्धा इस स्थान के प्रति है । यह सारे राष्ट्र की संपत्ति है । यह बात तो पीछे पड़ जाय और एक आदमी का नाम आगे आ जाय, यह बात उचित नहीं है । मेरा सुझाव है कि माननीय बहुगुणा जी ने जिस समिति का सुझाव दिया है उसे गठित किया जाय, और बिड़ला जी चाहे कितना ही रुपया दें, उनका नाम इससे किस हद तक एसोशिएट किया जाय या न किया जाय, इस बात पर विचार करें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

चाहे बिड़ला जी अरबों रुपया दें, किसी दीवार पर उनका नाम लिखा जाना हम स्वीकार नहीं करेंगे । बद्रीनाथ का मंदिर दूसरे नाम से पुकारा जाय, इसको हम कभी स्वीकार नही करेंगे । । वहां की जो कला है, उसकी एक विशिष्टता है, वह नष्ट हो, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे । मैं आर्किटक्ट का बड़ा विद्वान नहीं हूं । इतना मैं निवेदन कर सकता हूं कि मैं नक्शे मंगवा दूंगा और इस सदन के जो प्रतिनिधि हो वे इंजीनियरिंग विभाग के लोगों से व आर्कैलोजिकल विभाग वालों से सलाह लेकर सारी बातें तय कर लें । मैं आज ही तुरन्त यह आदेश दे दूंगा कि जब तक इस समिति का कोई फसला न हो जाय फिल हाल उसमें कोई तबदीली, तोड़ फोड़ या परिवर्तन न किया जाय । पहले जो इस समिति के सदस्य हैं शायद उनके साथ न्याय नहीं हुआ है । एक सदस्य इधर के हैं जो इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं, यदि स्वीकार करें तो उनकी भी बात सुन ली जाय ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, सदन में जो यह सवाल उठा कि यह बिड़ला मंदिर होने जा रहा है, उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि बद्रीनाथ के मंदिर में पुरातत्व की ही बात नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, कलाकृति कैसी है, वह बात नहीं है। अजन्ता और एलोरा की बात नहीं है। उसमें देश के करोड़ों निवासियों की भावनायें और श्रद्धा निहित है और आपके जगद्गुरु शंकराचार्य ने ८वीं शताब्दी में, १२ सौ वर्ष पहले यह स्वीकार किया है तो वक्तव्य में मुख्य मन्त्री जी और उनकी समिति ने कहा है कि उसके सिंहद्वार को छोड़ करके जो शेष भाग है उसकी तोड़-फोड़ उसमें होगी। तो मेरा कहना यह है कि उसे स्पर्श न किया जाय और अलग से बनाना हो तो समिति कितना ही बड़ा मंदिर बना ले। आवागमन में कठिनाई हो पर्यटकों को तो उनके लिये बना दें। लेकिन उसको न छुएं।

श्री रामलखन (जिला बस्ती)---

मैं थोड़ी सी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस वक्त बिड़ला बन्धुओं ने इसको बनाना स्वीकार किया है उस वक्त समिति के मेम्बर की हैसियत से हम मौजूद थे। हमने उनसे कमेटी के साथ प्रार्थना किया कि इसमें काफी रुपया लगेगा। अन्दाजा लगाया गया कि कम से कम ५० लाख रुपया लगेगा। पहले यह था कि पैदल चलकर हम लोग जाते थे, दर्शन कर आते थे। जब से सड़क बन गयी तो यात्री काफी संख्या में पहुंचते हैं और विन्ध्याचल देवी के दर्शन में जो मुसीबत होती है उससे वहां ज्यादा भीड़ की मुसीबत जिस समय होती है। बिड़ला बन्धु आये हुए थे। जब उनसे जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि हम मरम्मत कर सकते हैं। तो यह उन्होंने समिति की प्रार्थना पर स्वीकार किया। वे कल यह चाहते थे कि अपने तरीके से बनावें, पर हमें यह स्वीकार नहीं था। इसलिए उनका नक्शा ही मंजूर रद्द किया गया। उनसे लिखा-पढ़ी भी हो गई है कि मंदिर ज्यों का त्यों रहे, उसका उद्धार करें लेकिन प्राचीनता खत्म न हो। उस पर लड़ाई होती रही। अब उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं कि प्राचीनता बनी रहेगी, दो बार नक्शा रद्द हुआ है।

अब यह विवाद कैसे खड़ा हुआ। तो चूंकि जगह कम होती है इसलिये दरवाजा थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहां एक पत्रकार हैं, वह दूकान निकाले हुए हैं। वह हटेगी, इसलिए यह आन्दोलन है और आगे जाकर के गरम पानी का कुंड है वहां छाया बनेगी। नीचे से नदी काटते काटते ऐसी बह गयी है कि डर है कि वह मंदिर ध्वस्त हो जायगा और शायद अब १ करोड़ रुपया लगाना पड़े। जब नींव खोदी गयी तो इंजीनियर ने उनका काम टप्प कर दिया। नीचे मोरंग, बालू और पानी मिला। तो उसने कहा कि इसको तो ध्वस्त हो जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे रुका है। तो मोटी-मोटी छड़ों सीमेन्ट व गिट्टी से दीवार खड़ी की है। तो अब सभी का यही ध्येय है कि धन अवश्य लगेगा लेकिन प्राचीनता खत्म न हो। समिति जाकर देख आवे। बिड़ला बन्धुओं से लिखा-पढ़ी हो गई है। हम भी चाहते हैं कि प्राचीनता खत्म न हो।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम ५६ के अन्तर्गत कई सूचनाएं आयी हैं। एक देवरिया जिले के भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह को गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है जिसे माननीय, माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय कल्याण सिंह, माननीय बाबूलाल-बर्मा, माननीय हरिकेवल, माननीय पुरुषोत्तम, माननीय कृपा शंकर आर्य तथा माननीय बांकेलाल जी ने दिया है।

इसके अलावा नियम ५१ में भी इस सवाल को माननीय सदस्यों ने उठाया। तो इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है। इसके लिए दो घंटे की चर्चा होनी चाहिए। सदन के एक माननीय भतपूर्व सदस्या की हत्या हुई है। उस जनपद की यह दशा है कि १४ जनवरी को दिन में १० बजे देवरिया के पिपरा थाने में १४ व्यक्तियों की निर्मम हत्या की गयी और जिसमें सांस थी उनको जिन्दा जला दिया गया और बहुगुणा सरकार ने उस एस० पी० को आई० पी० एस० बना दिया।

१४ व्यक्ति १४ जनवरी को मार दिए गए और उस व्यक्ति को उन्होंने आई० पी० एस० बना दिया है। पी० ए० सी० में जूनियर कमांडेंट था बाबा राघवदास के उत्तराधिकारी को गोली से मार दिया गया। ऐसी दारुण परिस्थिति हमारे जिले में उत्पन्न है। १८ व्यक्तियों के हाथों में २५ लाख जनता के जन-जीवन को सौंप दिया गया है। ऐसे जघन्य अपराधी को बहुगुणा जी ने आई० पी० एस० बना दिया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इससे तो सभी सहमत होंगे कि यह कामरोको (नियम ५६) का विषय नहीं है। इसके बाद हम वक्तव्य लेते हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूं वक्तव्य के लिए। ५२ में तो चर्चा का विषय लिया जाता है। यह ५६ है। ५६ में आपने दिया है। उसको हम ५१ में हमेशा तब्दील करते हैं। दो बातें होती हैं, एक तो केवल वक्तव्य के लिए और एक वक्तव्य के लिए, जिसमें चर्चा हो जाती है। तो वक्तव्य के लिये इसे स्वीकार किया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

विशेषता यहां हो जाती है कि यह पोलिटिकल मर्डर हो रहे हैं। इसलिए विचार करना बहुत जरूरी है नहीं तो किसी की सुरक्षा नहीं रह जायगी।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

देवतहा हत्याकांड के बारे में इसमें लिखा है, मैं पढ़ दूं।

यह "विस्मिल" अखबार है। "देवतहा हत्याकांड में एक लाख घूस। लोम हर्षक हत्या में श्री राजमंगल पांडे की क्या भूमिका थी।"

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि जो सूचना प्राप्त हुई है उससे लगता है कि राजनीतिक हत्या में पुलिस का हाथ है इसलिए मुकामी पुलिस को हटाकर जांच करवाई जाय नहीं तो सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

वहां के एक एस० आई० ने लिखा था कि यह आर्म्ड गार्ड न हटाया जाय लेकिन पुलिस कप्तान ने षडयन्त्र करके एक दिन पहले आर्म्ड गार्ड हटा लिया....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसके अतिरिक्त शेष को अस्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री । वित्तीय वर्ष ७४–७५ के आय-व्ययक पर मतदान ।

(घोर व्यवधान । कई सदस्य एक साथ बोलते रहे ।)

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

(शोर के मध्य) मुझे देवरिया रेलवे स्टेशन पर मिल कर उन्होंने कहा कि मुझको शंका है कि मुझे लोग मार देंगे । मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे शंका है.....।

(श्री अध्यक्ष ने माननीय सदस्य का माइक बन्द कर दिया ।)

श्री अध्यक्ष—

(माइक बन्द होने के बाद भी श्री हरि केवल द्वारा बोलते रहने पर) यानी आप वक्तव्य नहीं चाहते, यही चर्चा चाहते हैं ?

अगर माननीय सदस्य बैठते नहीं हैं तो....

श्री हरिकेवल—

मेरे यहां पुलिस का आतंक मचा हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिए स्वीकार तो किया है, सारी बात क्या आप इसी समय कह देना चाहते हैं..... । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

एक मैंने दिया था.... ।

श्री अध्यक्ष—

एक दिन में एक ही स्वीकार किया जा सकता है । आप नियम को बदल दें, एक की जगह दो कर दें । अब आप दूसरे दिन दें, उस दिन फिर देखा जायेगा । जो सबसे महत्व का होता है उसे मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

एक हमारा बड़े महत्व का था.... ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

जो अस्वीकार किए हैं क्या उनको भी आप सरकार के पास कार्यवाही के लिये भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही के लिये तो मैं किसी-किसी को भेजता ही हूं । दो प्रतियां आती हैं, एक प्रति सरकार को मैं भेज देता हूं ।

श्री मधुकर दिघे—

आप जो प्रति कार्यवाही के लिए सरकार को भेजते हैं उस पर सरकार क्या कार्यवाही करती है उसका हमें पता नहीं चलता ।

श्री अध्यक्ष—

जानकारी का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे—

तो हमें कैसे जानकारी हो ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आप अल्पसूचित प्रश्न करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं यह अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि माननीय सदस्य दोबारा प्रश्न करें, जब आप सरकार के पास कार्यवाही के लिये भेज देते हैं तो सरकार का यह फर्ज होना चाहिए कि वे हाऊस को सूचित करें। आप इस पर विचार करें कि माननीय सदस्य को दोबारा सवाल न करना पड़े ।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, जिसको आप हमारे पास भेजते हैं उस पर जो आपके आदेश होते हैं उसका हम पालन करते हैं। आप यदि वक्तव्य के लिए हमारे पास भेजते हैं तो हम वक्तव्य देते हैं। जो भी सूचना हम एकत्र करते हैं वह सारी सूचना सदन के सामने रख देते हैं। सूचनार्थ भेज देते हैं। मैं निवेदन कर दूं जिस पर माननीय सभापति हमें आज्ञा करेंगे कि आप वक्तव्य दें शायद उस पर वक्तव्य होगा ।

चौधरी चरण सिंह—

सवाल यह है कि बीच में यह जो सप्लीमेंटरीज वगैरह होती हैं उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि हम देखेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे । मालुमात करेंगे, तो जो मालुमात वह करते हैं, देखते हैं, कार्यवाही करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वह नहीं जिसको कि माननीय स्पीकर कहते हैं । वह जिसका कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एश्योरेंस दिलाती है, तो गवर्नमेंट के एश्योरेंस पर कितना अमल हुआ, उसकी बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि आवश्यक कार्यवाही के हेतु । इस सरकार को २ प्रतियों में एक प्रति, सामन्यतः जब आप कहते हैं इसको कार्यवाही के लिए भेज दीजिए तो हम लिख देते हैं कि कार्यवाही की जाय । उसकी सूचना देते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का अपना फर्ज होना चाहिए कि जिस पर वह कमिटमेंट करती है उसकी सूचना खुद दें ।

१९७४—७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३४—आवासन, अनुदान संख्या ७१—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ३५—नगर विकास, अनुदान संख्या ६६—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या ८९—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—आवासन, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,४४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७१—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए १,२५,०८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५—नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,९५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६६—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,०२,४८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८९—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,७०,२८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, जो यह ग्रान्ट्स मैंने आपके सामने अनदान संख्या ३४,७१,३५,६६ और ८९ जो पेश की हैं इनमें मुख्य मांग मेरी स्वायत्त शासन सम्बन्धी है । शेष जो मांगे हैं वे पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्ट को जो रुपया दिया जायेगा उसे मकान बनाने के लिए दिया जायेगा । चाहे वे मकान अदालत के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों । इस तरह की मदें इसमें डाल दी गई हैं ।

ए० आर० सी० ने सिफारिश की है कि आवासन हेतु मकान बनाने के सिलसिले में एक ही के हाथ में रुपया जाना चाहिए । पी० डब्लू० डी० में जो ग्रान्ट्स दूसरी पेश की हैं उसी तरह इस ग्रान्ट में जो मुख्य हिस्सा होती थी लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सम्बन्धित वह सब काम पब्लिक हेल्थ में चला गया । यह भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक है । इस प्रकार सारा इस तरह का काम सदन ने पूरा कर

लिया है। इसके पहले विधान सभा अधिवेशन में इस ग्रान्ट के साथ जारी होती थी। इस प्रकार एक बहुत बड़ा बजटरी चैन्ज इस वर्ष हुआ है। उसका निवेदन मैं सदन के सामने कर रहा हूं।

मैं मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें स्वायत्त शासन की नीति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारी उत्कट अभिलाषा है कि हम उत्तर प्रदेश के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र जितनी भी नगरपालिकायें हैं, जितनी महानगर महापालिकायें हैं तथा जितनी नोटीफाइड एरिया हैं उनके चुनाव जल्द से जल्द करा दें। इनकी संख्या ५४० है। इन ५४० जगहों में ५ नगर महापालिकाओं, ४ नगर पालिकाओं का समय ३० जून, १९७३ को समाप्त हो गया है। वहां ९ महीने के लिए प्रशासक के हाथ में प्रबन्ध दे दिया गया है। उसी तरह ४ म्युनिसिपैल्टी जो इस वक्त नवम्बर के बाद से सुपरसीड चल रही हैं। इन म्युनिसिपैल्टीज, नगर महापालिकाओं के साथ-साथ जो नवम्बर, १९७३ के बाद प्रशासक के हाथ में आई हैं उन सब नगर पालिकाओं का, जैसे कि मुरादाबाद जहां १० वर्ष से चुनाव नहीं हुआ है, हमारी यह इच्छा है कि हम जल्द से जल्द इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

अब हमारे सामने इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उपस्थित हुए हैं। मैं इन विचारों को सदन के सामने इसलिए रख रहा हूं कि जो राय मिलेगी उसी के मुताबिक हम अपने चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम बनायेंगे। मान्यवर एक राय यह है कि लोकल बाडीज के जो म्युनिसिपल्टीज ऐक्ट हैं उसमें परिवर्तन किया जाय और इस विधान सभा के चलते ही बजट खत्म होने के बाद जो परिवर्तन आवश्यक हैं, अपेक्षित हैं उनको पास कराकर ऐक्ट में शामिल कर दिया जाय। आज जैसे सुपरसेशन की बात है। सरकार जब भी आती है, तो कुछ न कुछ म्युनिसिपैल्टीज सुपरसीड करने का बोझा उसके कन्धों पर आ जाता है। विरोधी पक्ष के लोगों को इस पर कभी संतोष नहीं होता है। वे कहते हैं कि यह राजनीतिक कारणों से होता है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी पक्षों की बातें उनके सामने नहीं होती हैं। अतः उनको इस सम्बन्ध में संदेह बना रहना आवश्यक है। जैसे कि इटावा को सुपरसीड किया। तो उस समय कांग्रेस के हाथ में शासन था। कांग्रेस बहुमत में थी परन्त गवर्नमेन्ट को दिखाई पड़ा कि प्रबन्ध ठीक नहीं है। अतः उसको सुपरसीड किया। कभी-कभी हाईकोर्ट में सरकार ने १०—१० म्युनिसिपल्टीज को सुपरसीड कर दिया परन्तु हाईकोर्ट ने उन सबको वापिस कर दिया। तो मुझे महसूस हुआ कि इसके अलावा कोई और रास्ता है जिससे कि सरकार के ऊपर न्यूनतम आक्षेप रहें। तो सरकार जबतक रहेगी तबतक आक्षेपों की सफाई देनी पड़ेगी।

सवाल यह हुआ कि सुपरसेशन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाय ऐक्ट में कि सरकार इसके अधिकार का तभी प्रयोग करें जब कि वह बोर्ड, जिसमें हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज, इस सदन के शासकीय और विरोधी दल के प्रतिनिधि, उनकी एक संख्या निर्धारित कर दी जाय, उसमें एक व्यक्ति जो नगरपालिका का अध्यक्ष या मेयर अनइन्ट्रप्टेड कई साल तक रहा हो, जिसे अनुभव हो, एक डाइरेक्टर लोकल बाडी हो, आदि यह रिकमेंड करे कि सुपरसेशन की आवश्यकता है, तभी किया जाय। कहने का मतलब यह है कि एक निष्पक्ष जमात होनी चाहिए। पहला तो अमेंड यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ महापालिकायें या नगरपालिकायें डबुल-मेम्बर कान्स्टीटूएन्सीज हैं। बहुत पहले यह कहा कि ऐसी डबुल मेम्बर कान्स्टीटुएन्सीज में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता और तिकड़म से लोग आ जाते हैं। कहन का अर्थ यह है कि ठीक

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

चुनाव दोनों के बीच नहीं हो पाता। चाहे एक ही पार्टी दोनों कैन्डीडेट खड़ा करे या निर्दलीय लोग हों, लेकिन अन्दर ही अन्दर खींचातानी चलती है और वोट के दिन किसका प्रतिनिधित्व होगा, तिकड़म से हो जाता है। अतः यह मांग की जा रही है कि सिंगल मेम्बर कान्स्टीटएन्सीज होनी चाहिए और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इसकी तादाद कम की जाय।

एक बात और कही गई कि जिस प्रकार पहले म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का एडल्ट फ्रन्चाइज से होता था वह हो और साथ ही नगरपालिका या कारपोरेशन के मेयर का कार्यकाल ५ साल होना चाहिए और कारपोरेशन का जो मेयर है उसको कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए। यह प्रश्न भी विचार में है। इस पर अभी कोई अन्तिम मत हम नहीं हो पाये हैं। १३ को तो रखा ही है। इसलिए मेरी इस माननीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना है कि अगर इस पर उनकी राय मालूम हो जाय तो इसका भी फायदा लेकर अपना निर्णय लेकर इसी सदन में रख दिया जाय और कोशिश इस बात की हो कि जल्दी से जल्दी वह बिल पास हो, साथ ही इस बात की कोशिश करें कि वर्ष के समाप्त होने के पहले ही हर म्युनिसिपैलिटी या जितनी संस्थायें हैं वह अतिक्रमित न रह जाय और जिस प्रकार से एक नोटीफाइड एरिया में तहसीलदार बैठा हुआ है या सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ है वह न रहे और जन प्रतिनिधियों के द्वारा वह संस्था चलाई जाय वह बन्दोबस्त करे और जैसा कि प्रजातन्त्र में अपेक्षित है सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, उस आधार पर स्वायत्त शासी संस्थाओं का स्वतन्त्र होना वह आवश्यक है और वह संस्थायें सचमुच में प्रजातन्त्र की बुनियाद जड़ बन जाय। इसलिए इस बजट को पेश करते हुए मैं आशा करता हूं कि जब आप इस विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की ओर कि क्या काम नहीं हुआ, क्या कमियां हैं क्या कमजोरियां हैं, जहां उस तरफ ध्यान दिलायेंगे वहां इस बारे में भी अपने दृष्टिकोण को भी बताने की कृपा करें ताकि इस मौलिक प्रश्न पर स्पष्ट विचार आ सकें। इधर पक्ष के लोग और उधर पक्ष के लोग इस पर भी डिस्कशन करें कि स्वायत्त शासी संस्थाओं का स्वरूप कैसा हो और यह स्पष्ट विचार बिना उस परिधि के जो दलों की परिधि है होना चाहिए। जिस दिन बिल आयेगा उस दिन तो सभी दल अपने-अपने विचार रखेंगे ही। आशा है इसकी संरचना के सिलसिले में आप परामर्श देंगे।

एक बात और है जिसमें मैं इस माननीय सदन का परामर्श चाहता हूं। हमने ६६ से कुछ सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज की हैं और माननीय उत्तर प्रदेश में एक डाइरेक्टर लोकल बाडीज बनाया है। उसके मातहत एक्जीक्यूटिव आफिसर, मेडिकल हेल्थ आफिसर के ट्रान्सफर वगैरह का काम चलता है। अब मांग यह है कि हैड क्लर्क, सेनीटरी इंसपेक्टर का भी वहीं कर दिया जाय। प्रश्न यह है कि तबादले की नीति क्या होनी चाहिए। इस पर भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य दलों के बन्धन के छुटकारे के साथ अपनी राय दें। मेरी मान्यता है कि अगर कोई चरित्रहीन अधिकारी है तो वहीं उसकी सजा कर दें बजाय इसके कि उसका ट्रान्सफर करें और उसके दो घर बना दें और वह करप्शन जो छोटी तनख्वाह वाले, ३०० रुपया ४०० या ५०० रुपया पाने वाले छोटे ही कर्मचारी हैं, कम से हैं और बड़े। जो अधिकारी आम सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड के बराबर हैं, उनकी वहां पोस्ट है तो उनका ट्रान्सफरेबुल मानने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शेष को ट्रान्सफरेबुल माना जाय या न माना जाय तो इस पर यह माननीय सदन अपनी राय दे जिससे कि हमें नियम बनाने में आसानी होगी।

सन् ६६ से ७४ यानी ८ साल का जो लोकल बाडीज का वर्किंग है मैं स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हूं। जो आकांक्षा थी वह पूरी नहीं हुई। उसका खुद का स्वरूप निखर नहीं पाया। अब किसका दोष है, किसका नहीं इसमें नहीं जाना चाहता। सरकार का ही दोष मैं मानता हूं क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि उसके रूप को ठीक करे। हम इस काम में लगे हुए भी हैं कि

कैसे उसको ठीक किया जाय। लेकिन जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाय कि हमको यथास्थिति रखनी है या उसमें परिवर्तन करना है तब तक उसकी पूरी परछांई, उसका पूरा निखार आ नहीं पायेगा। मान्यवर, यह भी सवाल है कि इन म्यूनिसिपुल बोर्ड्स के आय के साधन क्या हों। इनकी आय का आक्ट्राय सबसे मुख्य साधन है। लेकिन इस चुंगी में वसूल करने पर अलग-अलग खर्च आता है। मैंने इसके कुछ आंकड़े निकलवाये थे। लखनऊ में चुंगी वसूलने का खर्च १३.१२ परसेंट है कुल आय का। कानपुर में १७.१ परसेंट है जबकि तनख्वाह का लेवुल वही है। आगरे में ११.८८ परसेन्ट है, इलाहाबाद में ५.२ परसेंट है, वाराणसी में १२ परसेंट है। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर चुंगी वसूल करने में जो व्यय हो रहा है वह अलग-अलग है। इसी तरह से एक सैम्पिल सर्वे म्युनिसिपैलिटीज का करवाया। मथरा में १५.६१, शाहजहांपुर में १४.०५, फर्रुखाबाद में २२.६५ परसेंट है। यानी एक तरह से एनारकी है। वसूली के खर्चे में कोई एकरूपता नहीं है। स्पष्ट है कि व्यवस्था में काफी देखभाल की आवश्यकता है। इस देखभाल को कैसे किया जाय, स्वायत्त शासन संस्थाओं की आटोनामी कायम रखते हुये क्या नियंत्रण और क्या इंटरफिरेन्स किस हद तक गवर्नमेंट करे यह देखने की बात है। इसी तरह से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का सवाल है। कुछ म्युनिसपुल बोर्ड्स हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से पानी लेते हैं। पानी लेते हैं ज्यादा दाम पर और जनता को देते हैं कम दाम पर। घाटे में होता है तो हमसे पैसा ले जाते हैं हमारे साथ लेन देन होता है। तो इतना सारा बोझ है। इसके अलावा तनख्वाहें बढ़ती चली जा रही हैं। केन्द्रीय स्तर पर टाउन एरिया के कर्मचारियों को भी भत्ता मिलने लगा है। सारे का सारा पे स्ट्रक्चर का बोझ अगर उठाना है तो उसे कैसे उठाया जाय। उठाया जाय तो जो स्थानीय निकाय की आमदनी है, उसको बढ़ाने के लिये क्या किया जाय। हाउस टैक्स के एसेसमेंट में जब मेम्बरों के सामने बात जाती है तो इतने मेम्बर होते हैं कि वह सही-सही मूल्यांकन करना कठिन होता है। दबाव पड़ता है। इस काम के लिये लोग पार्लियामेन्ट के मेम्बर के पास नही जायेंगे। उसी तरह से जिस तरह से कि लेखपाल, ओवर-सियर, थानेदार और इन्जीनियर्स के मसलों को लेकर लोग आप लोगों के पास आना प्रीफर करते हैं, बजाय पार्लियामेंट के मेम्बर के पास जाने के। उसी तरह से कहीं बम्बा टूटा है, पानी नहीं आ रहा है, या दूसरी शिकायतें हैं, तो लोग म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर के पास ही जाते हैं, क्योंकि वह करीब होता है और छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। तो असेसमेंट के मामले में दबाव बहुत है। प्रश्न यह है कि जिन लोगों के हाथ में असेसमेंट है, उसे कान्टीन्यू रखा जाय या इसमें कोई इनडिपेन्डेन्ट व्यवस्था हो, जिसमें चुनाव का दबाव नहीं। जैसे सुपरसेशन के लिये अलग बाडी हो, उसी तरह से उसके लिये सोच रहे हैं। इसमें भी अगर माननीय सदस्यगण सुझाव देंगे, तो हमें उनकी राय के आधार पर अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी।

हमारे नगर काफी गंदे हैं। वैसे पब्लिक हेल्थ के बजट में काफी अच्छे सुझाव आये। शीवर, पानी, टट्टी, नाले आदि के बारे में कल था। लेकिन स्वायत्त शासन के संबंध में उतनी ही छूट होनी चाहिये। मैं नहीं चाहता हूं कि यह तो कल हो गया, आज क्यों बहस कर रहे हैं। आप लोग राय दे सकते हैं। सवाल यह है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उससे हर शहर में पानी देने के लिये, नालों की सफाई के लिये, अच्छे वाटर वर्क्स के लिये पैसा नहीं है। ग्रामीण अंचलों में तो और ज्यादा कठिनाई है। कहीं पर ६ लाख, कहीं पर १० लाख कहीं पर २ लाख, कहीं पर १ करोड़, की स्कीमें हैं। उनके मैन्टीनेन्स की बात अभी तक तय नहीं हो पायी। ये वाटर वर्क्स बन जायेंगे, तो इनकी रख-रखाव कौन करेगा। टूट-फूट कौन ठीक करेगा। इस पर भी राय चाहिये कि किस संस्था से किस प्रकार इसको किया जाय। गांवों को अगर पानी दिया जाय तो खर्च कहां से लिया जाय। यदि माननीय सदस्यों की राय हो कोई कर्ज न लिया जाय

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

तो उस खर्च को कहां से वसूल किया जाय। उस बोझ को उठाना पड़ेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि यह सदन सक्षम भी है और इतनी बुद्धि रखता है कि अगर कहीं कोई नई दृष्टि आवश्यक हो, तो उसे दे सके।

उसी प्रकार हमारा लखनऊ शहर ले लीजिये। बड़े-बड़े खुले नाले हैं। मच्छर भी हैं। वे नाले गोमती में गिरते हैं। कानपुर में गंगा में सलेज व सीवेज वाटर डालते हैं और इसी प्रकार इलाहाबाद में यह गन्दा पानी नदियों को गन्दा कर रहा है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर इस पानी को नदियों में न जाने दिया जाय ताकि मछलियों और इंसान पर कुप्रभाव जो पड़ रहा है न पड़े तो इसको रोकने के लिये जितने धन की आवश्यकता थी उसके लिये वर्ल्ड बैंक से बातचीत की गयी थी।

इसी माननीय सदन ने एक ऐक्ट बनाया कि एक वाटर एंड सीवेज बोर्ड बनेगा लेकिन इतने में असेम्बली खत्म हो गयी। पार्लियामेंट के सदस्यों की राय बनी नहीं। केन्द्रीय सरकार की कंसल्टेटिव कमेटी में तय हुआ कि इसे नहीं बनाना चाहिये। इतना बड़ा सूबा है। बलिया में पाइप टूट जाय तो एक जगह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जायगा। यह भी प्रश्न सामने था। वर्ल्ड बैंक की टाई पड़ी हुई है कि वह मदद तभी करेगा जब वाटर एंड सीवेज बोर्ड हम बनायें और यह बोर्ड चलेगा तो इकोनामिक प्रोपोजीशन पर चलेगा। इधर लोकल बाडीज तथा जिला बोर्डस जो इलेक्टेड बाडीज हैं उनका खयाल है कि पैसा वसूल नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक एक तरह का बैंक है। बैंक बिल प्रोपोजीशन अन्यथा नहीं होगा कि बोर्ड बन जाय सिर्फ रुपया लेने के लिये और अलग-अलग जिला परिषदों को दे दे। इस सदन की आज्ञा के अनुरूप हम चलें लेकिन मेरी निजी राय यह है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिये जो बैंकों तथा ए० एल० आई० सी० से लोन ले। इस ऋण को सीधे फनेल कर दे उस आर्गनाइजेशन को और इस बोर्ड को यू० पी० गवर्नमेंट की बैंकिंग हो और इस बोर्ड के जरिये प्रोग्राम बनाया जाय पीने के पानी का और नगरों में सलेज व सीवेज के वाटर को ठीक तरह से इस्तेमाल करने का। यह पानी नदियों में डालने के बजाय अगर खेतों में डाला जाय तो खेती की पैदावार बढ़ाने में यह भरपूर मदद दे सकता है बिना खाद के पैदावार बढ़ाने में। जहां कहीं ऐसे फार्म हैं वहां आप देख सकते हैं कितना उत्पादन उनमें बढ़ा है।

एक प्रश्न और हम सबके सामने है। एक मांग बराबर रही है कि काश्तकारों से जमीन किस भाव ली जाय। शहरों के पड़ोस में १०० तथा २०० एकड़ वाले खेत कहीं नहीं रह गये हैं। छोटे-मोटे फार्म हैं लेकिन जब शहर फैलने लगता है तो गरीब काश्तकार की जमीन जाने लगती है। खुद इस लखनऊ के चारों तरफ पांच एकड़ से कम के जो काश्तकार हैं उनकी संख्या ८० फीसदी हैं। उनको उनके खेत का क्या भाव दिया जाय। अब सस्ती से सस्ती जमीन हो, सस्ते से सस्ता मकान हो और सस्ते से सस्ते किराये पर हो और काश्तकार को अगर भाव भी सस्ता दिया जाता है तो खेत वाला मारा जाता है। उस गरीब से हमेशा के लिये हम उत्पादन का साधन छीन रहे हैं। हमारी मान्यता यह है कि अगर पांच एकड़ से कम के काश्तकार से जमीन ली जाती है तो उसे जमीन का मुआविजे देने के साथ उसके रिहैबिलिटेशन के लिये भी कुछ किया जाय। उसे इतना पैसा मिलना चाहिये कि वह कुछ कर सके। लेकिन अगर इतना पैसा देने लगते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। उस जमीन को जब बेचने लगते हैं उस भाव से तो बड़े लोग आने लगते हैं। लोकल बाडीज और स्थानीय निकाय अपने मकान बनाने लगते हैं। सच पूछिये तो मैं सोच रहा था और अपने मित्रों से कह भी रहा था कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाय। कितने ही लोग हैं जो कि म्यूनिस्पैलिटीज के इन मकानों में घुसे हुये हैं, रुपया भी नहीं देते हैं, किराया भी नहीं देते हैं और बैठे हुये हैं। यदि इनको बाहर निकाला जाय तो कहा जाता है कि बरसात में बच्चों को और बेवाओं को यह अन्यायी सरकार बाहर सड़क पर डाल देगी? गर्मी में निकाली तो कहा जाता है कि यह अन्यायी सरकार इस भीषण गर्मी और लू में

उनको बाहर डाल देगी, जाड़ों में निकालो तो कहा जाता कि इस कड़ाके के जाड़े और ठंड में वह इन गरीबों को सड़क पर डाल देगी ? हम बसन्त में भी नहीं निकाल सकते क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं,वे कहां जायेंगे, लिहाजा बसन्त बहार ही में गया। तो कौन से मौसम में यह कार्यवाही की जाय। इस देश में कोई ऐसा मौसम नहीं है। जब कोई वहां से जाता है तो अपने स्थान पर किसी न किसी को बैठा जाता है। एक इंडस्ट्रियल सब्सिडाइजिंग हाउसिंग स्कीम बनाई गई थी। हमारे यूसुफ साहब, जिनको हम मौलाना भी कहते हैं और कामन पारलेन्स में उन्हें "चाचा" भी कहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

चाचा और भतीजे में तो बड़ी दुश्मनी होती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह तो फ्यूडुअल अनुभव है लेकिन अब इन्डस्ट्रियल एज में यह बात बदल गई है। तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे मौलाना यूसुफ साहब इस बात क गवाह हैं कि एक इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो मकान बनाये गये उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। एक भी आदमी उसमें से नहीं निकाला गया। मजदूरों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जो लोग रह रहे हैं उनको रहने दो, मत निकालो। इसमें न उनका दोष है, न हमारा दोष है, दोष है मकानों की कमी का। जिन मजदूरों के लिये वे बने थे उनको हम वे मकान नहीं दे पा रहे हैं छेड़ते ह तो वह एक प्रसंग बन जाता है। हर किस्म के प्रतिनिधि उसमें आते हैं। उनको अपनी वोट पर भी नजर रखनी है। तो इन कारणों से हमारी समझ में साधारण तौर से नहीं आ रहा है कि क्या किया जाय.....

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

जब गवर्नर शासन हो, उस वक्त इनको निकाला जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

गवर्नर शासन के लिये तो मलिक साहब बहुत दिनों तक हाथ बांधकर बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब इतने कम समय आपने समझदारी का उपाय ढूंढ दिया तो यदि आप इस विषय पर देर तक सोचेंगे तो और समझदारी और अच्छा उपाय ढूंढ लेंगे। मान्यवर, मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार स्वायत्त शासी संस्थाओं के स्वायत्त स्वरूप, आटोनामस बाडी की आटोनोमी, को कायम रखने के लिये दृढ़-संकल्प है। हम इस सदन की सहायता चाहते हैं कि किस तरह से हम इस काम को आगे बढ़ायें, कारपोरेशन्स, म्यूनिस्पल बोर्ड, टाउन एरिया, सारे प्रदेश का डेवलपमेंट, पीने के पानी का बन्दोबस्त, सिलेज पानी की निकासी, बड़ी-बड़ी नदियों के पानी को खराब होने से बचाव, डाउन स्ट्रीम पर रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बचाव, आदि बहुत बड़े काम हैं जिसको हम सबको मिलकर हल करना है। इसके लिये जो मांग इस सदन में रखी गई है वह इतनी नहीं है कि वह इतने बड़े-बड़े कार्यों के लिये बराबर हो सकें। हमें इस कार्य को नान-पार्टी बेसिस पर देखना चाहिये। हमारे जितने भी राजनैतिक दल हैं वे इन स्वायत्त शासी संस्थाओं को दलीय आधार पर न दखकर उसके सुपरसेशन की जो ताकत है वह एक इंडिपेंडेंट अथारिटी की राय पर हो तो मैं समझता हूं कि जो प्रजातंत्र की कमजोर टांग इस धरती पर है वह और मजबूत हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि इन कठिन सवालों पर रोशनी डालकर वे हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि ताकि इस प्रदेश की सेवा करने में हम सक्षम हों।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

एक बात मैं यह जानना चाहता हूं ये जो ४ महापालिकायें हैं....

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं, कटौती के प्रस्ताव पर केवल कहा जा सकता है।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७१ के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। (इस समय १ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए।) मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६६के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। तथा श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, जैसा कि अभी-अभी मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रजातन्त्र के अन्दर विशेष महत्व है और ये स्वायत्तशासी संस्थायें ऐसे स्थान हैं, जहां पर प्रजातन्त्र पनपता है, फलता है, फूलता है। अपने देश में महान् नेता जो हुए हैं, उनके राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ नगरपालिकाओं से हुआ है। इसमें हम सरदार बल्लभ भाई पटेल, देशबन्धु चितरंजन दास, सुभाषचन्द्र बोस, पंडित जवाहर लाल नेहरू, राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास और स्वस्थ संचालन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुये मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री एस० एन० सिन्हा ने कहा था--"Local bodies may be described as miniature legislature where our future parliamentarians get their initial training." अर्थात् स्वायत्तशासी संस्थायें वे संस्थायें हैं जहां पर भावी विधायक और संसद सदस्य जनतन्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्वायत्तशासी संस्थाओं का लोकतान्त्रिक प्रणाली में बहुत महत्व है। अब हमें देखना यह है कि क्या हमारी प्रान्तीय सरकारें और विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार इस लोकतान्त्रिक प्रणाली को स्वायत्तशासी संस्थाओं में जीवित रखने के लिये, उनका उचित पोषण करने के लिये स्वायत्तशासी संस्थाओं को उचित मार्गदर्शन, उचित प्रोत्साहन दे रही है।

हम देखेंगे कि जो वास्तविक चित्र है वह ठीक इसके विपरीत है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आबादी, विशेष कर शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी का विशेष महत्व है। अपने देश के अन्दर जो सबसे बड़े नगर हैं, इन १५ महानगरों में हमारे पांच कबाल टाउन्स का स्थान है। जो देश में प्रथम श्रेणी के नगर है उनमें सबसे अधिक नगर अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। हमने अपने देश में और अपने प्रदेश में औद्योगीकरण की नीति अपनायी है और औद्योगीकरण जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे नगर क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की समस्या हमारे सामने आयेगी। १९३१ में जो नगर क्षेत्रों में रहने वाली आबादी थी उस का ठीक तीन गुना १९७१ में हो गयी है। सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि १९७१ में प्रति सात व्यक्ति पर एक आदमी नगर क्षेत्रों में रहता था। यह संख्या १९७१ में बढ़ कर पांच व्यक्तियों पर एक व्यक्ति हो गई है। नगरों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिये तथा लोकतन्त्र की रक्षा के लिये हमें इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा को अपने हाथ में ले कर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के हाथ में दे दिया। इस तरह से नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को प्राइमरी शिक्षा से छुट्टी मिल गयी। आवास विकास

परिषद् का अधिनियम बना कर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं को इस काम से छुट्टी दे दी। जिल परिषद् और मल परिषद् भी बनाने का विचार हो रहा ह और अगर यह काम वाटर वर्क्स और सिवेज का इन परिषदों के हाथ में चला गया तो नगरपालिका बैठ कर क्या करेगी ? केवल मरने वाले और जीने वालों का नाम लिखेगी और झाड़ू पंजा लकर बैठेगी ? अथवा उसका क्लब का स्वरूप हो जायगा नगरपालिकायें कौन सा काम करेंगी इसलिये अगर स्वायत्त-शासी संस्थाओं में लोकतन्त्र को जीवित रखना है, उनके जिम्मे कुछ काम सौंपना है वहां पर भावी नेताओं का प्रशिक्षण होना है तो आवश्यकता इस बात की है कि नगरपालिकाओं को जिम्मे- दारी सौंपी जाय। और जिम्मेदारी सौंपते हुए उनका उचित मार्ग दर्शन किया जाय और उचित ढंग से संचालित किया जाय।

जहां तक मार्ग दर्शन और संचालन का प्रश्न है इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९१६ का जो कानून है वह अंग्रेजों का बनाया हुआ है। उसमें अब तक ४२ बार संशोधन हो चुके हैं लेकिन इन संशोधनों ने इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कदम नहीं उठाये हैं। बल्कि यह देखा गया है कि यह संशोधन तथा अधिनियम नगरपालिकाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने पंजे में जकड़ती चली जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम का उदाहरण देना चाहता हूं। इसकी धारा ३० से लेकर ४८ तक में इस बात का प्राविधान है कि सरकारी अधिकारी जिला कलेक्टर, कमिश्नर तथा प्रान्तीय सरकार नगरपालिका के गले में फन्दा डाल कर चाहे नचाते रहें और जब चाहें तब उसको कस कर सुपर सेशन कर लें।

सुपर सेशन के बारे में भी जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि विधेयक में संशोधन आने वाला है। मैं उसका स्वागत करता हूं और जैसा कहा गया है कि इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश को इसमें रखने की जरूरत है, यह स्तुत्य है और इसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक सुझाव देना चाहता हूं कि सुपर सेशन के विषय में जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार नगरपालिका का सुपर सेशन हो गया तो उसका समय अनिश्चित काल तक के लिये बढ़ाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस अनिश्चित काल तक के लिये बढ़ाये जाने के प्राविधान को समाप्त कर दिया जाय और निश्चित समय रखा जाय कि इसके आगे सुपर सेशन नहीं चलेगा।

सुपर सेशन के संबंध में एक विशेषज्ञ ने राय दी है और सुपर सेशन का विरोध किया है। इस सम्बन्ध में श्री गिरजापति मुकर्जी जो डायरेक्टर फार ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन म्य० एड० New Delhi उन्होंने एक लेख "Problem of Urban Government" में लिखा है कि—

"The Central Government in defence of Constitutional propriety does not take any responsibility for Urban Government and the apathy of the State Government is notorious."

केन्द्रीय सरकार अपने संवैधानिक औचित्य की आड़ में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। जहां तक स्वायत्तशासी संस्थाओं का सवाल है और प्रान्तीय सरकार की उदासीनता है, वह तो अपना विशेष स्थान रखती है। इसी प्रकार से उन्होंने यह भी कहा है कि—

"Neglect and direction are thus writ large on the Indian Urban Scene."

उन्होंने सुपर सेशन का विरोध करते हुए कहा है कि—

"Absence of relationship (positive and purposeful) at the State level it is by and large rather negative-prolonged indifference followed by drastic action-supersession".

[श्री अवधेश कुमार]

और उन्होंने सुझाव दिया कि—

"Towards this end they should act as friends and benefactors and not as powerful rivals or disinterested spectators."

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सुपरसेशन का जो अंकुश है इसे समाप्त किया जाना चाहिए। जसा कि मा० मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सुपरसेशन के पीछे राजनतिक कारण नहीं हुआ करते और उन्होंने इटावा का उदाहरण दिया, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि सन् १९६९ में गोरखपुर को क्यों अवक्रमित किया गया। क्या कारण था। एक मात्र कारण यह था कि वहां पर जनसंघ पावर में थी और चार्ज क्या लगाया गया कि नगरपालिका के ऊपर आपक फाइनेंसेज ठीक नहीं हैं। फाइनेंसेज के बारे में नगरपालिका ने उत्तर दिया और यह बताया कि हमने आमदनी नगरपालिका की बढ़ाई ह और १९६४ में जब जनसंघ नगरपालिका में आयी उस समय उसमें चुंगी से आय १२.५ लाख रुपया थी और उसको बढ़ा कर १९६९ में जब छोड़ा उस समय उसमें २१.५ लाख कर दिया था। इसके अतिरिक्त वहां की नगरपालिका ने भवनों का निर्माण कराया जिससे लगभग ३ लाख रुपये वार्षिक की आय होने की संभावना थी। और कहा यह जाता था कि आप कर्जे को नहीं दे पा रहे हैं। कर्जा की किश्तों को नहीं दे पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार दोषी ह। यह कर्जा अगर लिया था तो पूर्वजों ने लिया था। पूवजों का कर्जा जनसंघ भर रहा था। यह कर्जा मिसाल के तौर पर यह कर्जा था। वाटर वक्स बनाने के लिए और सीवरेज की लाइन बनाने के लिए। वाटर वर्क्स का काम स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग कर रहा था और सीवरेज का काय भी स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग कर रहा था। जो त्रुटिपूर्ण कार्य हो रहा था उसके बारे में भतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका श्री लक्ष्मी शंकर खरे और अन्य लोगों ने प्रान्तीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और यह कहा था कि यह जो सीवरेज की लाइन डाली जा रही है यह गोरखपुर के लिए पर्याप्त नहीं है यह चोक हो जायेगी। यह सारा काम दोषपूर्ण ह। इसको किसी विशेषज्ञ से अथवा किसी अन्य विभाग से जांच करायी जानी चाहिए, लेकिन प्रान्तीय सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी और आज लगभग १२ वर्ष हो गये हैं उस सीवरेज के कार्य को शुरू हुए लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सीवरेज की लाइनों को स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने नगरपालिका को पूरा नहीं सौंपा है। यह जो खर्चा है उसको आप गोरखपुर के नागरिकों से वसूल करेंगे, लेकिन आप टैक्स तभी वसूल कर सकते हैं जब उचित रूप से उनको सुविधा मिले। लेकिन आप सुविधा भी नहीं देंगे और टैक्स भी जबरदस्ती वसूल करेंगे। यह कहां का न्याय ह। इस सम्बन्ध में गोरखपुर की जलकल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने यह कहा कि गोरखपुर के जलकल के सिलसिले में अन्डर ग्राउन्ड टैंक बनाया जायेगा। उसके बन जाने के बाद भी पूरे नगरपालिका क्षेत्र को पानी की सप्लाई नहीं हो पाती थी। फिर स्वायत शासन अभियन्त्रण विभाग ने कहा कि इसको बदला जाये और ओवर हेड टैंक बनाया जाये। परिणामस्वरूप और कर्जे की आवश्यकता पड़ी और कर्जा लिया गया और ओवर हेड टैंक बना। उसके बाद और कर्जा लेकर कई ओवर हेड टैंक बनाये गये जब कि प्रारम्भ में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने कहा था कि जो कर्जा लिया जा रहा है इसी में पूरे नगर के पानी की पूर्ति हो जायेगी।

आज स्थिति क्या है मा० मुख्य मंत्री महोदय कृपया ध्यान देंगे कि १२ वहां पर ट्यूबवेल्स हैं उनमें से ७ खराब पड़े हुए हैं। कुल ५ ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं और नीचे के स्तर पर भी, ग्राउन्ड फ्लोर पर भी लोगों को जल पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। समय-समय पर लोगों ने गोरखपुर के नागरिकों ने अखबारों में लेख लिखकर नगरपालिका के प्रशासक महोदय का ध्यान दिलाया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां के लोग एक-एक बूंद पानी

के लिए तरस रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि धारा २२८ यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज के अन्तर्गत यह है कि नगरपालिका क्षेत्र में वाटर टैक्स लगाये जायं उस नगरपालिका क्षेत्र के पानी का प्रेशर मैनटेन करने के लिए एक नियमावली बनाई जाय और म्युनिसिपल बोर्ड मैन्युअल में जो नियमावली दी गई है उस नियमावली के अन्दर यह आवश्यक है कि २५ फीट की ऊंचाई तक पानी का प्रेशर मैनटेन करना आवश्यक है। पानी का प्रेशर ऐसा हो कि २५ फिट तक पानी पहुंच सके। अब आप स्वयं विचार करें कि कौन सी नगरपालिका ऐसी है कि जहां पर २५ फुट तक पानी चढ़ जाता है। अध्यक्ष महोदय, नगर की बहुत सी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर भी पानी नहीं चढ़ रहा है। तो क्या औचित्य है, पानी का टैक्स लगाने का ? मान्यवर, पानी का टैक्स वसूल करने के लिए लोगों को नगरपालिकाओं की तरफ से नोटिसें भेज दी जाती हैं चाहे पानी उसे मिलता हो या न मिलता हो। श्रीमन्, इस प्रकार से अगर नगरपालिका पानी का टैक्स लेगी तो जनता भी उस के खिलाफ इन्जेक्शन का दावा कर सकती है। लेकिन यहां के लोग यह टैक्स देने के लिये मजबूर हो गये हैं पानी मिले या न मिले। नगरपालिका उनसे टैक्स वसूल करेगी। यही कारण था कि गोरखपुर के नागरिकों ने इन टैक्सों का विरोध किया था और कहा था कि जब तक यह जो सीवरेज की लाइन डालने में गड़बड़ी की गई है इसकी जांच नहीं होती तब तक हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की वसूली रोक दी जाय और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की वसूली न की जाय। लेकिन प्रान्तीय सरकार ने एक नहीं सुनी और गोरखपुर की नगरपालिका को अवक्रमित कर दिया।

अब मैं जौनपुर नगरपालिका का दृष्टान्त आपके सामने रखूंगा। जौनपुर में भी जनसंघ का बोर्ड था, बहुमत जनसंघ का था, वहां की नगरपालिका को भी राजनैतिक कारण से अवक्रमित किया था, मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वह पूर्णतया सरकार के विरुद्ध था। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अवक्रमण गलत तरीके से अवक्रमित किया गया है। मिर्जापुर बोर्ड की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मिर्जापुर में भी जनसंघ का बहुमत था, वहां के बोर्ड को भी अवक्रमित किया गया। इसके विपरीत एक रामपुर की नगरपालिका है। रामपुर की नगरपालिका के बारे में कमिश्नर महोदय की आख्या है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि रामपुर की नगरपालिका को अवक्रमित किया जाय। लेकिन रामपुर की नगरपालिका को अवक्रमित नहीं किया गया तो इसके पीछे अगर मैं कहूं कि वे राजनीतिक कारण हैं, नगरपालिकाओं के अवक्रमण में तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अवक्रमित करने के राजनीतिक कारणों को प्रोत्साहन न दें और ऐसी व्यवस्था बनायें कि स्वायत्त शासी संस्थायें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और वहां पर लोकतंत्र विकसित हो सके।

सुपरसेशन के बारे में एक शब्द और निवेदन कर दूं। १९५३–५४ में एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन नियुक्त हुआ था। उसने यह रिपोर्ट दी थी कि—

"Government control and help should, however, be not so meticulous or minute as to destroy the autonomy or self-reliance of local bodies. The goal of the State effort as well as the purpose of State control should be the development of local self-Governing institutions into efficient instruments of administration capable alike of formulating policies and of executing them."

[श्री अवधेश कुमार]

इसका सारांश यह है कि सरकार का नियंत्रण जो होना चाहिए वह नगरपालिकाओं को प्रोत्साहित और उनके विकास करने का होना चाहिए। इस सम्बन्ध में साइमन कमीशन ने बहुत पहले कहा था कि जहां सरकार का काम चाबुक और लगा न से चल सकता हो वहां पर कुल्हाड़ी से काम नहीं लेना चाहिए। Where spur and rein is needed the Government has been given the use of a pole axe.

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वयं उस ओर ध्यान है और वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

इस अवक्रमण के सिलसिले में एक बात और निवेदन कर दूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जहां-जहां भी आपने प्रशासकों को महापालिकाओं में नियुक्त किया है, वहां-वहां से अनेक प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। बनारस की महापालिका के जो प्रशासक हैं, इस समय वे उस जिले में ८ वर्ष से पड़े हुए हैं और इस समय भी प्रशासक का काम कर रहे हैं। वहां के नागरिकों ने एक प्रार्थना-पत्र हमारे नेता विरोधी दल को दिया है जिसमें उनके खिलाफ अनेक गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। एक आरोप तो यह है कि उन्होंने अल्प आय आवास योजना के अन्तर्गत अपनी पत्नी के नाम से भूमि लेकर २ लाख ५० हजार रुपये से एक भव्य भवन निर्माण कराया है और उसे १ हजार ३०० रुपये प्रतिमाह के किराये पर दे रखा है जब कि उसका एसेस्मेंट केवल ६०० रुपया वार्षिक पर किया गया है। इसके अलावा अन्य भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। वे स्वयं सरकारी बंगले में रहते हैं और अपने भवन को किराये पर दे रखा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके विरुद्ध जो ये आरोप लगाये गये हैं, उनकी जांच करा कर वाराणसी की महापालिका को उनके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायें। एक बात मैं और निवेदन कर दूं मुख्य मंत्री जी से। एक नगरपालिका के अध्यक्ष पद संभालने के नाते मैं कुछ ऐसे सुझाव देने जा रहा हूं जिनकी ओर मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे। और अगर ध्यान दिया गया तो मुझे विश्वास है कि नगरपालिकाओं की स्थिति सुधरेगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वह अपना भाषण कितने समय में समाप्त करेंगे?

श्री अवधेश कुमार--

श्रीमन्, अभी तो मैं समझता हूं, आधा घंटे का समय और लूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अभी तो सबेरा हुआ है। (हंसी)।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको बीच में टोकने की इसलिए धृष्टता की है कि आपके अतिरिक्त और अन्यान्य दलों के कई और माननीय सदस्य आज के बजट पर अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री अवधेश कुमार--

मैं बाद में अपना समय कम लूंगा, लेकिन प्रारम्भ में मुझे कुछ समय बढ़ा दें ताकि मैं पूरी बात कह सकूं।

श्री अधिष्ठाता--

बढ़ाने की थोड़ा कम करने की बात कीजिये।

श्री अवधेश कुमार—

मैं संक्षेप में ही कहूंगा। मैं स्वायत्त शासन अभियंमण विभाग के बारे में कहूंगा कि यह विभाग उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं के लिए एक अभिशाप बना हुआ है और जोंक की तरह उनका खून चूस रहा है, पैरासाइट बना हुआ है। अगर मुख्य मंत्री जी नगरपालिकाओं को स्वस्थरूप से कार्य करने देना चाहते हैं तो इस विभाग से उन्हें मुक्ति दिलायें। क्योंकि जहां कहीं भी...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आल्टरनेटिव, विकल्प बतायें।

श्री अवधेश कुमार—

अधिकांश जो बड़ी नगरपालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पास क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और ओवरसियर्स हैं और मैं समझता हूं कि जो जल-कल की लाइनें डालने वाला काम है, वाटर-वर्क्स की लाइनें डालने का काम है वह अगर उन क्वालिफाइड इंजीयनियर्स और ओवरसीयर्स से कराया जाय तो मेरा विश्वास है कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से अच्छा काम हो सकता है। यह अलग बात है कि प्रारम्भिक नकशा या परामर्श पी० डब्लू० डी० का अन्य किसी विभाग से ले लें, लेकिन जो निर्माण-कार्य हो वह नगरपालिकाओं के इंजीनियरों और ओवरसियरों की देख-रेख में होना चाहिए, क्योंकि लोकल -सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग में ७५ फीसदी पैसा ठेकेदारों, लोकल-सेल्फ इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों ओवरसियरों के हाथ में चला जाता है और बाकी जो बचता है वह इतना कम बचता है कि उससे सुचारुरूप से काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग को समाप्त किया जाना चाहिए और अगर इस विभाग से कुछ काम लेना ही है और हमारी सरकार को इससे कुछ विशेष उंसियत है तो अन्य जगहों पर काम लें, लेकिन प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं को इनसे मुक्ति दिलाई जाय। मैंने मुख्य मंत्री जी को बताया कि किस प्रकार से इस विभाग ने गोरखपुर की एक नगरपालिका में सिवरेज लाइन और वाटर वर्क्स लाइन में गड़बड़ की है और अन्य जगहों पर भी इसमें गड़बड़ियां की हैं और अनावश्यक रूप से नगरपालिकाओं के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ाया है।

दूसरी बात सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के बारे में कही गयी है। १९६४ में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करके १९ प्रकार की सेवाओं को सेन्ट्रलाइज्ड कर दिया गया और इनका महापालिकाओं में भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इससे अनुशासनहीनता आयी है और कार्य की दक्षता पर प्रभाव पड़ा है। जो सेनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं ओवरसियर, आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, एसे लोग अब अपने को नगर-पालिका का कर्मचारी नहीं मानते और न नगरपालिका के अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों के अनुशासन में रहना चाहते हैं। वे तो केवल लखनऊ के चक्कर काटा करते हैं कि किस तरह से हमारा स्थानान्तरण हो और स्थानान्तरण रुके। केवल इसी में उनकी रुचि है और वास्तव में नगरपालिका के कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। साथ ही साथ अगर नगरपालिका के अध्यक्ष इन कर्मचारियों के कार्य से असन्तुष्ट होकर इनके विरुद्ध कोई कार्य-वाही भी करना चाहते हैं तो वह मजबूर हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। तो सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज में कम से कम ऐसे लोगों को, जिनका सम्बन्ध सीधा जनता से है, पुनः नगरपालिका के अधिकारियों के अधीनस्थ करना चाहिये, जसे सेनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, ओवरसियर्स हैं, और अन्य पद हैं। जिनका सीधा सम्बन्ध जनता से होता है। ये लोग जब एक जगह से

[श्री अवधेश कुमार]

स्थानान्तरित होकर दूसरी जगह जाते हैं तो वहां की गलियों, कूचों, सड़कों, नालियों आदि से परिचित होने में कुछ समय लगता है और बड़े नगरों में तो यह परिचय प्राप्त करने में काफी समय लगता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप की राय में यह नहीं करना चाहिये ?

श्री अवधश कुमार--

जी हां । बाकी अधिकारी, जैसे एग्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं, मेडिकल आफिसर हैं, इनकी बात दूसरी है ।

अब मैं फाइनेन्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि स्वायत्त शासन संस्थाओं को अगर बढ़ाना है तो उनक रिसोसज को बढ़ाना पड़ेगा और रिसोर्सेज कहां से उपलब्ध किय जायें यह एक बड़ा भारी प्रश्न है । रिसोर्सेज के बारे में प्रान्तीय सरकार स्थानीय निकायों के साथ बहुत दिनों से ज्यादती करती आ रही है । नगरपालिकाओं के ऊपर कई ऐसे कार्यों के सिलसिले में बोझ पड़ता है जिनसे टैक्स प्रान्तीय सरकार वसूल करती है । जैसे मनोरंजन कर । छविगृहों में सिनेमा चलता है, वहां पर गन्दगी फैलती है । उसकी सफाई नगरपालिका को करानी पड़ती है । शहरों में मोटर गाड़ियां, स्कूटर्स चलते हैं । इनसे जो मोटर वहिकिल्स टैक्स वसूल होता है वह प्रान्तीय सरकार वसूल करती है । अन्य टैक्स भी ह, जसे एक्साइज, सेल्स-टैक्स, इनमें से कुछ अंश स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिये । यह मेरी राय नहीं, विशेषज्ञों की राय है । श्री आर० बी० दास जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अध्यक्ष हैं, उनकी राय में पढ़ता हूं--

"There is no elaborate machinery for determining the share of grants to Local Bodies."

यह उनकी राय थी । सन् १९३७ में एक शासकीय आदेश से एक फंड बनाया गया था जिसमें मोटर विहिकिल्स से रोड टैक्स से होने वाली आमदनी को इस फंड में जमा होना था । इस फंड से ५० फीसदी रुपया लोकल बाडीज को मिलना था । लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ । सन् ६८ में जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसने भी यह राय जाहिर की थी कि मोटर विहिकिस्स टैक्स से प्रदेश को करीब ४९३ लाख रुपये की वार्षिक आय थी जिसमें से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर केवल १४६.९८ रुपया स्थानीय निकायों को दिया गया । इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार के मिनिस्टरों को जो एक कमेटी बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट "आगमेन्टेशन आफ फाइनेन्शियल रिसोर्सेज आफ अरबन लोकल बाडीज" में जो लिखा है उसे पढ़ देना चाहता हूं--

"We are of the view that in principle, all duties on entertainments such as the entertainment tax, theatre tax, show tax, and surcharge on entertainment tax should be assigned to local bodies....."

"We would recommend that at least 25 per cent of the proceeds of the motor vehicles tax should be car-marked for local bodies....."

"We have already recommended that certain taxes should be reserved for exclusive utilization by the local bodies and have also referred to various State taxes which in fact are encroachments upon legitimate source of local revenue. The proceeds of all such State taxes should be assigned to the local bodies....."

इस प्रकार मेरा निवेदन है कि इन टैक्सों में से उचित अंश नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त मैं इनकी आय के बारे में एक और टोस सुझाव माननीय मुख्य मन्त्री जी को देना चाहता हूं । सन् ५१ में जमींदारी एबालिशन एन्ड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट पास हुआ और सन् ५२ से आपने उसे नागर क्षेत्र के बाहर सब जगह लागू कर दिया । नगर क्षेत्र में लागू इसलिये नहीं किया कि वहां पर बड़े-बड़े लोग रहते थे, बड़े बड़े लोगों की जिमीदारी थी । देहात में गांव समाज के इन्तजाम के अन्तर्गत आपने बन्जर, पोखरे आदि दे दिये और उनसे उनकी आय होती थी, मगर शहरी क्षेत्र में चूंकि यह ऐक्ट लागू नहीं किया गया इसलिये उनकी आय का साधन नहीं बना । सन् ६६ में अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू हुआ और उसमें यह डिमारकेशन किया गया कि एग्रीकल्चरल एरिया की जमींदारी को तोड़ दिया जाय लेकिन नान-एग्रीकल्चरल एरिया की जमींदारी को नहीं तोड़ा गया । शहरों में गड्ढे--पोखरे बंदोबस्त के रास्ते आज भी जमींदारों के हाथ में है और वे इनको मनमाने ढंग से बेचकर पैसा कमा रहे हैं । अब प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, इसके बाद भी दूसरे ढंग से, बैकडोर से यह जमीन उठायी जा रही है । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्रों के नान-एग्रीकल्चरल एरियाज जो हैं उनकी जमींदारी शीघ्र से शीघ्र तोड़ने की व्यवस्था करें और इन गड्ढों और पोखरों आदि को नगरपालिका के इंतजाम में दे दें । इससे कई लाभ होंगे । एक तो नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ेगी और दूसरे आवास के लिये उचित स्थान प्राप्त हो सकेगा । बहुत से नगर ऐसे हैं जहां पर गड्ढे और पोखरे हैं । इनमें वर्षा का पानी चला जाया करता था । जल निकासी की कोई विशेष समस्या नहीं थी लेकिन इनको कूड़ा डाल कर पाटा जा रहा है । अगर थोड़ा भी पानी बरस जाता है तो यह दृश्य देखने को मिलता है कि सड़क पर पानी ही पानी फैला है । इससे लोगों के आने जाने में परेशानी होती है । अगर इनको नगरपालिका के सुपुर्द कर दिया जाय तो नगरपालिका उचित ढंग से इनका प्रयोग करेगी और उनका मत्स्यपालन आदि में इस्तेमाल करेगी जिससे और लोगों को भी जीविका का साधन मिलेगा । अतः मैं निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्र के नान-एग्रीकल्चरल एरियाज की जमींदारी को समाप्त करने में विलंब न करना चाहिये और शीघ्रातिशीघ्र इसके लिये कानून बनाना चाहिये ।

अब आवास गृहों के निर्माण के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा । आज भी स्थिति यह है कि नगरीय क्षेत्र के २५-३० प्रतिशत लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं । जो भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग ५ लाख मकानों की कमी पड़ेगी । इन मकानों का निर्माण २ वर्ष के अन्दर होना चाहिये । परन्तु जिस गति से निर्माण हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि जितने मकान बनाने चाहिये उनका यह फ्रेक्शन भी नहीं है ।

अभी जो स्वायत्त शासन विभाग का कार्य विवरण प्राप्त हुआ है उसमें जो आवास के आंकड़े दिये गये हैं मैंने जब उनको देखा तो पता चला कि निरन्तर कमी की जा रही है । यह जो कार्य विवरण है अगर आप पेज ३ पर देखें तो इसमें लिखा है कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७२-७३ तक १६०.१८ लाख रुपये का व्यय किया गया था, परन्तु वर्ष १९७३-७४ में केवल १०१ लाख रुपये का प्राविधान था और वर्ष १९७४-७५ में केवल २४ लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । पहले १६० लाख का था फिर १०१ लाख का और अब घटकर केवल २४ लाख का हो गया है ।

इसी प्रकार अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७२-७३ में १९१.४७ लाख रुपये का प्राविधान था, यह वर्ष १९७३-७४ में ५० लाख और १९७४-७५ में भी केवल

[श्री अवधेश कुमार]

५० लाख रुपये का प्राविधान है, जबकि स्थिति दूसरी हो गयी है। जमीन की कीमत बढ़ गयी है, लोहे, ईट और सीमेन्ट की कीमत बढ़ गयी है। लेकिन इसके लिये प्राविधान घटाया गया है।

एक सदस्य--

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है यह कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या प्राविधान के बढ़ाये जाने की बात कर रहे हैं। इस पर मान्यवर व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपने सुझाव दे रहे हैं। कृपया सुझाव देने दीजिये।

श्री अवधेश कुमार--

यदि माननीय सदस्य ने इस विधान सभा की नियमावली पढ़ लिया होता तो शायद ऐसी आपत्ति न उठाते क्योंकि उसमें जो कटौती का प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य होता है वह सरकार की नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सदस्य महोदय एक बार पुनः उसको पढ़ने की कृपा करें।

मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस आवास संबंधी व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं कि इसमें गरीब लोगों के लिये आवास व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। आजकल जो भवनों का निर्माण हो रहा है उसमें जो पिछड़ा वर्ग है जैसे सफाई कर्मचारी और इसी प्रकार के अन्य लोग हैं उनके लिये सस्ते और छोटे-छोटे मकान बनाकर उनको हायर परचेज की पद्धति पर मकान देना चाहिये। आज हम नगरों में देखें तो सफाई की बड़ी दुर्व्यवस्था है। नालियों में कीड़े पड़ रहे हैं और सफाई कर्मचारी उसकी ओर से बिल्कुल उदासीन है। इत्तिफाक से जो सफाई निरीक्षक कहलाते हैं उनको प्रदेश सरकार ने खाद्य निरीक्षक भी बना दिया है। वे लोग सफाई की कोई परवाह नहीं करते हैं लेकिन शहर में खाद्य पदार्थ की जो दुकानें हैं उनसे माहवारी वसूली में ज्यादा रुचि लेते हैं। शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने क लिये मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो खाद्य निरीक्षक हैं उनके प्रति कड़ाई करनी चाहिये। परन्तु हमारे सदन के सामने आया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में तथा फड कारपोरेशन के गोदामों में भी खराब खाद्यान्न मिल रहा है। आशा है वहां भी खाद्य निरीक्षक जाकर उनके नमूने लेने का कष्ट करेंगे और इस ओर अब उन्हें आप जागरूक रहने के आदेश देने का कष्ट करेंगे।

स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि नगरों में खुले स्थान हों, पार्क हों और व्यायामशालायें हों लेकिन आज अधिकांश नगरों में पार्कों की कमी है, खले मैदानों की कमी है तथा व्यायाम-शालायें नहीं हैं। इन्हीं कारणों से छोटे-छोटे लड़कों को खेलने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये आज-कल खेल का स्तर गिरता जा रहा है। नगरपालिकाओं को ऐसी भूमि उपलब्ध की जानी चाहिये जहां पार्कों तथा खेलने की व्यवस्था हो सके। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि शहरी क्षेत्रों में जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट लागू कर दिया जाय तो काफी भूमि मिल सकती है।

टाउन एरिया में अब भी चेयरमैन की चन व प्रणाली बोटर्स द्वारा होती है। नगर-पालिकाओं में भी ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन देखा गया कि ऐसी समस्यायें पैदा हो गई कि चेयरमैन किसी दूसरे दल का और बहुमत किसी दूसरे दल का है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाय और इसके लिये प्राविधान भी किया गया, लेकिन टाउन एरिया में वही पुराना प्राविधान है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो टाउन एरिया है वहां भी ऐसा ही प्राविधान करें यह जो टाउन एरिया

है वह बहुत पुराना है और अंग्रेजों के जमाने का है। इसमें भी तब्दीली करने की आवश्यकता है। टाउन एरिया के अन्दर नियंत्रण वहां का एस० डी० एम० और तहसीलदार का होता है। आज जो गोला टाउन एरिया की समस्या हमारे सामने आई है जहां पर उनका चेक एस० डी० एम० के प्रमाण पत्र के बिना ट्रेजरी से पास नहीं किया जाता जबकि प्रान्तीय सरकार के यह स्पष्ट आदेश हैं कि टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन चेक द्वारा भुगतान कर सकता है।

अब मैं गोरखपुर की समस्या की ओर मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा गोरखपुर नगर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वहां पर पुराने शौचालय पुरानी किस्म के चले आ रहे हैं और वह इतने गन्दे हैं कि नरक भी नाक सिकोड़ लेगा। अतः निवेदन है कि उन शौचालयों को फ्लैश लैट्रीन्स में बदलने की व्यवस्था करें। जहां तक जल सम्पूर्ति के बारे में है, गोरखपुर म ग्राउन्ड फ्लोर पर भी पानी नहीं मिल रहा है। जल निकासी का काम स्वायत्त अभियन्त्रण विभाग को सौंपा गया था। प्रारम्भ में ७ लाख रुपये दिये गये थे, लेकिन वह योजना अभी आधी भी पूरी नहीं हो पाई है तब तक और अधिक धन की मांग उनकी तरफ से आनी प्रारम्भ हो गई है। गोरखपुर का एरिया नीची सतह पर राप्ती नदी से है। इसलिए जब भी थोड़ी वर्षा होती है नगर के आधे क्षेत्र में पानी भर जाता है और वहां पर पम्प से पानी निकालने की व्यवस्था है खासतौर से इलाहीबाद और पिपरापुर मुहल्ले में वहां पर पम्प इतने कमजोर और पुराने हैं कि उनसे पानी नहीं निकाला जा सकता। वहां पर अधिक शक्तिशाली मोटर या पम्प लगाये जाने चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जितने भी पोखरे और गड्ढे हैं बहुत गन्दे हो चके हैं। इसलिये धोबियों को कपड़ा धोना वहां पर सम्भव नहीं है। नदी बहुत दूर पर पड़ती है। हमारे पूर्व गोरखपुर क्षेत्र के सदस्य ने भी इस सदन में इस ओर ध्यान आकर्षित किया था और यह मांग की थी कि गोरखपुर में धोबी घाट बनाया जाना चाहिये, लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। वहां पर धोबी घाट अवश्य होना चाहिये।

गोरखपुर में एक रामगढ़ ताल है कई सौ एकड़ का और इसका कुछ हिस्सा नगरपालिका का भी है। अगर उस ताल के किनारे-किनारे एक लेक सिटी बना दी जाय तो वहां पर आवास की समस्या हल हो सकती है और सुन्दर स्थान भी वहां बन सकता है। मुझे पता चला है कि इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन थी, लेकिन शायद कोल्ड स्टोरेज में पड़ गई है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको क्रियान्वित कराने के लिये आवश्यक कदम उठायें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्वायत्त शासी संस्थायें गरीबों और दरिद्रों को लाभ पहुंचाने के लिये होनी चाहिये और अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब देशबन्धु चितरन्जन दास कलकत्ता कारपोरेशन के पहली बार मेयर चुने गये तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था—

"It is a great ideal of the Indian people that they regard a poor as 'Daridranarayan'. To them God comes in the shape of the poor. The service of the poor is the service of God to the Indian mind. I shall, therefore, try to direct your activities to the service of the poor. You will have seen that the programme which I have drawn up, most of the items deal with the poor. If the corporation succeeds even to a very limited extent in this work it will have justified itself."

[श्री अवधेश कुमार]

सुभाष चन्द्र बोस भी जब मेयर चुने गये तो उन्होंने भी यही बात दोहराई । उन्होंने कहा कि "एन्ट्री सिविक बाडी शुड बी मेड इन्टू ए रीयल पूअर मेन्स कारपोरेशन" । "इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि देशबन्धु चितरन्जन दास और सुभाषचन्द्र बोस के आदर्शों पर कारपोरेशन और नगरपालिकाओं को बनाने में सहयोग करें ।

श्री जटाधर बाजपेयी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आभार मानता हूं । अभी हमारे मुख्य मन्त्री जी ने स्वायत्त शासन विभाग का जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । यों तो कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे वे सुझाव तो बगैर उस प्रस्ताव को पेश किये हुए भी दिये जा सकते थे । एक रुपये की धनराशि से स्वायत्त शासन विभाग को चलाने की कल्पना केवल स्वप्न मात्र ही हो सकती है मैं अपनी ओर से स्वायत्त शासन को अधिक गतिशील, जनतांत्रिक और जनोपयोगी बनाने के लिये कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं । अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या स्वरूप नगर महापालिकाओं का होना चाहिये, क्या स्वरूप म्युनिसिपैलीटीज का, टाउन एरिया का होना चाहिये और उन्होंने कहा कि खुले दिल से हम लोगों के सुझाव जानना चाहते हैं और उसके उपरान्त ही इस ऐक्ट में कुछ परिवर्तन करने की बात सोच सकते हैं । मेरा एक नम्र निवेदन नगर महापालिकाओं के स्वरूप के लिये यह है कि जो सपना गांव समाज से लेकर नगरमहापालिका तक के लिये पूज्य महात्मा गांधी ने देश के सामने रखा था वही एकमात्र कल्याण का रास्ता है और वही हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला है । स्थानीय स्वायत्त शासन का अर्थ अपना शासन, अपना शासन इसलिये कि वहां हम जन-जन के बीच में जाकर कार्य करें और ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे जनतंत्र का विकास हो सके । हो सकता है कि हम उस समय कुछ गलतियां भी करें । लेकिन गल्तियां करने के बाद संभल जाने की क्षमता तो जनतंत्रवाद की सफलता मानी जाती है । मेरा सुझाव है कि नगरमहापालिका के मेयर या नगर प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट सीधे जनता से हो और नगर प्रमुख जनता के प्रति जिम्मेदार हो । उसक कार्यकाल ५ वर्ष का हो और यदि वह गल्तियां बहुत कर रहा हो या भार को न संभाल सकता हो तो ऐक्ट में यह प्राविधान हो कि दो तिहाई वोटों से तीन वर्ष बाद उसको निकाला जा सकता है ।

आम तौर से यह शंका की जाती है कि एक पार्टी का मेयर हो और दूसरी पार्टी मेजोरिटी में हो तो कार्य कैसे चल सकता है । मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिये तो ऐक्ट को पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा । नगर महापालिकाओं के ऐक्ट में आमूल परिवर्तन करना होगा । हमारा सुझाव तो यह है कि जिस प्रकार प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के साथ जिम्मेदार होता है उसी तरह से कैबिनेट सिस्टम के आधार पर स्टेन्डिंग कमेटी के साथ नगर महापालिका का मेयर पूर्णतया जिम्मेदार हो, आल पावरफुल हो । उस पद के साथ सभी अधिकार उसमें विहित हों । नगर प्रमुख के गौरव और गरिमा को मुख्य नगर अधिकारी के अण्डर में नहीं रखा जा सकता है । उसको भी काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिये । मान लीजिये, मेयर महसूस करता है कि जनहित में बस-पुलिसों को बढ़ाया जाना चाहिये, तो वह उसको बढ़ा सके । लेकिन आज होता क्या है ? महापालिकाओं में प्रस्ताव पास होने के बाद भी अगर मुख्य नगर अधिकारी न चाहे तो बस-पुलिसों को नहीं बढ़ा सकते हैं या कोई और काम नहीं हो सकता है । अच्छे से अच्छे सुझाव रद्दी की टोकरी में पड़े रहते हैं । अगर आप लोगों की सेवा का मौका देना चाहते हैं, लोगों में जिम्मेदारी के साथ काम करने देना चाहते हैं तो मेयर का चुनाव जनता से होना चाहिये, उसको आल पावरफुल होना चाहिये, स्टेन्डिंग कमेटी होनी चाहिये, और वह कैबिनेट सिस्टम की तरह मेयर के साथ में काम करे । मेरा यही मुख्य विचार नगर महापालिकाओं के विषय में है ।

अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के बारे में भी अभी यहां चर्चा हुई। सन् १९६६ में ऐक्ट में परिवर्तन हुआ और उस समय हमारे मा० चौधरी चरण सिंह जी ने जो उस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे, यह सुझाव रखा कि यह सेन्ट्रलाइज्ड सर्विस की बात हम लोगों के सामने आई। हमने उसको देखा, कुछ इसके पक्ष में और कुछ इसके विरोध में। लेकिन अगर नगरमहापालिका, कानपुर में गोरखपुर का अधिकारी भेज दिया जाय तो क्या वह आना पसंद करेगा और आना भी पसंद करे तो क्या वह एक महीना, २ महीना, ३ महीना की छुट्टी पहले नहीं लेगा? और फिर आयेगा और फिर जायेगा। फिर आयगा, फिर जायगा। बार-बार छुट्टी लेगा। तो जो काम चलता है, वह भी ठप्प हो जायगा और यही होता है। ऐसे बिड़ले ही होते हैं जो अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर काम करने के लिये उत्सुक हों। आमतौर से लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। अगर छोड़कर पहुंचे तो महीनों उनको यही नहीं पता रहता कि शिवर लाइन कहां है, या कौन महल्ला कहां है और उनको क्या काम करना है। इस तरीके से वह गुमराह होकर काम करें और नीचे के इंसपेक्टर क्लर्क या प्यून के जरिये अपना काम चलायें, या फिर छुट्टी लेकर अपने घर में पड़े रहें और असिस्टेंट से काम कराते रहें तो इससे बड़ा नुक्सान हो रहा है। हम कानपुर के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहां उरई का अधिकारी या ऋशिकेश का अधिकारी सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता है। इसलिये इसको तो बदलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जैसे विचार रखा कि नदियों में गंदे नाले गिरते हैं। हमारे कानपुर में बहुत बड़ा नाला शहर से निकलता है। हमारे यहां एक यह भी समस्या है कि बारिस बीत जाने के बाद भी कुछ फैक्ट्री के नाले गंगा जी में गिरते हैं और उससे बहुत नुकसना होता है। कूपर एलेन का नाला आज तक गंगा में गिरता है। लोग भगवान का नाम लेते हुये गंगा स्नान करने जाते हैं और कूपर एलेन के गंदे पानी से उन्हें आचमन करना पड़ता है। धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह बात ठीक नहीं है। बात क्या है कूपर एलन वाले उसे बड़े नाले में छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के दो तीन नाले गंगा नदी में जहां घाट हैं वहां गिरते हैं और उनसे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां बांध बनने वाला है। यह चीज वर्तमान मुख्य मंत्री के समय में होन जा रही है। गंगा नदी घाटों से हट कर उन्नाव की तरफ जा रही थी उस बांध के बनने से जहां उन्नाव को लाभ होगा, वहां कानपुर के घाटों को लाभ होगा, वाटर वर्क्स के जरिये हमको पीने को पानी मिलता है उससे भी लाभ होगा, फैक्टरीज तथा इंडस्ट्रीज भी कायम रह सकेंगी। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। लाल बत्ती जलने के कारण तथा अधिक समय न होने के कारण मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। १ जुलाई, १९७३ को बनारस, कानपुर, लखनऊ तथा आगरा की महापालिकाओं को एक अध्यादेश के जरिये से अवक्रमित कर दिया गया और अवक्रान्ति की अवधि ३० जून, ७४ को समाप्त हो जाती है। महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५३९ के उपखंड ३ में साफ-साफ लिखा हुआ है कि सरकार समय-समय पर चाहे तो उसकी अवधि एक साल और बढ़ा सकती है और ज्यादा से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

ज्यादा सरकार सुपरसेशन को २ साल तक बढ़ा सकती है और ३० जून, ७४ को सुपरसेशन का पीरियड था वह खत्म हो गया। लेकिन १, २ तथा ३ जुलाई तक गजेट नहीं किया गया कि यह सुपरसेशन का पीरियड बढ़ाया जा रहा है या नहीं और १ जुलाई से ३ जुलाई तक महापालिकाओं की वैधानिक स्थिति क्या रही इसे सरकार बतलायेगी। इन महापालिकाओं के प्रशासन इस असमंजस में पड़े रहे कि उनको सरकार के क्या आदेश मिलते हैं? जो प्रशासकीय औपचारिकतायें थीं उनको पूरा नहीं किया गया इस बीच, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जो महापालिकायें हैं ये नागरिकों को सुविधायें देने का काम करती हैं जैसे पानी, बिजली, सड़क, रोशनी, रहन-सहन और शौचालय आदि की सुविधायें। महापालिकाओं का एक सबसे बुनियादी काम है। जो शहरी लोग हैं विशेष कर शहरी औरतें हैं वे एक बहुत बड़ी समस्या से जकड़ी हुई हैं उसका कोई समाधान मुख्य मंत्री के वक्तव्य में नहीं मिला। इस ओर एक बार भी इशारा नहीं किया गया।

एक छोटा-सा सवाल और है। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी सभी लोग रखते होंगे कि महात्मा गांधी और त्रिगुणा सेन जो हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्री और काशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं इन दोनों व्यक्तियों को छोड़कर दिलेरी का काम और किसी ने नहीं किया। गांधी जी "मेरे सपनों का भारत" किताब में इन महापालिकाओं को "कचड़ा पट्टी" कहा है। डाक्टर त्रिगुणा सेन ने जब वे काशी विश्वविद्यालय के कुलपति होकर आये तो उन्होंने कहा कि यदि किसी सभ्य परिवार को देखना हो तो उसके पाखाने की तरफ देखना चाहिये कि वह कितना स्वच्छ है। अगर आप आज निगाह दौड़ायें तो लखनऊ में अवध क्लार्क होटल के पीछे झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले लोग पाखाना करने के लिये कहां जाते हैं इसका जवाब आपके पास हीं है। इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री कमलापति जी के घर १०० गज की दूरी पर सोनिया एक जगह है वहां के लोग पाखाना करने कहां जाते हैं, इसका जवाब आप नहीं दे सकते। अभी पिछले दो दिनों में बहुगुणा साहब की कांस्टीटयेन्सी में जाने का भी मुझे अवसर मिला—वारा कांस्टीटुएन्सी में कुरमा एक स्थान है। वहां पर आप देखेंगे कि गरीब औरतें को कितनी यातनायें सहनी पड़ती हैं। औरतों के लिये सबसे बड़ी यातना बलात्कार होता है। लेकिन बलात्कार से भी बढ़कर यातना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वे पाखाना कर रही होती हैं और रात के समय जब जीप की रोशनी उन पर पड़ती है तो वे दो-तीन बार उठती हैं, बैठती है उठती हैं, बैठती हैं। इस प्रकार की यातनायें आज इस प्रदेश में औरतों की दी जा रही हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यहां पर ऐसी भी गरीब घरों की औरतें हैं जो सूरज निकलने के बाद पाखाना नहीं जा सकती हैं। बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में बहुत अच्छी तरह से घूमने पर देखने से यह मेरा पक्का विश्वास हो गया कि इन औरतों को सूरज निकलने के बाद पाखाना जाने की जगह नहीं है। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो खाना नहीं खाती है क्योंकि यदि वे खाना खाती हैं तो उन्हें पाखाना जाना पड़ेगा। कैलिफोर्निया और बेलग्रेड की लड़कियां सुख भोगते हुये ऊब जाती हैं तो बनारस के गंगा घाट पर अपने मन के असंतोष के लिये आ जाती हैं। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में गरीब घरों की लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। उनका जो दर्द है उसके निवारण के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इन महापालिकाओं में इसके अलावा बिजली और पानी की भी बड़ी समस्या है जिसका कि अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। आज महापालिकायें इस हैसियत में नहीं रह गई हैं कि वह इन गरीब लोगों की छोटी सी छोटी समस्या का साधान कर सके। मैं फिर वह बात दुहराना चाहता हूं कि जब लोग प्यार करते हैं तो उपहार में कुछ दिया भी करते हैं। आगरा का तजमहल शायद इसीलिये बनाया गया था कि शाहजहां मुमताज बेगम को प्यार करता था। आज प्रदेश की गरीब औरतों को बड़े-बड़े औडिटोरियम नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सार्वजनिक

शौचालयों की अत्यधिक आवश्यकता है। यह महापालिकाओं की भूमिका में सबसे बड़ा सवाल है। आप इस बात की सर्वे करालें कि आज बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और आगरे में जितने मकान बने हैं उनमें ५०/६० फीसदी बिना नक्शे के बने हैं। और बिना नक्शे के बनने वाले मकानों पर कोई भी, किसी भी किस्म का नियम लागू नहीं होता है, जब तक मुकम्मिल तौर पर मकान न बन जाए। एक तरफ तो बड़े-बड़े पैसे वाले अनियमित मकान बनवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह सड़क पटरी पर जो छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, उनको महापालिका की हल्ला-गाड़ी आकर बुरी तरह से उजाड़ देती है।

जो महापालिकाओं के स्वायत्तता की आपने बात कही, मैं समझता हूं स्वायत्तता जो शब्द है, वह कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार के किसी मंत्री के मुख से अच्छा नहीं लगता है, जब पग-पग पर उनकी स्वायत्तता का हनन आज हो रहा है। एक मिसाल मैं देना चाहता हूं फरवरी महीने में देश की प्रधान मंत्री बनारस में आई थीं, जब वह आई तो उनके स्वागत के लिये सड़कों पर बल्लियां और बांस गाड़ने के लिये गड्ढे खोदे गये थे। मुझे याद है जब बट्ट साहब वहां मुख्य नगराधिकारी या प्रशासक थे तो उन्होंने इसके लिये उनसे महापालिका का टैक्स वसूल किया था। लेकिन इस बार जब प्रधान मंत्री बनारस गई तो उनसे एक पैसा भी टैक्स नहीं वसूल किया गया। इसी तरह से जब वहां पर एम०सी०सी० का टेस्ट मैच हिन्दुस्तान की टीम के साथ हुआ, तो प्रचार के लिये वहां पर बड़े-बड़े साईन-बोर्ड्स लगाये गये थे। एक लाख से ज्यादा की धनराशि उन साईन बोर्डों के जरिये एकत्र की गई, लेकिन उनमें से एक पैसा भी महापालिका को टैक्स के रूप में नहीं दिया गया।

जो एलेक्शन की बात बहुगुणा जी ने उठाई कि डाइरेक्ट एलेक्शन किया जाय, या इन्डाईरेक्ट, तो मैं समझता हूं यह सवाल महापालिकाओं के लिये कभी से विचारणीय हुआ होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के एलेक्शन के बारे में इस पर बहुत प्रारम्भ से बड़ी बहस चल रही थी। बहुत शुरू में जब प्रदेश में व्यापक रूप से छात्र आन्दोलन हुये और फिर ६७ में जो अंग्रेजी हटाओ एजीटेशन हुए, उन सबमें एक सवाल शिक्षण संस्थाओं का जोड़ा गया कि छात्र संघों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाय या अप्रत्क्ष रूप से किया जाय। उसका निष्कर्ष यह निकला है कि प्रत्यक्ष चुनावों में यह बड़े आदमी ही हावी हुआ करते हैं, वही पद हथिया लिया करते हैं। तो महापालिकाओं के चुनाव कराने के बारे में जो आप विचार कर रहे हैं, यदि आप एक आम आदमी को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव कराये जायं।

एक बात मुख्य मंत्री जी ने बनारस के सम्बन्ध में कही थी और तबादलों के सम्बन्ध में यहां भी बजट प्रस्तुत करते समय कुछ अल्फाज कहे थे। उन्होंने कहा था ये अरबी घोड़े हैं, इनकी लगाम चुस्त रखोगे तो ये घोड़े ठीक चलेंगे वरना ये ठीक से नहीं चलेंगे, ठीक से कार्य नहीं करेंगे। इसी संबंध में एक बड़े उपन्यासकार श्री शिवप्रसाद सिंह का कथन भी मैं दोहरा देना चाहता हूं, उन्होंने कहा है—यहां पर जो सरकारी अफसर हैं, वे अरबी घोड़े अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आज देखना यह है कि जो सवार उसपर बैठा है वह किस हद तक, कितनी कुशलता से उसकी राश, लगाम को अपने हाथ में थामकर घोड़े को अपने नियन्त्रण में रखता है। एक अकुशल और अयोग्य मंत्री के हाथ में उसकी लगाम का नियन्त्रण ठीक से नहीं हो पायेगा।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं, वह सबसे छोटा सवाल है, उसपर आप गौर करें। हालांकि इतनी छोटी समस्या पर गांधीजी और श्री त्रिगुणा सेन को छोड़कर किसीने भी नहीं कहा है। आप बहुत बड़े मुख्य मंत्री हैं, आप इस समस्या को किस हद तक दूर कर पायेंगे, यह हमें देखना है और हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है।

*श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री बहुगुणा जी ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुये कुछ सजेशंस जो ऐक्ट हैं उसके लिये पेश किये हैं, वे अच्छे डेमो क्रेटिक सजेशंस हैं। मयर का चुनाव डाइरेक्ट वोट से हो। बहुत अच्छा है। पूंजीपति जो पैसा खर्च करके आते हैं उसमें भ्रष्टाचार फलता है वह रुक जायगा। यह बहुत अच्छा काम होगा। डबिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी न रहे और जो सजेशंस उन्होंने दिये हैं उनका डेमो क्रेटिक डाइरेक्शन है। मैं उनका स्वागत करता हूं।

एक बात मैं उनको कहना चाहता हूं कि वह सोच लें। अगर सम्भव हो तो वह भी होना चाहिये। शहर के एम०एल०ए० जिला परिषद् के साथ अटैच होते हैं वह हमारे जैसा आदमी या कोई भी शहर का आदमी जिला परिषद् में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। शहर में रहता है और शहर में ऐल्डरमन होता है। महापालिका के ऐल्डरमैन के चुनाव में रिश्वत चलती है। ऐल्डरमन की जगह एम० एल० ए० को सब्सटीट्यूट कर लें तो दोनों मामले हल हो जायगे, वहां उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यहां पर रिश्वत का अड्डा खतम हो जायगा। यह मेरा उनको एक सजेशन है।

और भी सजेशंस हैं। लेकिन समय कम है। जो बात मुझे कहनी है वह रुक जायगी। मेरा कहना यह है कि कानपुर हिन्दुस्तान में सबसे गंदा शहर है। बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मदरास कोई भी ऐसा गंदा शहर नहीं है जितना कानपुर गंदा शहर है। कानपुर यू०पी० का सबसे बड़ा शहर है। आज से २४ साल पहले जवाहरलाल नेहरू कानपुर गये। कानपुर में वह मजदूर बस्तियों में भी गये। उसके बाद जवाहरलाल ने पब्लिक मीटिंग में, एक डेढ़ लाख की मीटिंग थी, कहा कि ऐसे मकानों को जिनमें कानपुर के मजदूर रहते हैं, स्लम्स हैं, उनको जला क्यों नहीं देते। वे जला देने चाहिये। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब बहुगुणा जी से कहना चाहता हूं कि चूंकि कानपुर की पापुलेशन बड़ी है इसलिये प्राबलम्स ज्यादा मल्टिप्लाई हुई हैं, ज्यादा बढ़ी हैं।

अभी जिक्र कर रहे थे कि लोग मकानों में घुस जाते हैं। उसमें भी क्या है? लोगों के पास रहने के लिये जगह नहीं है। लेकिन मैं समर्थन नहीं करता हूं कि जबरदस्ती घुस जायं। लेकिन आज प्राबलम है कि लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। सड़क पर सोते हैं। एक ए. कमरे में सात सात आदमी रहते हैं। जब दस बारह वर्ष पहले लेबर क्वार्टर्स बने थे, मांग थी कि उनका किराया कम होना चाहिये। आजकल कोई मजदूर खाली करके गया तो चार पांच हजार पगड़ी में बच कर जाता है। यह प्राबलम कानपुर में है जो सीरियस प्राबलम है। जितने सलम्स थे उससे चार गुना सलम्स बढ़ गये हैं। कानपुर के अन्दर मकानों की यह प्राबलम है। जो महापालिका के घर छोड़ेंगे। मेरा कहना यह है कि महापालिका ने जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के मकान बनाये हैं वह बहुत थोड़े हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन गरीबों की ओर ध्यान दिया जाय। मैं और गर्ग साहब हरद्वार से आ रहे थे तो हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन श्री जगदीश शरण अग्रवाल हैं उन्होंने मुझ से कहा कि दो कमरे का मकान दस हजार रुपये बनवा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि यदि जो मकान बन सकते हों तो कानपुर में हायर परचेज मिस्टम पर हजारों मकान बनाये जाने चाहिये क्योंकि यह सब से बड़ी प्राब्लम है।

दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पैसे का कहीं से जुगाड़ करना होगा। ऐसी हालत है शहर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। नल नहीं है। मेरी कांस्टीटुयेन्सी में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं। एक तरफ तो पीने का पानी नहीं है और दूसरी तरफ महापालिका ने दस लाख रुपये लगा कर लोगों के तैरने के लिये एक आलीशान तालाब बनाया है। गरीबों और मजदूरों की बस्ती में जहां पीने तक को पानी नहीं है वहां दूसरी तरफ दस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाख रुपये खर्च करके आदमी और औरतों के तैरने के लिये तालाब बनाया जाता है। इसकी क्या आवश्यकता है।

पहली चीज हिन्दुस्तान में यह है कि रहने के लिये जगह हो तथा पेट भरने के लिये खाना दिया जाय। बाकी चीज तो बाद में जैसे जैसे देश की हालत सुधरेगी तैसे-तैसे हो जायगीं। स्वीपर्स कोलोनी में बिजली की बत्ती तक नहीं है और दूसरी तरफ माल रोड पर तथा पौश लोकेलिटीज में ट्यूब लाइटस लगी हुई हैं। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे ५ मिनट और दे दिये जांय। मैं माननीय बहुगुणा जी से निवेदन करता हूं कि वह कानपुर चलें तो मैं उनको अ नी कांस्टीटुएन्सी में और गांव गांव में घुमाऊंगा। उन गांवों में जहां सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाय तो अस्पताल में उसकी लाश ही पहुंचेगी क्योंकि वहां न रिक्शा जा सकता है न तांगा जा सकता है।

कानपुर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बिजली की बत्ती नहीं है और दूसरी ओर माल रोड पर तथा राजेन्द्रनगर में ट्यूब लाइटस लगी हुई है। एक तरफ ट्यूब लाइट और दूसरी तरफ अंधेरा। मैं माननीय बहुगुणा जी से प्रार्थना करूंगा बहुत अदब से कि कांग्रेस के जिताने वाले ये अछूत और गरीब लोग हैं और अगर उन्हीं को छोड़ दोगे तो आगे भगवान जाने क्या होगा। इसलिए समझ लो इनको मत छोड़ो कानपुर की हालत इसलिए भी खराब है कि यहां के पूंजीपति इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं जबकि और शहरों में पूंजीपति दिलचस्पी लेते हैं। कानपुर में आपको एक भी हाल नहीं मिलेगा एक भी पार्क नहीं मिलेगा। तो पानी का सवाल है, बत्ती का सवाल है, गांव के अन्दर सड़कों का सवाल है गांव के अन्दर थोड़ा बहुत स्कूल का सवाल है। जवाहरलाल नेहरू जी गये थे और घूमे थे। अब जब चीफ मिनिस्टर जायेंगे तो जैसे भी होगा इनको घुमाऊंगा। एक बार उस कान्सटीट्एन्सी में ले जाऊंगा। स्वायत्त शासन इनके चार्ज में है और वे सुधार करने की कोशिश करें। एक बात मान्यवर, रह गयी। जहां तक ट्रांसपोर्ट का सम्बन्ध है। यहां पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। और जगहों पर टक्सियां चलती हैं। स्कूटर भी वहां फेल हो गया है। मैं कानपुर की जनता की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि जो पुरानी बसें हैं उनको ठीक तो करावें ही और इसके साथ ही साथ नयी बसें भी यहां पर भिजवायें ताकि जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

*श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन के अनुदान पर जो आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिए और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वायत्त शासन की जो समस्या है वह बड़ी गम्भीर है। मेरा कुछ जातीय अनुभव है। इस आधार पर मैं थोड़े से विचार आपके द्वारा सदन में पेश करना चाहता हूं। ऐसा मेरा अनुभव है कि दलगत राजनीति से हमारी सारी लोकल बाडीज प्रभावित हैं और जो लोकल बाडीज, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइड टाउन एरिया के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं वह किस तरीके से चलते हैं उसका भी मुझे अनुभव है।

इसलिए कि आजादी से पहले स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल इलाहाबाद की नगरपालिका के चेयरमैन थे और शायद ६ महीने के बाद उन्हें इस्तीफा देकर चला जाना पड़ा था। उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वालोकन नहीं किया।

[श्री आगा जैदी]

वक्त इलाहाबाद में म्युनिसिपल बोर्ड में कैलाशनाथ काटजू थे मगर इन ऊंचे-ऊंचे लोगों के बीच में भी स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू म्युनिसिपल बोर्ड की चेयरमैनी नहीं कर सके और छोड़कर चले गये। जो इतने बड़े देश के प्रधान मन्त्री हो सकते ह, नगरपालिका का शासन चलाने के लिए अपने को मजबूर समझा और वह चले गये। एक लब्ज उन्होंने कहा था कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता था कि समाज में कही जाने वाली, जिसे हम गरीब कहते हैं, परिस्थितियों ने जिसे गरीब कर दिया है, जिसे हमने गरीब बनाया है, जिसे समाज ने गरीब बनाया है उनसे हम टैक्स लेकर और सिविल लाइन्स में अच्छे ढंग के मकान बनाये जायं और हम उन मोहल्लों को छोड़ दें जहां से हम लोग टैक्स लेते हैं। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान जगह, शहर में उन तबकों की तरफ जहां ऐसे लोग रहते हैं, जिनकी आमदनी कम है, जो कि शहरों में रहते हैं और उनको रहने की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है।

एक चीज कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस की सरकारों ने जनसंघ के म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त किया, उसे अपने हाथ में ले लिया। हम गोरखपुर के बारे में जानकारी रखते हैं, जौनपुर के बारे में मुझे विशेष जानकारी है और कुछ और भी नगरपालिकाएं हैं जो जनसंघ के हाथ में थीं उसके बारे में भी जानकारी है। अगर उनका बयान मैं करूं तो न आप उतना समय ही मुझे देंगे और अगर समय दें तो एक-एक ब्योरा का मैं यहां पर बयान कर सकता हूं। नगर महापालिका, लखनऊ आपके हाथ में थी मगर बेउनवानियों के ऊपर, किन चीजों के ऊपर वह चीज खत्म हुई और एक बड़ी लम्बी कोई कहानी है और हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में उसकी जांच शुरू हो गई थी मगर कुछ कारणवश वह जांच रोक दी गई। आज लखनऊ के रहने वाले उन्हें बहुत अच्छे ढंग से याद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से प्लाटों को गलत तरीके से नीलाम किया गया, जिस तरीके से नजूल की जमीन खुलेआम दलगत आधार पर लोगों को दी गयीं। वह तमाम चीजें आज लखनऊ के सामने हैं। जहां पर जौनपुर का मामला है, बहुत दिनों तक जौनपुर का मामला आपके हाथ में था, नजूल की जमीनों को बेचा गलत तरीके से और बहुत से काम गलत तरीके से किए गए और यहां तक कि नगरपालिका में मिर्जापुर में जो फण्ड जमा था उस फण्ड को भी निकाल कर लोग खा गये और इसके बाद भी अगर आप यह दुहाई देते हैं कि शासन ने उसे जब्त कर लिया तो शासन खामोश तमाशिया बनकर तो यहां पर बैठी नहीं है। शासन उसे देखेगी और करेगी, वह चाहे हमारे अध्यक्ष हों, या आपके अध्यक्ष हों। आज मुख्य मन्त्री ने कहा कि अपने ही दम से हमने उसे जब्त किया इसलिए कि उसके सामने कोई चारा नहीं था। अपना आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो न्याय यही कहता है कि सबको बराबर समझो। अपना और पराये म कोई अन्तर न रक्खो।

जहां तक हमारे गोरखपुर के माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर सिवरेज और वाटर वर्क्स के मामलों में कुछ ऐसी चीजें हो रहीं हैं, जो बहुत गलत हैं। मैंने स्वयं देखा है कि वहां पर कुछ गल्तियां हुयीं थीं, उसकी जांच भी कराई गई थी और रिपोर्ट भी आई होगी, मुझे मालूम नहीं है लेकिन वहां के धोबियों के बारे में मेरा अवश्य एक सवाल है कि शासन को उनकी समस्या को हल करने के लिये वहां पर एक धोबी घाट अवश्य बनवाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि हमारे माननीय सदस्य को बड़ी सफाई से यह भी अर्ज कर देना चाहिए कि आपके शासन काल में कब्रिस्तान के बारे में क्या हुआ। जब आप किसी चीज को बयान करें तो खुले दिमाग से बतायें कि हमारा क्या कसूर रहा और वर्तमान शासन का क्या कसूर रहा और दूसरों का क्या रहा। क्या वहां के मुसलमानों के कब्रिस्तान पर आपने कब्जा नहीं किया, उनको बिसमार करने की कोशिश नहीं की? इन तमाम चीजों को आपको देखना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक मुसलमान हूं बल्कि न्याय की दृष्टि से यह तकाजा है कि सरकार माइनौरिटी की चीजों को भी देखे और उन्हें महफूज रखने के लिए, ईमानदारी से काम करे।

जहां तक वाटर वर्क्स की स्कीमों का सवाल है इनको हमने देहातों, टाऊन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज में भी चलायी हैं और बहुत अच्छी योजनायें हैं मगर मुझे खुद ताज्जुब है कि इन स्कीमों को स्टार्ट करने के बाद इनकी मेन्टीनेन्स कौन करेगा। नोटिफाइड एरियाज, टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड में वाटर वर्क्स बन जाते हैं लेकिन उनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि हम मेन्टीनेन्स कर सकें। पहले भी यह विचार सरकार के सामने था और आज भी यह विचार है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जल्द से जल्द इस सूबे में एक वाटर वर्क्स बोर्ड बनाना चाहिए ताकि जो चीज हम बनायें, उनको वह देख भी सकें और उनका मेन्टीनेन्स भी कर सकें। इन स्कीमों की हर चीज की हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद है।

अब एक सवाल शहरों के गन्दे पानी का है। हम इससे बड़ी अच्छी तरह से आमदनी कर सकते हैं और इससे म्युनिसिपल बोर्ड्स, नगर पालिकाओं, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज की भी आमदनी बढ़ सकती है। यह पानी बहुत कीमती होता है और सिवेरेज के जरिए से इस पानी को इक्कट्ठा करके फार्मिंग के लिए नगर पालिकाओं, म्युनिसिपल बोर्ड्स और टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इन संस्थाओं को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ नगर पालिकाओं में ये हैं लेकिन वे संतोषजनक नहीं हैं। इसके लिए भी एक बोर्ड बनाकर पानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इससे हमारी खेती भी बहुत अच्छी होगी और उससे शाक सब्जी और बहुत सी चीजें पैदा हो सकती हैं, जो हमारी इन संस्थाओं की आमदनी बढ़ा सकती हैं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। मर्ज इश्क पर क्या होता है, रहमत खुदा की।

हमारे चौधरी साहब हर वक्त शासन में ईमानदारी की बात किया करते हैं। उन्होंने सेन्ट्रल सर्विसेज के लिए भी सुझाव दिया था कि इससे करप्शन कम होगा और नगरपालिकाओं के काम में उन्नति होगी।

मगर मेरा खयाल यह है कि सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज कर देने के बाद करप्शन और बढ़ा और हमारा काम सुचारु रूप से नहीं चल सका। भ्रष्टाचार का मयार अपनी-अपनी जगह पर अलग-अलग होता है। ईमानदारी और बेईमानी का मयार जो आपके सामने है उसका एक सबूत पेश कर देना चाहता हूं कि पिछले माननीय मुख्य मन्त्री, चौ० चरण सिंह के सामने जो इससे बड़ा बेईमान अफसर था, आज शहर में रिटायर होने के बाद उसके पास न मकान है, किराये के मकान में रहता है, जो उसे पेंशन मिलती है उसी पर गुजर करता है---वह सबसे बड़ा बेईमान था। और जो चौधरी साहब का सबसे बड़ा ईमानदार अफसर था उसके पास रिटायर होने के बाद .....

एक सदस्य---

सन्त साहब को क्या समझते हैं ?

श्री आशा जैदी---

रिटायर होने के बाद कानपुर में, लखनऊ में और दिल्ली में उसके पास एक मकान है, किछा में उसके पास फार्म है। बेईमानी और ईमानदारी का यह मयार है।

सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज के बारे में श्रीमन्, आपके द्वारा अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जो बड़ी सर्विसेज हैं उनको सेंट्रलाइज्ड किया जाय, मगर जो छोटी सर्विसेज हैं, जैसे कि "सैनिटरी इंसपेक्टर हैं, यह खत्म कर दी जायं और अगर इनको रखा जाय तो मैं जाती

[श्री आगा जैदी]

तजुर्बे से कहता हूं कि एक सैनिटरी इंस्पेक्टर का ट्रांसफर अगर गोरखपुर से अलीगढ़ करते हैं तो वह ३००-३५० पाने वाला जब अलीगढ़ में पहुंचता है तो उसे २०० से कम पर मकान नहीं मिलता है ।

एक सदस्य---

इनको कितना टाइम दिया है ? हम बोलते हैं तो ५ मिनट में ही लाल-बत्ती कर देते हैं ।

श्री आगा जैदी---

इसलिए अगर हम इन तमाम सर्विसेज को सेंट्रलाइज्ड करना चाहें तो पहले नगरपालिका शासन द्वारा उनके लिए सस्ते मकान बनवा दिये जायं ताकि वहां पहुंचने पर बड़े शहरों में उनको मकान मिल सके । अगर करना ही है तो बड़ी तनख्वाह वालों को सेंट्रलाइज्ड किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन कर रहा हूं ।

*श्री देवप्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, स्थानीय निकाय प्रजातन्त्र की पहली सीढ़ी है, लेकिन बहुगुणा जी मीठे शब्दों के अंदर उस सीढ़ी की किसी प्रकार की भी कल्पना नहीं करना चाहते हैं । अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ भी रास्ता दिखलाया, वह केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को एक मार्ग दर्शन दिखलाकर बोलने का एक जरिया बना दिया । वास्तव में यह नगरपालिका अधिनियम इतना पुराना है कि इस आजादी के बाद भी आज उसके ६० वर्षों में कितने परिवर्तन की आवश्यकता है---यह विचारणीय विषय है । मुख्य मन्त्री जी स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि वह इतना पुराना अधिनियम है और पिछली सरकार ने भी यह नियम बदलने की बात सोची थी । बहुगुणा जी भी आये तो उन्होंने इस अधिनियम में परिवर्तन सोचा था, लेकिन क्या कारण हुआ कि आप अपने मन्त्रिकाल में वह काम नहीं कर पाये, यह स्वयं वही बता सकेंगे ।

अभी यह कहा गया कि हम नगरपालिकाओं के प्रशासन को बहुत स्वच्छ और अच्छा बनाना चाहते हैं । लेकिन यह समझ में नहीं आता कि आज सारी शक्तियां यह सरकार अपने हाथ में लेती जा रही है और उसके बाद नगरपालिका के प्रशासन को स्वच्छ बनाने की बात कही जाती है । आज बेसिक शिक्षा के नाम पर शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया, जल आपूर्ति योजना बनाकर जलकल विभाग अपने हाथ में लेने की सरकार ने सोची । ऐसा लगता है कि केवल झाड़ू पंजा ही नगरपालिकाओं के हाथ में सौंपने की योजना सरकार की है जिसमें केवल खर्च का काम है । कहा यह जा रहा है कि हम यह नहीं चाहते कि नगरपालिकायें जब्त की जायं लेकिन फिर भी जब्त कर ली जाती हैं । मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमारी इच्छा न होने के बावजूद हमने जब्त किया लेकिन हम चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं । मैं केवल एक फैजाबाद नगरपालिका का उदाहरण देना चाहता हूं जो अभी ३० जून, को जब्त की गई जबकि किसी किस्म की शिकायत उस नगरपालिका के अन्दर नहीं थी और ४ मई के अन्दर उसके सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्युएन्सी के परिसीमन का निश्चय हो चुका था, वोटर्स लिस्ट का पब्लिकेशन हो चुका है, चुनाव की सम्पूर्ण तैयारी है, लेकिन चुनाव न करा कर नगरपालिका को क्यों जब्त कर लिया गया यह एक समस्या है । इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को मैंने २५ जून को एक पत्र भी दिया था और मुख्य मन्त्री जी ने ३ जुलाई को कहा कि ३१ दिसम्बर तक कार्यकाल बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन उस बीच में ऐसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगता है कि अफसरों के अंकुश में आकर इस नगरपालिका को जब्त किया गया। इसका कारण यह है कि लोकल सेल्फ के सचिव फैजाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने लड़कों के नाम चार मकान पास करा लिये हैं। मकान बन रहे हैं। नाजायज पाइप लाइन डालने के लिये, नाजायज सड़कें निकालने के लिए उन्होंने इस नगरपालिका को जब्त कराया। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोठी पर जाकर देखें तो १६ आदमी जो सड़कों की मरम्मत करने के लिये रहते हैं वे जिलाधीश की खेती गोड़ रहे हैं। सचिव के बंगले पर जाकर देखें तो सड़क बनाने वाला गैंग उनके मकान बना रहा है।

इसी प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि हम चुंगी की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। सब नगरपालिकाओं से पूछा गया कि कितनी-कितनी आमदनी चुंगी से है, उसके लिए हम रोड टैक्स से पेमेंट करेंगे। यह भी कहा गया कि २५ परसेंट रोड टैक्स बढ़ायेंगे। ट्रक वालों ने कहा कि जितनी आमदनी चुंगी से है वह हमसे लीजिए और चुंगी को समाप्त कर दीजिए। पौने चार करोड़ का टैक्स लगाया गया लेकिन चुंगी को समाप्त नहीं किया गया। आज लोग सिनेमा देखने जाते हैं थूक देते हैं, पत्ते खाकर फेंक देते हैं, पेशाब करते हैं नालियों में। कौन साफ करता है? नगरपालिका साफ करती है। क्यों नहीं नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर से हिस्सा दिया जाता है। बड़े-बड़े वैहिकिल्स चलते हैं जिससे सड़कें टूटती हैं। फिर उनकी मरम्मत के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जाता? क्या सरकार को २७ साल तक यह नहीं दिखायी दिया। मुख्य मन्त्री जी ९ महीने से काम कर रहे हैं। ९ महीने में तो लोग अन्दर से बाहर आ जाते हैं। (हंसी) क्या इतने समय में ये सारी चीजें नहीं देखी जा सकती थीं। नगरपालिकाओं में आज मैले की टोकरी सर पर रख कर निकलते हैं जिसको देख कर ऐसा लगता है कि कै हो जायेगी, लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने यह नहीं कहा कि हम हाथ-ठेला देकर इसको समाप्त करेंगे।

मान्यवर, आवास की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इसके अलावा एल० एस० जी० डी० द्वारा जो काम कराया जाता है उसमें बड़ी गड़बड़ी की जाती है। फैजाबाद नगरपालिका ने सीवर प्लान बनाने के लिए एल० एस० जी० विभाग को काम दिया। पहले उन्होंने १९ हजार रुपये मांगे, फिर ३२ हजार मांगे, फिर ५१ हजार मांगे, जब ५१ हजार जमा कर दिये तो कहने लगे कि ९० हजार चाहिए। फिर जितना रुपया इस विभाग को दिया जाता है उसका ७५ प्रतिशत तो विभाग वाले खा जाते हैं और २५ प्रतिशत ही खर्च किया जाता है। जो वे खर्च करते हैं उसका कोई हिसाब भी नहीं देते। जब हिसाब मांगा जाता है तो कह देते हैं कि हिसाब देने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

अनुदान देने में भी पक्षपात की नीति अपनायी जाती है। मिर्जापुर की नगरपालिका को पिछले १० वर्षों में एक पैसा भी अनुदान का नहीं दिया गया। रुदौली की टाऊन एरिया का न तो दफ्तर खुलता है, न वहां कोई काम ही होता है, मगर सारा का सारा पैसा खर्च में दिखा दिया जाता है। सड़क बनती नहीं है, मगर कागज पर बनी हुयी दिखायी जाती है और सारा रुपया खर्च में दिखा दिया जाता है। वह कांग्रेस की टाऊन एरिया है, इसलिए कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं होती।

जब चुनाव का समय आता है तो उससे ३-४ माह पूर्व सरकार इनको भंग कर उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती है। यह गलत तरीका है।

जहां तक ट्रांस्फर के सम्बन्ध में बड़े-बड़े आफिसर्स का ही ट्रांस्फर होना चाहिए। छोटे छोटे लोगों का, इन्स्पेक्टर्स, ओवरसियर आदि का यदि साल दो साल में ट्रांस्फर कर दिया

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

जाता है तो उनको दो-दो चूल्हे बनाने होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मन्त्री जी कृपया दो-दो चूल्हे न बनने दें।

सरकार मेलों के लिए कोई पैसा नहीं देती है। मथुरा में नगरपालिका मेले के लिए पैसा देती है। अयोध्या में १० लाख लोगों का मेला लगता है, मगर इस पावन नगरी में मेले के लिए एक भी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि अयोध्या के मेले को सैन्ट्रालाइज किया जाय।

आपने ५५ जिलों में नजूल विभाग को समाप्त कर दिया है। फैजाबाद में वह अब भी कायम है। उसे तुरन्त खत्म किया जाय। इसके रहने से सड़कें आदि बनने में रुकावट पड़ती हैं।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बरेली नगरपालिका के एक इन्स्पेक्टर ने ५ लाख का गबन किया, मगर चूंकि वह कांग्रेस समर्थित था इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आजतक नहीं हुयी। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार सौतेला व्यवहार खत्म करके सबके साथ एक-सा व्यवहार करे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शफीकुल रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, लोकल बाडीज के सिलसिले में मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया। चूंकि वक्त कम है इसलिये बहुत जरूरी बातों पर रोशनी डालते हुये मैं इतनी ही गुजारिश करूंगा कि जहां तक लोकल बाडीज का ताल्लुक है वह हकीकत में जमहूरियत की जड़ें और बुनियाद हैं और इसी पर हमारे सियासी इदारों की बुनियाद कायम होती है। यहीं से हमारे मुल्क की तरक्की और तनज्जुली का सवाल पैदा होता है। लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाऊं कि यह लोकल बाडीज के जितने भी इदारें हैं वह आज रिश्वतखोरी, बेईमानी और बहुत सी खराबियों का अड्डा बन चुके हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताऊं कि इनकी सबसे बड़ी जो वजह है वह चेयरमैन के चुनाव से ताल्लुक रखती है। इसमें ऐसा होता है कि चेयरमैन का चुनाव पब्लिक के जरिये न होकर बल्कि मेम्बरानों के चुनाव होने के बाद उसको चुना जाता है। जिसकी वजह से ऐसे लोग आते हैं जो सरमायेदार होते हैं और वे मेम्बरान को खरीदने के बाद चेयरमैन बनते हैं और मेयर बनते हैं। इसलिये जो वह पैसा अपने चुनाव में खर्च करते हैं पहले उस पैसे की कमी को पूरा करते हैं।

आज म्युनिस्पैलिटीज के अन्दर ऐसा ही हो रहा है। म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर जो कांस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें चेयरमैन का पूरा-पूरा हिस्सा होता है और चेयरमैन के जरिये से तमाम ठेके दिये जाते हैं जिससे यह लोग कमाई करते हैं।

मैं बतलाऊं जहां तक मुरादाबाद का ताल्लुक है, मुझे बड़े अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है कि बदकिस्मती की बात है कि जिला मुरादाबाद के अन्दर जो म्युनिसिपैलिटी को सस्पेंड किया गया और जैसा मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि मुरादाबाद शहर की म्युनिसिपैलिटी १० यों सालों से सुपरसीड पड़ी हुयी है और आज तक उसका इलेक्शन नहीं हो सका है। इसी तरीके से अमरोहा-चन्दौसी की म्युनिसिपलिटीज भी सुपरसीड हुयी हैं और उनका भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। यह मेरे जिले की बात है और खास तौर से मैं कहता हूं कि यह बड़ी नाइंसाफी की बात है।

जहां-जहां म्युनिसिपैलिटीज का सुपरसेशन कर दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये हैं, आप देखें जहां कहीं इनको गवर्नमेंट के अण्डर में लिया गया है, और जहां तक सफाई का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है वह बहुत खराब है।

मैं एक बात सम्भल के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं। सम्भल जिला मुरादाबाद के अन्दर श्री जरीफ हुसेन साबिक चेयरमैन के जमाने में म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जितना गबन तथा भ्रष्टाचार हुआ उसकी इन्तिहा नहीं है। उन्होंने हर तरीक से म्युनिसिपैलिटी को लूटा। जिसकी जांच हुई और उन पर मुकदमा कायम किया गया। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनको डिबार करना चाहिये था लेकिन आज तक नहीं किया गया और न इंक्वायरी की गई। साबिक चेयरमन के खिलाफ जो मुकदमा कायम है उसके संबंध में मुझे कहना है कि सरकार उसकी इंक्वायरी कराये क्योंकि पब्लिक का पैसा नाजायज तरीक से इस्तेमाल किया गया है।

मान्यवर जहां तक सफाई का ताल्लुक है तो मैं कहूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर बड़ी गन्दगी है। जगह-जगह नालियां सड़ रही हैं तथा गन्दे नाले बह रहे हैं। उनकी सफाई नहीं होती है। सफाई किस तरीके से हो सकती है इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। शहरों में सफाई का जहां तक ताल्लुक है तो म्युनिसिपैलिटीज को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है सफाई के लिये वह अपने मुलाजिम रखती है। लेकिन यदि सरकार सफाई को मेहतरों को अपन कब्जे में दे दे तो उनको आर्थिक लाभ होगा। लाभ के लालच से वह ज्यादा सफाई कर सकते ह। इस तरह से सफाई का इन्तजाम अच्छा हो सकता है।

मान्यवर सम्भल में जो हाउस टैक्स का एसेसमेंट हुआ था वह गलत तरीके से हुआ है। साबिक चेयरमैन, श्री जरीफ हुसेन की वजह से वहां की जनता पर इतना टैक्स लगा दिया है कि वे लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहां कहीं एसेसमेंट कराया है वहां यह गलती हुई है। सरकार यह एसेसमेंट अपने तौर पर दोबारा कराये और उसको म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में न दे क्योंकि इससे लोकल पालिटिक्स इन्वाल्व्ड हो जाती है। इसलिये जो लोग उनकी पार्टी में नहीं होते हैं उन पर ग त ढंग से हाउस टैक्स एसेस किया जाता है। इसी तरह सम्भल में हुआ है जिससे यहां की जनता परेशान है।

मान्यवर जहां तक चुनाव का ताल्लुक है उसके संबंध में मेरी तजवीज है कि चेयरमैन का इलेक्शन डाइरेक्ट होना चाहिये, पब्लिक से चेयरमैन चुनकर आना चाहिये। चूंकि वह पब्लिक से चुन कर नहीं आते हैं इसलिये वे मेम्बरान को खरीद कर चेयरमैन बनते हैं। जिससे वहां बेईमानी तथा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार होता है। यदि ये लोग पब्लिक के जरिये चुने जायं तो बहुत सी कमियां दूर हो सकती हैं और नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं का इन्तजाम ठीक हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो इससे फायदा पहुंचेगा।

दूसरी बात म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो शिड्यूल बने हुये हैं यानी चुंगियों के जो रेट हैं---वे अलग-अलग ह। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट्स हैं। इसलिये मेरा सजेशन यह है कि सरकार पूरे प्रदेश के अन्दर एक रेट बनाये, एक शिडयूल बनावे। मुख्तलिफ म्युनिसिपैलिटीज में मुख्तलिफ रेट्स और शिडयूल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। सब जगह चार्जेज एक-सा होने चाहिये।

मान्यवर, हरिजन बस्तियां आमतौर से गन्दी हैं और वहां पर सरकार की तरफ से भी कोई तवज्जह नहीं है। आप किसी भी शहर या जगह पर चले जायं, हरिजन बस्तियां बेइन्तहा गन्दी मिलेंगी और आज भी इस जम्हूरियत के अन्दर शायद उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अल्फाज में तो कहा जाता है, वोट लेने के लिये जरूर आप इस बात की

[श्री शफीकुल रहमान वर्क]

कोशिश करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके यहां खाना खाने की कोशिश करते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनको ऊपर उठायेंगे, लेकिन अगर उनकी बस्ती पर नजर डाली जाये तो यकीनन यह महसूस होगा कि शायद वह हमारे समाज से अलग हैं और उनका कोई मुकाम नहीं है। इन शब्दों के साथ चूंकि समय कम है, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इस बजट अनुदान को प्रस्तुत करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन माननीय सदस्यों से जो आज की बहस में भाग लेने वाले हैं, यह उम्मीद की थी कि वह दो-तीन समस्याओं पर उनकी ओर से सुझाव आयेंगे, कि किन तरीकों से अवक्रमित किया जाय क्योंकि मान्यवर आप जानते हैं कि काफी नगरपालिका ऐसी हैं जो अवक्रमित हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद की थी कि कैसे आमदनी बढ़े ताकि नगरपालिकायें अपनी व्यवस्था कर सकें और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन कर सकें। साथ ही मान्यवर स्थानान्तरण इत्यादि के बारे में भी कुछ रचनात्मक सुझाव की भी उन्होंने आशा की थी। उनके भाषण के बाद जैसे ही कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये माननीय सदस्य ने अपना भाषण प्रारम्भ किया तो मैं उनकी बातों को आद्योपान्त सुनता रहा और मान्यवर, मुझे क्षमा करेंगे कि वह माननीय सदस्य, मैं हैरान हो गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सार्वजनिक निर्माण के अनुदान पर बोल रहा है या प्रदेश की नगरपालिकों के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एक बहुत बड़ी झील है, कैसे निर्माण किया जाय जिससे बाहर के आने वाले लोगों को सुन्दर मालूम हो सके, इत्यादि इत्यादि या किन किन नगरों में या शहरों में निर्माण का कार्य चल रहा है। उनका यह भी कहना था कि सरकार ने प्राइमरी शिक्षा को अपने हाथ में लेकर नगरपालिकाओं का एक बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया और उसी बात को आगे बढ़ाते हुये कहा कि सरकार जब नगरपालिकाओं के सारे अधिकार छीन ले रही है तो फिर इन नगरपालिकाओं या स्वायत्त शासी संस्थाओं के रहने की क्या जरूरत है।

मान्यवर, यह भी कहा कि इस सरकार ने नगरपालिकाओं को जानबूझ कर किसी दूरगामी राजनैतिक उद्देश्य से भंग किया है। मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं और सदन के माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि सन् १९६७ के पहले लखनऊ की नगरपालिका किन लोगों के हाथ में थी, क्या उसकी स्थिति हुई, मैं उस ब्योरे में नहीं जाना चाहता लेकिन शाही कमीशन की रिपोर्ट काफी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गई है। अगर यह दल राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से फैसला करता तो इसे लखनऊ नगरपालिका को भंग नहीं करना चाहिए था क्योंकि १९६७ के पहले मान्यवर किसको नहीं मालूम है कि जो सज्जन कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे उनके पास इस विधान सभा की कितनी सीटें थीं। लेकिन उनके अच्छे प्रशासन या कुप्रशासन का ही परिणाम था कि १९६७ में उनको एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई।

मान्यवर, अभी हाल में साल दो साल पहले अख्तर हुसेन कमेटी बनी थी जिसने पचासों मुद्दों पर विचार किया। माननीय जैदी साहब ने बतलाया कि भूमि का कितना अतिक्रमण हो रहा है। और तो जाने दीजिये आपके अधिकार क्षेत्र के निकट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य दारुसफा में रहते हैं। बी ब्लाक के सामने एक रेस्टारेन्ट खुला हुआ है और सड़क के किनारे किन लोगों ने उसका निर्माण कराया है। नगरपालिका में किस दल के चुने हुए लोग थे। इस पर माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे विचार करेंगे। इस दल का हित इस बात में है कि नगरपालिकाओं को भंग न करें क्योंकि नगरपालिका उधर के लोगों के हाथ में जहां जहां थीं वहां चुनाव होने पर आम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्वाचन में हमको सेंट परसेंट सीटें मिली हैं। (एक माननीय सदस्य के टोकने पर) अब क्या बताने की जरूरत है कि लखनऊ का प्रशासन जब आपके दल के हाथ में था तो जिन पदों पर १०० कर्मचारियों की जरूरत थी वहां १५० को नियुक्त किया गया। ईटों के भट्टों में कितना घपला हुआ। कितने एनक्रोचमेंट हुए। मैं तो मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अख्तर हुसेन कमेटी रिपोर्ट, शाही कमेटी रिपोर्ट और तमाम दूसरी रिपोर्टें जो नगरपालिकाओं के संबंध में शासन को प्राप्त हुई हैं उन पर विचार हो जाय। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांवों का और नगरों का प्रजातंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। "डेमोक्रेसी इज सो प्रीशस दैट इट मस्ट बी राशन्ड"। प्रजातन्त्र बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है और इसकी राशनिंग होनी चाहिए। आपने स्वयं सुना होगा। यूसुफ साहब आपसे उम्मीद करते हैं कि कानपुर में रहने वालों के सारे भवनों का निर्माण शासन करवा दे। कोई माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे और कह रहे थे कि गांवों और शहर के शौचालय का निर्माण शासन करवा दे। लेकिन उसके साथ साथ यह कहा जाता है कि हम सीवरेज बोर्ड क्यों बना रहे हैं। पिछले वर्षों के अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि सुपरसेशन या अवक्रमण लोगों के लिए लाभदायक है। एक साहब ने कहा कि नगरपालिकाएं प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी हैं। इससे कौन इन्कार करता है। पिछले २०-२५ साल में नगरपालिकाओं की जो अधोगति हुई है अगर एक सूची पेश की जाय कि कौन उनके अध्यक्ष थे तो इसी से स्पष्ट हो जायगा। मान्यवर जिस नगरी में हम रहते हैं, लखनऊ क्या था। और जाने दीजिये, कारलाइल ने क्या कहा था? उसको आश्चर्य हुआ इस नगरी को देख कर इसी नगरी के परिसर के पास खड़ा होकर कहता है कि 'परमात्मा यह धर्ती है या कोई स्वर्ग।' यह मनुष्यों की नगरी तो नहीं हो सकती है। उसी नगरी में हम देखते हैं कि कोई आलमबाग है तो कोई लालबाग। ये नाम सुनते हैं और आज क्या है। उसी नगरी की लखनऊ नगर महापालिका कई वर्षों तक जनसंघ के हाथ में रही है और आज हमारे ऊपर यह आरोप थोपा जाता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूं कि अगर आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है तो इधर बैठने वाले उसका निर्वहन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं, मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)---

मान्यवर, यह मेरा मौलिक अधिकार है कि हम भी अपने विचार रखें। १० मिनट न सही, तो कम से कम ५ मिनट ही हमको दे दें।

श्री अध्यक्ष---

मौलिक अधिकार की बात अलग रखें। वैसे तो यहां ४२५ सदस्य हैं जो बोलने का हक रखते हैं। खैर, आप ५ मिनट ले लें।

बाबा रामनाथ---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान हरिजन और सफाई मजदूरों की समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आज भी एक ऐसा वर्ग है जिसकी एक दिन की मजदूरी एक रुपया है, जब कि १० हजार और ५० हजार प्रति कमाने वाला भी वर्ग है। मैंने आंकड़े लगा कर देखा कि इन हरिजनों को ५ या ७ परसेंट शिक्षा का औसत है। उनके बच्चे उन स्कूलों में शिक्षा के लिये नहीं जा सकते

[बाबा रामनाथ]

जहां सवर्णों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहां ५ हजार की आबादी है। मैं समझता हूं इनमें से केवल हमारे यहां जनपद मैनपुरी के कस्बों में हरिजन (सफाई करन वाले) की करीब ५ हजार (Five Thousands) की आबादी है जिसमें २ अथवा ३ के आस पास ही ग्रेजुएट होंगे। तमाम शहर की सफाई की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उनके बच्चों के पढ़ने के लिये आज व्यवस्था नहीं, उनके रहने के लिये मकान नहीं, वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि इन सफाई मजदूरों की समस्या को हल करे। मनपुरी म्युनिसिपलिटी में उनका एरियर नहीं दिया गया। और दूसरी सुविधायें नहीं दी जाती हैं। कमर पर डलिया रख कर कूड़ा डालते हैं। मनपुरी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम म्युनिसिपैलिटीज में आज इस वर्ग की दुर्दशा है। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनका ध्यान इस वर्ग की ओर आकर्षित करता हूं। जो सफाई के ठकेदार हैं उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं। सरकार का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह उनकी समस्याओं की ओर गौर करे। हमारे यहां जो इन लोगों को एरियर नहीं दिया गया, वह कृपया तुरन्त दिया जाय। यही मेरा इस उपेक्षित वर्ग के लिये साधारण-सा सुझाव है। शासक वर्ग को मेरी चेतावनी है कि अगर इस वर्ग का ध्यान न रखा गया तो आप धराशायी हो जायेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

५ मिनट, मान्यवर, मुझे द दें। ३ आदमी बोला करते थे, २ बोले हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब समय नहीं। मैं बी० के० डी० के नता से कहूंगा कि कांग्रेस के सदस्यों के बराबर बोलने का मौका उनके दल के सदस्यों को मिला है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

केवल दो सदस्य बोलें है और दूसरे दल के कितने सदस्य बोले यह भी आप देख लें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मुझे केवल ५ मिनट का समय चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं यह कहूंगा कि नेताओं को अपने दल के सदस्यों द्वारा बोलने के लिये ऐसा आग्रह करना ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मैंने पहले कभी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष---

सही बात हमेशा कह सकते हैं ? (व्यवधान तथा शोरगुल)। इस तरह से अव्यवस्था फैलती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

हमारे दल के सदस्य सुबह से बराबर खड़े हो रहे हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार आप हमारे दल की उपेक्षा कर रहे है।

श्री अध्यक्ष--

समय देने के बारे में मैं स्वयं अपने विवेक से काम लेता हूं और दुनिया भर के स्पीकर जो हैं वे भी इसी तरह अपने विवेक से काम लेते हैं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा अन्य सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

५ मिनट का समय दे दीजिये । हमारे दल से कोई आदमी नहीं बोला है ।

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

आप व्यवस्था दें । जिसका नाम लेंगे वही बोलेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

हमारे दल के सदस्य श्री शिव नाथ सिंह को ५ मिनट का समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अब समय नहीं दे रहा हूं । आप के लोक सभा में जिस संख्या में सदस्य हैं उनको कितना समय दिया जाता है उसे आप देख लीजिये और दूसरी विधान सभायें उनमें कितना समय दिया जाता है उसे भी देख लीजिये । उससे शायद चौगुना समय आपको यहां मिला होगा लेकिन हक से ज्यादा आप चाहते हैं । बोलने की अनुमति के बारे में अध्यक्ष को एक मात्र हक है । जिस पर आंख पड़ेगी, जितना समय होगा उसी के अनुसार मौका दिया जायेगा । (व्यवधान) . . . मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि ऐसे काम नहीं चल सकता है और एक भी भाषण नहीं हो सकता है ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव---

आज दो दिन से मेरे दल को बहुत कम समय बोलने के लिये दिया जा रहा है . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से नहीं भाषण दे सकते ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

आपने हमें बोलने का समय नहीं दिया इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जबाब देंगे । (श्री अवधेश कुमार के खड़े होने पर) । मैंने आपको चार मर्तबे बोलने का मौका दिया लेकिन जब भी कोई माननीय सदस्य बोलने लगता है तो आप बैठ जाते है । आपको बोलना चाहिये न ।

श्री अवधेश कुमार--

मान्यवर, दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने इस अनुदान के प्रस्तावों पर तथा कटौती के प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्रत्युत्तर में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । क्योंकि सभी सदस्य इस राय के थे कि स्वायत्त शासन विभाग स्वस्थ नहीं है और वह बीमारी की हालत में है उसको ठीक किये जाने की आवश्यकता है । परन्तु माननीय सदस्य आगा जदी तथा माननीय सदस्य रामायण राय जी की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उनकी बातों का उत्तर देना आवश्यक है । मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने माननीय रामायण राय जी का भाषण सुना कि उन्हे ऐसा लगा कि मैं सार्वजनिक निर्माण के ऊपर भाषण दे रहा हूं । जब मैंने म्युनिसिपल कारपोरेशन्स, म्यूनिसिपल फाइनेन्सिंग के बारे में, हाउसिंग के बारे में नगरपालिकाओं की सेन्ट्रल सर्विसेज के बारे में अपने सुझाव रखे नगर पालिकाओं की दुर्दशा के बारे में कहा तो उनको लगा कि मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में बोल रहा हूं । यह बड़े आश्चर्य की बात है । माननीय सदस्य आगा जदी साहब ने माना कि स्वायत्तशासन की समस्या बड़ी गंभीर है । लेकिन उन्होंने नगरपालिकाओं के सुपरशेसन में राजनीति से इन्कार किया और उस सिलसिले में उन्होंने जौनपुर और गोरखपुर नगरपालिकाओं का जिक्र किया । जौनपुर की नगरपालिका के बारे में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बराबर कई वर्षों से जनसंघ का बहुमत रहा है । म पूछना चाहता हूं कि यदि जौनपुर की नगरपालिका को इस सरकार ने कानूनी और सही ढंग से अवक्रमित किया है तो हाईकोर्ट से वह अवक्रमण क्यों समाप्त हो गया ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

जौनपुर की नगरपालिका अवक्रमित नहीं हुई थी ।

श्री अवधेश कुमार--

जौनपुर के बारे में जो सरकार का निर्णय था, वह निर्णय हाईकोर्ट में टिक नहीं सका और दूध का दूध और पानी का पानी वहां हुआ । गोरखपुर के बारे मे म माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कब्रिस्तान के बारे में तो कहा कि कब्रिस्तान के बारे में जनसंघ का विरोध था । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि गोरखपुर नगरपालिका की समस्या बड़ी गंभीर थी और गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र में एक ओवरहेड टैंक बनना जल व्यवस्था के लिये आवश्यक था । उसके लिए नगरपालिका ने सोचा कब्रिस्तान के एक कोने में वह ओवरहेड टैंक बन जायगा तो उससे कब्रिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पानी की व्यवस्था में भी सुधार हो जायगा । इस पर तो उन्होंने कहा लेकिन क्या कभी आगाजैदी साहब ने गोरखपुर में श्मशानघाट के बारे में सोचा जबकि कब्रिस्तान और श्मशानघाट दोनों के मेन्टीनेन्स की जिम्मेदारी नगर पालिका ऐक्ट के अनुसार नगरपालिका पर है । उन्होंने क्या कभी सोचा कि गोरखपुर में श्मशान घाट की क्या समस्या है । वहां घाट की बड़ी दुर्दशा है । बरसात में श्मशान घाट पर मुर्दे जलाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि राप्ती नदी का कटाव इतना ज्यादा और इस प्रकार होता है कि कोई जगह नहीं रह जाती है जहां मुर्दे जलाए जा सकें । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि हम लोग कब्रिस्तान के विरोधी हैं । वास्तव में गोरखपुर में कब्रिस्तान कई हैं और उनका रखरखाव नगरपालिका की तरफ से भलीभांति होता है और जनसंघ ने भी इस जिम्मेदारी का भली प्रकार निर्वहन किया है । इसलिए यह आरोप कि जनसंघ किसी दूसरे रूप में उसका प्रयोग करना चाहता था या उसमें बाधा खड़ी करना चाहता था बिल्कुल गलत है । जिस हालत में वह नगरपालिका अवक्रमित की गई उसके बारे में कह चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं । माननीय सदस्य वाराणसी ने नगरप्रमुख के बारे में कहा कि उसका चुनाव डाइरेक्ट एलेक्शन के जरिये होना चाहिये । परन्तु मेयर के चुनाव के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि डाइरेक्ट चुनाव भी करते हैं तो उससे भी समस्या पैदा हो

सकती है उस हालत में कि यदि मेयर एक दल का हुआ और सदस्य दूसरे दल के आ गये । तो समस्या पैदा होगी और खींचतान की हालत में बड़ी खराब स्थिति पैदा हो सकती है । महापालिका ऐक्ट में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इस तरह की खींचतान न होने पाये । एक सुझाव इस सम्बन्ध में मैं यह देना चाहता हूं कि मेयर के चुनाव का जो हर साल प्राविधान है, इसे समाप्त किया जाना चाहिये और मेयर की पावर में वृद्धि की जानी चाहिये ।

अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य रामायण राय जी ने लखनऊ महापालिका के बारे में यह कहा कि जनसंघ ने यहां कुछ नहीं किया और जब चुनाव हुए तो यहां पर बाद में इनकी संख्या कम हो गई । आज भी यदि देखा जाए तो जो भी काम जनसंघ के कार्यकाल में हुए वे अब भी लोगों के सामने हैं । जो भी पार्क और फौव्वारे वगैरह बने, उसी समय में बने···

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

और उसी समय में मिड नाईट डील कांड हुआ था जब आपके मन्त्री श्री रामप्रकाश उसमें मेयर थ । जो चौधरी चरण सिंह क साथ उनके मुख्यमन्त्री के समय में यहां उपमुख्य मन्त्री बने थे ।

श्री अवधेशकुमार—

लखनऊ के बारे में जिनको शिकायत है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि (व्यवधान) जनसंघ का काम देखना है तो दिल्ली में देख आएं जहां पर जन संघ को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिला है । आज जनसंघ ने दिल्ली का चित्र बदल दिया है जिसको सभी ने स्वीकार किया है ।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सारे बड़े नगरों के पेरीफेरीज, आउटस्कर्टस् पर आबादी बढ़ रही है । लोग अनियन्त्रित ढंग से गांवों से आकर बस रहे हैं । य समस्यायें वहां पर खड़ी हो रही हैं । नगरों की बढ़ती हुई आबादी में सोशिओइ-कानामिक प्राबलम पैदा हो रही है । जब तक नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की व्यवस्था ठीक नहीं की जायगी तब तक यह सोशिओ-इकानमिक प्राबलम्स बढ़ती जायेंगी । एक ओर बड़ी बड़ी अट्टालिकायें, चमकती हुई कारें और दूसरी ओर स्लम्स और उनमें रहने वाले बच्चे जो स्टेशनों पर व होटलों के सामने जूठे पत्तल चाटते हुए दिखायी देते हैं । इस विषमता को अगर समाप्त करना है तो हमको नगरों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा । इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन मेरे कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, पहले मेरा यह प्रस्ताव है कि जब तक यह ग्रांट पूरी न हो जाय, सदन का समय आप बढ़ा दें, उतना बढ़ा दें जब तक कि बात पूरी न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय उस समय तक जब तक प्रस्तावित कार्यक्रम पारित नहीं हो जाता बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैं अनुगृहीत हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने आज की ग्रांट के सम्बन्ध में चर्चा की, और कल जो ग्रांट पास कर लिया इस सदन ने उसके सम्बन्ध में भी अपनी परामर्श हमें दिया। मान्यवर, एक बात सबसे पहले जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, कि यदि यह सम्भव हो सके कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में राजनीतिक दलों के रूप में न काम करने का निश्चय हम उत्तर प्रदेश में ले सकें तो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी बुनियादी कमजोरी उनकी है वह दूर हो जायगी। और उससे जनतंत्र को भी कोई घाटा नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जो सुझाव इस सम्बन्ध में मैंने कुछ दिये थे स्ट्रक्चर के बारे में, रूप क सम्बन्ध में करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने बुनियादी तौर से, इन डेप्थ ऐंड डिटेल में भी नहीं गया था, साधारणतया सभी ने स्वीकार किया।

माननीय सदस्य मौलाना संत सिंह यूसुफ जी ने कानपुर की चर्चा की। मान्यवर, यह बात सच है कि जहां कानपुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है दुख की बात है कि उसका इंतजाम सफाई के मामले में, रहने के मकानों के सिलसिले में, सैनिटेशन के सम्बन्ध में, हजारों जरूरतों को रफा करने के सम्बन्ध में गैर माकूल है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यह कहने में बहुत खराब है। उसको दुरुस्त करना चाहिये। मान्यवर, एक तो अगर इस सदन के सब लोग इस बात को अच्छा समझें, समय आ गया है, कानपुर कारपोरेशन की परिधि के अन्दर उन उद्योगों को नहीं लगाना चाहिये जिनके किसी प्रकार के ऐफ्लुएंट्स, पल्युशन, चाहे हवा या पानी का होता हो, ऐसा कोई उद्योग वहां नहीं लगायेंगे बल्कि चारों ओर पन्द्रह मील के एरिया में दोनों तरफ से उसको बन्द कर देना चाहिये। दूसरी बात जो कानपुर के संबंध में करनी है वह ठीक है। इसके सीवर्स जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने कहा गंगा में गिरते हैं। कानपुर के नालों द्वारा एफ्युलुएंट गंगा में गिरते हैं। एफ्लुयेंट बोर्ड ने १९५९ से काम करना शुरू किया था लेकिन इसने अभी तक प्रभावी काम एक पैसे का भी नहीं किया है। बदकिस्मती से १९५९ से लेकर अब तक इस बोर्ड ने कोई प्रभावी काम नहीं किया है। हम सदन के सामने एक प्रस्ताव ला रहे हैं। १९७४ में केन्द्रीय संसद न एक ऐक्ट पास किया है जिसके मुताबिक हवा और पानी के पौलूशन को रोकने की व्यवस्था की जा रही है और इसमें प्राविधान है कि राज्यों की असेम्बलियां प्रस्ताव द्वारा यदि उसको अपने यहां लागू करना चाहें तो कर सकती हैं। हमने निर्णय लिया है कि सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिये इसी सत्र में प्रस्ताव उपस्थित करेंगे ताकि व्यवस्था कर सकें।

मान्यवर, एक फैक्ट्री ऐक्ट की व्यवस्था है। इसके सम्बन्ध में मैंने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि जो फैक्टरीज अपना एफ्लुयेंट बाहर निकालती ह और जो बोर्ड का हुक्म नहीं मानती हैं तो सजा बहुत कम है। इसमें लिखा हुआ है कि तीन महीने की सजा हो सकती है या कुछ हजार रुपये जुर्माने के हो सकते हैं। अगर फैक्टरी न माने तो ७५ रुपया रोज जुर्माना उस पर होगा। इसमें भी सजा मैनेजर पायगा और कहीं भी इसमें मालिक पकड़ में नहीं आता है। केन्द्रीय सरकार को हमने एक पत्र लिखा है जिसमें यह प्रस्ताव है कि फैक्ट्री ऐक्ट में तरमीम होनी चाहिये। अगर केन्द्रीय सरकार फैक्ट्री ऐक्ट में तरमीम करने की आज्ञा दे देती है जिससे सजा बढ़ाई जा सके और तीन महीने के बजाय तीन साल की की जा सके और इसमें किसी तरह से ओनर या मैनेजिंग डायरेक्टर वगरा इस ऐक्ट की परिधि में लाये जायं और उनको सजा का भागीदार बनाया जा सके और मिल पर छोटा जुर्माना न लगाया जाये। उसके रोजाना के उत्पादन ५ परसेंट या ३ परसेंट, अलग अलग स्लैब में जुर्माना लगाया जाय। यदि ऐसा हो जाये तब शायद यह कब्जे में आ जायं वरना प्रदेश में जितनी मिलें हैं, कपड़े की मिलें हैं चमड़े के कारखाने हैं तथा खाद्य पदार्थ बनाने के उद्योग हैं उनसे निकलने वाले एफ्लुयेंट जो बहते हुए नाले में गिरते हैं जिनके किनारे जैसा कि एक दोस्त ने कहा अपनी हाजत को रफा करने के लिये खुले में बठना पड़ता है। यह गन्दगी है जो हमारे पानी के सिस्टम को नष्ट कर रही है।

यह सच है कि बड़ी आवश्यकता आज इस बात की है कि सारे प्रदेश के स्वास्थ्य के हित में ध्यान देना चाहिये और दे रहे हैं ।

इसके सम्बन्ध में दो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सलाह मश्विरा किया गया है । एक वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन है और दूसरा आई० बी० आर० बी० है । इनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की ५ नगर महापालिकाओं, बुन्देलखण्ड का समस्त क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश का समस्त क्षेत्र और जहां सैलाइन पानी निकलता है, जैसे आगरा तथा मथुरा वगैरा हैं, यदि इनको ठीक करने की व्यवस्था की जाये तो २८०२ मिलियन रुपया चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि अरबों रुपया चाहिये । इस लिये बी०के० डी०के नौजवान दोस्त जिन्होंने गवर्नमेन्ट को चुनौती दी है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इस काम के बोझ को समझते हुए वह यह मानेंगे कि यह कई पीढ़ियों का बिगड़ा हुआ काम है और इसको ठीक करने में कई पीढ़ियां लगेंगी । जब हम कह सकेंगे कि यह समस्या हमारे यहां बिलकुल नहीं है । हम कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था वर्ल्ड बैंक रुपया लगाने को तयार है लेकिन कहते हैं कि जल और नल बोर्ड बनायें और उसके अधीन सबको लें । हम यह कहते हैं कि बोर्ड बना देंगे अगर उस बोर्ड को रुपया दिया जाये । स्टेट गवर्नमेन्ट गारेन्टर रहेगी । यह बात उनसे चल रही है । जनसंघ के लोगों ने बहुत गुस्से में आकर कहा । सिनेमा वाले सड़क पर गन्दगी करते हैं, कहते हैं कि रोड का टैक्स नहीं देंगे । म्युनिसिपल बोर्ड को कैसे चलायेंगे और उत्तर प्रदेश के बल्क को कैसे चलायेंगे और सिंचाई को कैसे चलायेंगे । सभी बोझ आप पर है । एक तरफ की बात को सोचकर भाग निकले और दूसरी तरफ का क्या होगा । सारे सदस्य जिम्मेदार हैं कि इस प्रदेश को कैसे चलायें । इसको चलाने की जिम्मेदारी सारे लोगों की है । उसके स्वरूप को कायम रखते हुए जो उसका विकृत रूप है उसको दूर करना है । इसलिये सोचना पड़ेगा कि जब यह टैक्स देंगे तो उत्तर प्रदेश के खर्चे को निभाने के लिये कैसे करेंगे । दोनों बातों को सोचना पड़ेगा । हम सोच रहे हैं । टैक्स का जोर उत्तर प्रदेश पर बढ़ रहा है । अब सक्षम नहीं है । यद्यपि कुछ न कुछ करना पड़ेगा । मेरा कहना है कि म्युनिसिपल बोर्ड अपना रुपया ठीक तरह से वसूल करे । पानी का टैक्स है, हाउस टैक्स है उसको वसूल करे इससे उसकी स्थिति सुधरेगी लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वह स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लें । हम एक दलदल में फंसते जाते हैं । रुपया आता नहीं है और काम बढ़ता जाता है । आरगनाइजेशन बढ़ता जाता है, आदमी बढ़ते जाते हैं और उस पर खर्चा बढ़ता जाता है । उस चेहरे को देखते हुए शर्म आती है, परन्तु विकल्प का सवाल है, आल्टरनेटिव का सवाल है, रास्ता दिखाने का सवाल है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर कोई दलीय प्रश्न नहीं है । कोई भी दल हो इस में दो राय नहीं हो सकती है । अब एक बात और कही गयी । आक्ट्राय निकाल दीजिये । कई लोगों ने कहा । अब हमारा १८ करोड़ रुपये का टैक्स आता है आक्ट्राय से और सेल्स टैक्स से ८० करोड़ के करीब आता है अब अगर सेल्स टैक्स को बढ़ाते हैं तो कहेंगे कि बहुत भारी हो गया है । १८ करोड़ है । आज आक्ट्राय जैसा मैंने कहा कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं मैं आक्षेप किसी भी नगर का करना नहीं चाहता । सरकारी कर्मचारी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, उन पर भी नहीं करना चाहता । लेकिन यह सर्वविदित है कि आक्ट्राय पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है । यह १८ करोड़ आसानी से ३६ करोड़ हो सकता है । अगर यह १८ करोड़ ठीक-ठीक वसूला जाय तो इसकी क्षमता और बढ़ सकती है ।

वास्तविकता यह है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी इसको नहीं कर पा रहे हैं । हमने इसकी जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बनाई है एक रिफरेंस मैंने उनको दिया है । मैं बता दूं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जैसा कि मैंने चौधरी साहब से निवेदन किया था लाकरवाला साहब की रिपोर्ट जल्दी ही आजायगी। २०–२५ रोज में हम चेष्टावान हैं कि रिपोर्ट आ जायगी। हम चाहते हैं कि यह बोझ जल्दी निकले। हम अपने सरकारी कर्मचारियों से कहते हैं कि इसमें जल्दी करो। तुम्हारा पोर्ट चार्ज २५ साल है हम पांच साल के लिए आये हैं और उसमें कुछ समय बीत भी गया है। मैं मानता हूं कि काम तेजी से होना चाहिये लेकिन यह तेजी वक्त लेने वाली है, समस्या आसान और साधारण नहीं है।

एक भाई ने सुपरशेसन के बारे में कहा, मैंने रामपुर को सुपरसीड अभी तक नहीं किया, यद्यपि रामपुर के चेयरमैन जो थे उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। मैंने स्वयं आपके पास प्रस्ताव रखा है कि पावर आफ सुपरशेसन पर अगर जरूरत पड़ जाय कोई विकल्प न रह जाय, कमिश्नर कहे, जांच कहे, सी० आई० डी० की रिपोर्ट कहे, भली-बुरी बात कही जाती, व चेयरमन कहे तो विचार करना पड़ता है और अगर औचित्य हो तो उसको करना पड़ता है। मैं मान्यवर एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे सभी भाइयों ने हममें से कहा कि हमको सीवेज और वाटर यूटिलाइजेशन स्कीम बनानी चाहिये। हमने कहा कि अगर यह सीवेज स्कीम ठीक हो जाय, यह लखनऊ के नालों का पानी अगर ठीक हो जाय, लेकिन अभी तो वह गोमती को खराब कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इधर ध्यान देना होगा। सीवेज स्कीम के मुताबिक करीब-करीब २८ हजार एकड़ सिंचाई और हो सकती है जो खाद और सिंचाई दोनों का काम देगी। २४ स्कीमें हम इस योजना में सोचते हैं कि उस पर काम चालू कर सकेंगे।

मान्यवर, सफाई मजदूर के सम्बन्ध में सबने चिन्ता व्यक्त की। सफाई मजदूर दो प्रकार के हैं। एक तो है प्राइवेट जमादार जो आज भी कच्ची टट्टी को कमाते हैं। मैं मानता हूं कि यह बिरादरी ऐसी है जैसी कि कोई दूसरी बिरादरी नहीं है। मां बच्चे की टट्टी साफ करती है लेकिन बड़े होने पर वह भी उससे घृणा करती है। मां की तरह से उसका स्थान है। अगर यह न हो तो सारा समाज किस दशा में पहुंच जाय। दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वह हैं जो महापालिका के कर्मचारी हैं। एक वह भाई हैं जो प्राइवेट टट्टियां कमाते हैं। जाहिर है कि यहां से हम रुपये और धन की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन अगर कहीं नहीं हुई है तो मुझे बड़ा खेद है। लखनऊ में कहीं कहीं प्राइवेट जमादार कच्ची टट्टियों को कमाते है और मालिकों से किसी से ५ किसी से १० रुपया लेते हैं। उनके हाथ में भी पक्की गाड़ी नहीं होती है। हम विचार कर रहे हैं कि हम उसका उत्तरदायित्व किस पर डालें, कैसे करें। कारपोरेशन्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को इनसे कैसे जोड़ें। ऐसी टट्टियां अकसर छोटे लोगों के ही घरों में होती हैं तो हम सोच रहे हैं कि कैसे हम इस बोझ को उन पर डालें ?

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां वहां म्युनिसिपैलिटीज में धोबी भाइयों के लिये घाट नहीं बने हैं। और उनके लिये कुछ इन्तजाम होना चाहिये। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुश्किल हमारी क्या है। समस्यायें इतनी भयंकर रूप में खड़ी हैं कि उनको देखते हुये सरकार के सामने दिक्कतें आती हैं। और इसीलिये कई सरकारें बनी और गयीं लेकिन कोई भी सरकार इसको हल करने का रास्ता नहीं बना पायी। जो आयीं लकीर पीटती रहीं, गिर गयीं, फिर बनी और फिर आगे बढ़ीं। दोष साधनों का है और किसी का नहीं है। समझदारी की भी कमी नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि समझदारी लोगों के पास नहीं लेकिन साधनों की कमी को देखना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम आपके सामने साधन ढूंढने के लिये आयेंगे तो आप हमारा सहयोग और सहायता करेंगे और उत्तर प्रदेश के स्वरूप को बदलने के लिये जिन इनपुट्स की हमें आवश्यकता होगी, उनको पाने में आप हमारी मदद करेंगे।

कानपुर और गोरखपुर में ही धोबी घाट बनाने की आवश्यकता नहीं हर शहर में इसकी जरूरत है । धोबी जो कपड़े धो कर लाते हैं, उनसे शरीर में स्किन डिजीज और वायरस इन्फैक्शन बचाने के लिये यह जरूरी है कि वे कपड़े शुद्ध पानी से धुलें हों वरना आप देखेंगे कि जो इस तरह से हमारे कपड़े धुल रहे हैं, वह अच्छा और स्वास्थ्यकर तरीका नहीं है ।

एक भाई ने फैजाबाद के सिलसिले में कहा उनका ख्याल है कि हम वहां पर बन्दोबस्त क्यों नहीं करते हैं । जो बन्दोबस्त फैजाबाद में हुआ था वह उतना ही पुराना है जितना पुराना फजाबाद का नजूल का बन्दोबस्त है । बीच में बहुत सरकारें आयीं । अगर अच्छा होता तो कोई बात सोचती । नजूल की जमीन किसानों के साथ बन्दोबस्त में थी और बाकी पर मकान बन रहे हैं । मेरी जो सूचना है वह यह है । यह बात गलत हो सकती है लेकिन चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है, लिहाजा मैं देखूंगा । फिलहाल उसे नायब तहसीलदार और कलेक्टर देखते हैं । कलेक्टर के जरिये ही इससे सम्बन्धित कागजात सरकार के पास आते हैं तो कलेक्टर तो हर हालत में बीच में मौजूद है लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा अनिष्ट हो रहा है तो मैं अवश्य देखूंगा ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

एक लाख रुपया २ वर्ष से पड़ा हुआ है । नजूल जमीन नहीं दे रहा है, इसलिये वहां पर बाई पास नहीं बन पा रहा है । बड़ी भीड़ हो जाती है लेकिन कोई भी उपाय सरकार की ओर से नहीं हो रहा है ।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

माननीय मंत्री जी ने यह तो कहा कि शहरों में और गांवों में मेहतर लोग कच्ची टट्टियां कमाते हैं लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके पीने के पानी के लिये क्या व्यवस्था है । काम तो ठीक करते हैं, जैसा मुख्य मंत्री जी ने भी तसलीम किया, इसके लिये तो मुझे खुशी है, लेकिन उन लोगों को हाथ तक धोने और पीने के लिये पानी नहीं मिलता है । उन्हे काम करने के बाद नहाने को पानी भी नहीं मिल पाता है । यह कैसी व्यवस्था है आपकी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो सड़क या बाई पास बनाने की बात अब कही जा रही है अगर वह कटौती के प्रश्न में उठायी गयी होती तो मैं देख कर आता और यहां पर निवेदन कर देता । अब मैं इसे देख लूंगा । जहां तक हमारे मेहतर भाइयों के कष्ट का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की, उसमें मैं सहमत हूं । बड़े-बड़े शहरों में तो बम्बे और नल लगे है, लेकिन गांव में उनकी कठिनाई जबरदस्त है और मैं उसको स्वीकार काता हूं और इसीलिये इस योजना में, ग्रामीण पेय जल योजना के सम्बन्ध में, जो कार्यक्रम बना है उसमें हरिजनों की बस्ती और कुयें और पानी का बन्दोबस्त करने के लिये अलग से बन्दोबस्त किया है ।

एक बात कही गयी कि सरकार अपने हाथ में सब काम समेट रही है । मैं स्वयं इसका विरोधी हूं । मैं व्यक्तिगत राय रखता हूं और जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं इसको नहीं समझता हूं कि फलां काम अच्छा या बुरा हुआ, लेकिन इस सदन ने पास किया था कोई शिक्षा ऐक्ट है । अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो कोई माननीय सदस्य आपस में मिलकर उस सम्बन्ध में तय करें । हमारे पास या तो शिकायत आती है विरोधी दलों से कि तुम्हारा प्रशासन ठीक नहीं है, या तुम ने फलां जगह गलती कर दी है । अगर कोई कांस्ट्रक्टिव सजेस्शन आये कि फलां चीज को फलां में परिवर्तन करो और हम न करें तो दोषी पाये जायेंगे ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कुछ गलतफहमियां जलकल योजना के सम्बन्ध म कायम हो गयी हैं। अभी हमारी तरफ से उधर कोई काम नहीं हुआ है और न सलाह हमें इस हद तक आ गयी है कि हम खुद कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं लेकिन उसको अच्छा कराने की शक्ति पैदा करेंगे, जो लम्बी रकम बतायी इसको कैसे लेंगे, इस पर विचार कर रहे हैं।

एक बात कही गयी कि १९१६ से २२ बार संशोधन हुये और हर बार उलटा कार्य हुआ म्युनिसिपल ऐक्ट में। हुआ होगा। पर मैं ऐसा मानता हूं कि प्रयास उसकी बाबत छोड़ा नहीं जा सकता। जब ४२ बार किया है तो एक बार और किया जाना चाहिये और आज जो मैंने राय सुनी है, जो लोग मानते हैं उससे ऐसा लगता है कि एक रोज में सदन पास कर लेगा। क्योंकि काफी हद तक उसके सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन मिल गया है।

एक गोरखपुर की सिवेर लाइन के बारे में कहा गया। दूसरी बात कही गयी एल० एस० जी० डी० के सिलसिले में कि वह अजीब किस्म का ठेकेदार है जिस पर म्युनिसिपैलिटी का बस नहीं है और एस्टीमेटस हैं वह बढ़ते जाते हैं। फैजाबाद में भी कहा, गोरखपुर में और दूसरी जगह दुगने, तिगुने हो जाते हैं और कबजा भी नहीं है। तो हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक बात में बड़ी असुविधा लगती है कि हमने बजट में रुपया प्रोवाइड कर दिया और वाटर वर्क्स बनाने की बात है और हमने उसको दे दिया और एल०एस०जी०डी० के मुख्य अभियन्ता ने लेजर में रख लिया और म्युनिसिपैलिटी पर सूद चढ़ना शुरू हो गया। ६ साल तक तो उसका काम भी शुरू नहीं हुआ है और सूद इतना चढ़ गया। तो हम सोच रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। जिस दिन काम शुरू होता है और जिस दिन खत्म होता है उसकी रीजनेबिल अवधि बैठानी होगी और उसी का बोझ हमारी म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज, कारपोरेशंस पर होना चाहिये।

यह कहा गया कि उनके पास अपने इंजीनियर्स हैं तो एल०एस०जी०डी० से क्यों कराते हैं तो यह स्पेशलाइज्ड जाब है। मेंटिनेंस तो हर एक कोई ठीक कर सकता है, लेकिन जबकि स्पेशलाइज्ड एजेन्सीज से गलतियां हो रही हैं तो अगर म्युनिसिपैलिटीज स्वयं करने लगे तो जितनी म्युनिसिपैलिटीज होंगी वह अपने ढंग पर करेंगी। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज इनकी रखी जाय, यह ठीक है अगर किसी में क्षमता हो तो हम विचार करेंगे और कंसल्टेंसी प्रोजक्ट बना देंगे। वह प्रोजेक्ट में मदद देंगे। अगर कोई देने के काबिल हैं। लेकिन बड़ा झंझट आपको पड़ेगा पाइप मंगाने की बात इस सिलसिले में बैठती है। एक सेन्ट्रालाइज्ड कमेटी है, गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करके मंगा लेते हैं। यहां काम नहीं हुआ तो दूसरी जगह भेज दिया, वहां से मंगा लिया। लेकिन यहां कठिनाई पड़ेगी। लेकिन मैं उसको आफ-हैन्ड रिजेक्ट नहीं करता अगर किसी में क्षमता है, अगर कारपोरेशन अच्छा काम कर सकता है तो देख सकते हैं कि उसको कौन रास्ते बैठाया जा सकता है। यह जिस वक्त अधिनियम में परिवर्तन लायेंगे उस वक्त समय होगा कि इस विषय पर कोई अन्तिम राय दे सकें।

एक और बात कही गयी कि पानी का प्रेशर कम है और टैक्स पूरा लगाते हो। सवाल यह है कि व्यवस्था आपकी है, बना कर आपको दे दिया। हैंडिंग ओवर के दिन अगर आपने कहा होता कि तुम्हारा प्रेशर ठीक नहीं है, बनाने में गलती है तो हम देखते। लेकिन प्रेशर क्यों कम हो जाता है? एक गैलन पानी अगर एक आदमी को देना चाहते हैं तो अर्बन एरिया में दो साल के अन्दर उस एक गैलन पानी पर तीन आदमी जुट जाते हैं। तो पानी का प्रवाह कम हो जाता है जो लोग गांवों में भाग-भाग कर शहरों में आ रहे हैं इसके कारण। इसीलिये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव के आदमी को गांव में ही क्या-क्या धन्धे दे सकते हैं, चाहे वह नस्ल सुधार हो, चाहे आर्टीजन का काम हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्टी लाइन पर सोच रहे हैं कि गोरखपुर में प्रेशर कम कर दो और लखनऊ में कुछ बढ़ा दो। चाहे आप

चेयरमैन रहें म्युनिसिपल बोर्ड के ओर चाहे मैं रहूं, यह तो कितनी जगह टोंटी टूट गयी, कितनी जगह पानी बह रहा है इस पर निर्भर करता है प्रेशर।

वाराणसी के बारे में कहा गया कि वहां प्रशासक ८ साल से है। मैंने तो उसका ट्रांसफर कर दिया, इसलिये नहीं कि वह खराब है या अच्छा है बल्कि इसलिये कि एक आदमी अगर अधिक दिनों तक एक ही जगह रहे तो चाहे अच्छे से अच्छा आदमी हो वह अच्छा नहीं होता ८ साल तो बहुत होता है।

मैं इस बात को नोट कर रहा हूं कि ट्रांसफर्स और पोस्टिंग में जो हमारा लोकल बाडीज का डायरेक्टोरेट है उसमें केन्द्रित सेवा में लगभग १८ सौ कर्मचारी आते हैं और अकेन्द्रित सेवा में २५ हजार के लगभग कर्मचारी हैं। सन् ६६ से अबतक इस लोकल बाडीज डायरेक्टोरेट का फंक्शनिंग ठीक रूप नहीं पकड़ पाया है। सिवाय ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के कोई दूसरा काम निरीक्षण का, राय देने का वह नहीं कर पा रहा है। ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम प्रिय भी है क्योंकि उसके कारण १०—५ आदमी हर वक्त बैठे रहते हैं। कुछ को मुसीबत मालूम होगी लेकिन कुछ को प्रिय लगेगा। मैं साधारणतः इस राय का हूं कि छोटे कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के बजाय अगर किसी ने कसूर किया हो तो वहीं उनकी मुअत्तली करो, वहीं सजा दो, वहीं उनको निकाल दो यह अच्छा है।

एक बात कही गयी कि जो हमारे खाद्यान्नों में मिलावट करते हैं, चाहे वे कटे हुये फल नाली के बगल में बैठकर बेचते हों चाटपत्ता बेचते हों, मैं स्वयं इस राय का हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन हजारों आदमी पटरियों पर बैठ कर काम कर रहे हैं उनको कहां ले जायं। माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर मैं यह कहूं कि अमीनाबाद से आदमी हजरत महल पार्क में चाट खाने आये तो वह तो आने वाला है नहीं, पटरी से उठा दें तो उसकी रोजी जाय और दूसरे की जबान का मजा जाय। फिर कहां ले जायें उसको? सड़क घेरता है, मक्खी फैलाता है, काम गड़बड़ होता है लेकिन हमारी कुछ ट्रैडीशनल हैबिट्स हैं। अमीनाबाद में एक चाटवाला था, बड़े बड़े लोग, मोटरवाले वहां चाट खाने जाते थे, चाट खाकर पत्ता वहीं फेंक देते थे। तो जब मोटर वाले ऐसा करते हैं तो साधारण नागरिक के बारे में क्या कहा जाय। इसके लिये हमें बेसिक स्कूलों में ही बच्चों को इसकी शिक्षा देनी होगी, तभी कुछ तब्दीली आ सकती है। हम देखते हैं कि चौराहों पर भी पुलिस वाला जब हाथ देता है तो जिनको एक्सीडेंट का डर होता है, वह तो रुक जाते हैं, दूसरे मनमाने ढंग से चलते रहते हैं। तो हमें और आप सब को मिलकर जन जीवन में एक नया स्वरूप देना होगा, तभी उस तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं।

नक्शे पास कराने के लिये भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि गरीब आदमी के नक्शे पास नहीं होते, बड़े-बड़े आदमियों के हो जाते हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के ९ करोड़ ३७ लाख लोगों का एडवोकेट जनरल हूं, किसी अधिकारी या कर्मचारी का नहीं हूं। जहां मेरी नालायकी होगी, मुझे उसे स्वीकार करने में देर नहीं लगेगी। पर प्रश्न यह है कि जो म्युनिसिपल ऐक्ट है उसमें एक जगह यह प्राविधान है कि अगर निर्धारित अवधि के अन्दर नक्शा पास नहीं होता है या अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो उसे अधिकार है कि वह अपना मकान बनाना शुरू कर दे। हमारे बहुत से गरीब नागरिक हो सकता है उस कानून से वाकिफ न हों, मगर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर निर्धारित अवधि के भीतर हां या नां में विभाग से कोई उत्तर न मिले तो लोग अपने मकान को बनवाना शुरू कर दें। उसके बाद अगर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

होती है तो हम उसको देखेंगे । हम उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही पहले करेंगे जिसने नक्शा पास या फेल नहीं किया होगा ।

नजूल की जमीन का जहां तक प्रश्न है, उसको भी हम देखेंगे । नजूल मैनुअल में लिखा है कि जो इंगलिश स्टायल से रहना जानता हो उसे इलाहाबाद की नजूल की जमीन दी जायगी । इसका अर्थ यह हुआ कि गरीब आदमी को तो वह मिल ही नहीं सकती । तो नजूल की भूमि के लिये भी हम कुछ पालिसी बना रहे हैं । हमारा विचार यह है कि जिनके पास मकान न हो या एक मकान तक हो उनको यह भूमि दी जाय, भूमिहीनों को दी जाय, गरीबों को दी जाय, लेकिन अगर बड़े लोगों को दी जाय तो बड़े लोगों से उसका मूल्य उतना लिया जाय जो बाजार भाव हो ।

सस्ते मकान के बारे में यूसुफ साहब ने कहा कि उनकी श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि हाउसिंग बोर्ड १० हजार रुपये में ढाई कमरे वाला मकान बनवा सकता है । मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं होगी अगर यह इतने में बन जाय । हमने यह निर्देश दिये हैं कि ३ स्टोरी तक के मकान हमारे यहां बनाये जायं । दिल्ली में ४ स्टोरी तक के मकान बनाने की इजाजत है । ३ स्टोरी के लिये हमने कहा है ताकि भूमि के दाम हम ठीक-ठीक दे सकें । कुछ लोगों का शौक यह होता है कि अपनी चौहद्दी वगैरह बनाकर पुराने तरीके से उसको बनाये, लेकिन यह शौक उनका पूरा नहीं होगा ।

मुझे अंत में आशा है कि एक सर्व दलीय भावना जिसकी ओर मैंने इशारा किया है ऐसी विकसित की जायगी जिससे हमारे प्रदेश का स्वरूप निखर कर सामने आयगा और प्रदेश का विकास होगा । जो हमारा टाउन एण्ड विलेज प्लानिंग आर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो गांव और शहरों के लिये प्लानिंग तैयार की गयी है यह सारे काम हम गांवों और शहरों दोनों में करेंगे । यह हमारा पूरा विश्वास है कि सदन की सहमति, इस सदन की कृपा और सहयोग से हम उत्तर प्रदेश के चेहरे को कुछ हद तक बदलने में कामयाब होंगे । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि माननीय सदस्य इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि इसमें कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है ।

(मेजें थपथपायी गयीं)

श्री अध्यक्ष--

माननीय अवधेश कुमार क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दें । उत्तर प्रदेश भर के ट्रक यूनियन वाले हैं उनकी चुंगी समाप्त कर दी जाय ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माननीय सदस्य ट्रक यूनियन वालों को लायें । वे अपने लीगल रिम्बररस को लायें । यह १८--२० करोड़ का मामला है, वह कहते हैं तो मैं विचार करने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४ के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३४— ३२७ आवासन, अनुदान संख्या ७१—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ३५—नगर विकास, अनुदान संख्या ६६—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या—८९ ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—आवासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त२२,४४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—७१ के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—७१ आवासन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुये १,२५,०८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—३५ नगर विकास के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५—नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,९५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—६६ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या ६६—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,०२,४८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८९—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८९—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,७०,२८,०००रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत आज सुबह जो सूचनायें मैंने स्वीकार की हैं उनके साथ श्री काशी नाथ मिश्र एवं श्री कृष्णाराय, श्री मुलायम सिंह यादव तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद की सूचना, जो कि भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह कुशवाहा की हत्या के संबंध में है, को जोड़ दिया जायगा। शेष अस्वीकार हैं ।

अब हम उठते हैं और कल फिर ११ बजे पूर्वाह्न मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
११ जुलाई, १९७४ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

थाना बिलग्राम, सांडी व हरपालपुर जिला हरदोई में सवर्णों द्वारा हरिजनों को सताये तथा मारे जाने आदि के बारे में नवम्बर, १९७३ से मई, १९७४ तक प्राप्त शिकायतों तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण

	शिकायतें					अहस्तक्षेप्य अपराध					हस्तक्षेप्य अपराध			
थाना	प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो जांच से सही नहीं पाई गयीं ।	शिकायतों की संख्या जिनसे सम्बन्धित मुकदमे न्यायालय भेजे गये	शिकायतों की संख्या जिनके सम्बन्ध में धारा१०७/११७जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी	शिकायतों की संख्या जिनके सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है	अपराधों की संख्या	जिनमें सुलह हो हो गई	जिनमें कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई	जिनमें धारा १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाही की गई	जिनमें न्यायालय से आदेश लेकर विवेचना हो रही है	अपराधों की संख्या	आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया	अंतिम रिपोर्ट लगी	विवेचना हो रही है
बिलग्राम	५	४	१	..	..	२२	९	१	३	९	५	३	१	१
सांडी ..	५	२	१	१	१	१	..	..	..	१	६	२	..	४
हरपालपुर	..	..	..	..	..	१४	..	१४*	..	...	१	..	..	१

*वादीगण मुकदमा चलाना नहीं चाहते थे, केवल विपक्षियों को भविष्य के लिये चेतावनी दिलाना चाहते थे जो दे दी गयी । और कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५१ पर।)

अपराध	२७-६-७३ से ११-१२-७३ तक की अपराधों की संख्या	१३-१२-७३ से २९-५-७४ तक की अवधि में हुए अपराधों की संख्या	अपराधों की कमी व बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
हत्या ..	३२	४१	२८ प्रतिशत अधिक
आत्म-हत्या ..	१	१	बराबर
डकैती ..	१३	१०	२४ प्रतिशत कमी
हत्या सहित डकैती ..	१	१	बराबर
राहजनी ..	१०५	१०७	२ प्रतिशत अधिक
नकबजनी ..	६७५	८०९	१७ प्रतिशत अधिक
चोरी माल ..	१२०७	१५५८	२८ प्रतिशत अधिक
आगजनी ..	९	१७	८९ प्रतिशत अधिक
चाकूबाजी ..	१०६	१२९	२२ प्रतिशत अधिक
गिरहकटी ..	९६	१२७	३२ प्रतिशत अधिक
बलवा ..	१६१	१८७	१६ प्रतिशत अधिक

२७ जून, १९७३ से ११ दिसम्बर, १९७३ तक की अवधि में श्री जमुना नारायण अवस्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर तथा १३ दिसम्बर, १९७३ से २९ मई, १९७४ तक की अवधि में श्री सुभाष चन्द्र मुखर्जी वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, कानपुर रहे।

जून, १९७४ से २० जून १९७४ तक ११ डकैतों के गिरोहों का सफाया किया गया। इन डकैतों में से कुछ बहुत शातिर सक्रिय डकैत थे जिनके पास से भारी मात्रा में अग्नेयास्त्र बरामद हुए। जुआड़ियों के बड़े अड्डों का पता लगाकर १५ कुख्यात जुआड़ियों को बन्दी बनाया गया और फड़ पर से ४००० रु० बरामद किया गया। गुण्डों के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप १८० कुख्यात गुंडे बन्दी बनाकर जेल भेजे गये।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर) ।

बदायूं जनपद में वर्ष १९७२–७३, १९७३–७४ एवं ३१–५–१९७४ तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम
१	गोंठा	२	खेड़ा नवादा
३	मवातीपुर	४	आसफपुर
५	सिखरका	६	मिर्जापुर बेहटा
७	शीश महल बिसायी	८	फैजगंज
९	मुन्डिया	१०	बेहटा पाठक
११	मोहकमपुर	१२	मन्नूनगर
१३	भंगाल	१४	बरांर
१५	लखनपुर	१६	विनावर
१७	मकुवरगांव	१८	मीरासराय
१९	नगला सरकी	२०	इस्लामनगर
२१	रसूलपुर	२२	रमजानपुर
२३	हथरा	२४	अपरासी
२५	सिलहरी	२६	अलापुर
२७	ककराला	२८	पापड़
२९	सराय	३०	डहरपुर
३१	वीरनपुर	३२	बक्सेना
३३	जमालपुर	३४	वेहटा माधों
३५	दातागंज	३६	उसांवा
३७	गूरा	३८	बलेलनगर
३९	मियाऊं	४०	उसहेत
४१	महाजी	४२	मांजपुर
४३	पिश्नहारी	४४	रतनपुर
४५	डफतरा	४६	बुथ बाजार बिसोली
४७	डिसोली गंज	४८	सराय बरोलिया
४९	कोर मानकपुर	५०	उझानी
५१	अठौली	५२	कुरऊ
५३	हजरतगंज	५४	छतुइया
५५	संजरपुर	५६	कछला
५७	बाराचेरा	५८	सदाठरें
५९	अब्दुलागंज	६०	बदनामी
६१	बिल्सी	६२	सहसवान
६३	हवेतपुर	६४	दुधौनी
६५	बेरमई	६६	वितरोई
६७	अहरवारा	६८	गुंथनी
६९	कोलहाई	७०	बबराला

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम
७१	गुन्नौर	७२	गौतरा
७३	नबीगंज	७४	मन्सा नगला
७५	बमनुपरा	७६	भटौली
७७	जूनामई	७८	रुपापुर
७९	ज्योती धर्मपुर	८०	पुरैनी
८१	कांसी	८२	कहमी
८३	पदमा	८४	इस्लामगंज
८५	चन्दन नगर	८६	गुनौरा वाजिदपुर
८७	नरौरा	८८	खुरमेपुर भमोरी
८९	सईद सराय	९०	अधधरा
९१	पलिया गूजर	९२	नौनामई
९३	रुपा मई,	९४	हरदासपुर
९५	सईद सराय	९६	पुरवा खेड़ा
९७	महोरी	९८	सदरुउद्दीन नगर
९९	रफी नगर	१००	कटी नावरचऊ
१०१	वरसुआ	१०२	निजामपुर

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर)

केराकत तहसील के डोभी, केराकत, मुफ्तीगंज एवं जलालपुर विकास खंडों में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-सं०	हरिजन बस्तियों का नाम	विकास खंड	क्रम-संख्या	हरिजन बस्तियों का नाम	विकास खंड
१	२	३	१	२	३
१	केराकत नाला पार	केराकत	३०	बाराहपुर	डोभी
२	मेहदीताले	,,	३१	जलालपुर ऊदपुर	जलालपुर
३	सराय बीरु	,,	३२	हरपुर	,,
४	अजोरपुर	,,	३३	लालपुर	,,
५	तरीयारी	,,	३४	नीहोरा	,,
६	गोविन्दपुर	,,	३५	रसूलपुर	,,
७	छीतौना	,,	३६	मनहन	,,
८	धरौरा	,,	३७	ईजारी	,,
९	चौकिया	,,	३८	लक्ष्मीपुर	,,
१०	पसेवां	,,	३९	प्रधानपुर	,,
११	सीहोली	,,	४०	मझगवां कला	,,
१२	बसनरी	,,	४१	किसुनदासपुर	,,
१३	खर गसीपुर	,,	४२	रेहाटी	,,
१४	गौसपुर	,,	४३	खुटहना	,,
१५	मनयारी	,,	४४	खालीसपुर खुर्द	,,
१६	बन्धवा	,,	४५	चतरीपुर	,,
१७	भोरा	,,	४६	रामपुर	,,
१८	अकबरपुर	,,	४७	मई	,,
१९	चोरा	,,	४८	मेरहरी (उत्तर)	,,
२०	सोधवां	,,	४९	मेरहरी (दक्षिण)	,,
२१	खेपतपुर	,,	५०	डेरवां	,,
२२	कुसरना	,,	५१	मालीपुर	,,
२३	नरहन	,,	५२	लालपुर	,,
२४	पेसारा	,,	५३	सुल्तानपुर	,,
२५	पीपरी	,,	५४	कोतवालपुर	,,
२६	डोभी बीरी बारी	डोभी	५५	ओईना (उत्तर)	,,
२७	रसरा	,,	५६	ओईना (दक्षिण)	,,
२८	बगेरवां	,,	५७	मझगवां खुर्द	,,
२९	जमुनी बारी	,,			

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ का संलग्नक

वर्ष	जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	जिले से निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण को अग्र-सारित प्रार्थना-पत्रों की संख्या	अनुदान स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या	शेष अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१	२	३	४	५
१९७३–७४	१५२	११२	४०	७२

जो ७२ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये उनके कारण निम्नलिखित हैं:—

१—जिला कार्यालय में प्राप्त होने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण ४७

२—नियमानुसार किसी राजस्व अधिकारी के आय-प्रमाण-पत्र के अभाव में १७

३—अपूर्ण आवेदन-पत्रों की संख्या ३

४—तदर्थ रूप से निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत न आने के कारण .. २

५—न्यूनतम आय के आधार पर अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र .. ३

(पूरे प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये बजट में प्राविधित धनराशि अत्यन्त सीमित होने के कारण प्रत्येक जिले के लिये अनुदान पाने वाली विधवाओं की संख्या निर्धारित करके जिलावार धनराशि वितरण की गई। तदनुसार टेहरी गढ़वाल के लिये निर्धारित कोटा ४० था। न्यूनतम आय के आधार पर ३८ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ५० रुपये मासिक आय के ५ आवेदन-पत्र अब शेष बचे थे, जिनमें से कोटा के अन्तर्गत केवल २ विधवाओं को ही अनुदान दिया जा सकता था। अतः इन ५ प्रार्थिनियों में अधिकतम आश्रितों की संख्या के आधार पर २ को अनुदान स्वीकृत किया गया था)

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

भूतपूर्व विधान मंडल के सदस्यगण एवं मंत्रिपरिषद के जो लखनऊ में सरकारी निवास स्थान का अभी भी उपयोग कर रहे हैं।

(१)	श्री गिरधारी लाल ..	बंगला नं० ३, सरोजनी नायडू मार्ग
(२)	डा० सीताराम	बंगला नं० १, माल एवेन्यू
(३)	श्री धर्म दत्त वैद्य ..	१०, कालिदास मार्ग
(४)	श्री उदित नारायण शर्मा ..	११, गौतम पल्ली
(५)	श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ..	बंगला नं० ४, साउथ एवेन्यू
(६)	श्री जगन प्रसाद रावत ..	४, साउथ एवेन्यू का गेस्ट हाउस
(७)	श्रीमती विद्यावती राठौर ..	६, ओल्ड आई० डी० टी० बिल्डिंग
(८)	श्री ओम प्रकाश सिंह ..	९, " " "
(९)	श्री जयराम वर्मा ..	१, कालिदास मार्ग
(१०)	श्री शिवराज सिंह ..	राजभवन कम्पाउण्ड नं०–१
(११)	श्री गोपी नाथ दीक्षित ..	१२, कालिदास मार्ग
(१२)	श्री राम कृष्ण द्विवेदी ..	फ्लेट नं० ३, राजभवन कम्पाउण्ड।
(१३)	श्री दाऊ दयाल खन्ना ..	" " सी–३१, दिलकुशा कालोनी
(१४)	श्री राम स्वरूप वर्मा ..	बंगला नं० ३, दारुलशफा
(१५)	श्री ए० जी० खेर	बंगला नं० ११, कालिदास मार्ग
(१६)	श्री हबीबुर रहमान नोमानी ..	कक्ष सं० १८८, विधायक निवास–१
(१७)	श्री राम कुमार शास्त्री ..	कक्ष सं० ५ " " ३
(१८)	श्री मंगल देव विशारद ..	कक्ष सं० १०३, " " ४

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

तालिका

(अ) बाराबंकी जनपद में अभियोजन स्टाफ की स्वीकृत संख्या :—

अभियोजन अधिकारी—१

सहायक अभियोजन अधिकारी—७

(ब) बाराबंकी जनपद में तैनात अभियोजन स्टाफ के सम्बन्ध में वांछित विवरण :—

पद	नाम	बाराबंकी में तैनाती की तिथि	१५—६—७४ को बाराबंकी में कार्यकाल की अवधि (वर्षों में)	
				वर्ष
अभियोजन अधिकारी (तत्कालीन पी० पी०)	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	८—७—६८	लगभग	६
सहायक अभियोजन अधिकारी (तत्कालीन ए० पी० पी०)	श्री राम किशोर सेठ	२०—६—६९	,,	५
,,	श्री प्रकाश बाबू	५—६—७१	,,	३
,,	श्री सहज राम सिंह	११—७—७१	,,	३
,,	श्री लाल जी मल्ल	२१—६—७२	,,	२
,,	श्री शीतला प्रसाद सिंह	२८—६—७२	,,	२
,,	श्री शिव अधार पाण्डे	२८—६—७२	,,	२
,,	श्री त्रिभुवन सिंह	२५—३—७३	,,	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स— अभियोजन स्टाफ के स्थानान्तरण सम्बन्धी वांछित विवरण

पद	नाम	कहां से	कहां को	आदेश की तिथि	स्थानान्तरण के अमल में न आने का कारण
अभियोजन अधिकारी (तत्कालीन पी० पी०)	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता ..	बाराबंकी	टेहरी गढ़वाल ..	७–६–७२	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण निरस्त किया गया।
		"	लखनऊ	२४–१२–७३	शिक्षा सत्र की मध्यावधि के कारण स्थानान्तरण निरस्त किया गया।
सहायक अभियोजन (तत्कालीन ए० पी० पी०)	श्री राम किशोर सेठ ..	बाराबंकी	बरेली	२२–५–७२	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण स्थगित किया गया।
	" ..	"	रामपुर	१९–५–७३	प्रतिस्थानी की पत्नी की रामपुर में नौकरी के कारण स्थानान्तरण निरस्त किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

मिर्जापुर जनपद के गांवों की ६५ हरिजन बस्तियों की सूची जिनको मार्च, १९७२ से मार्च, १९७४ तक बिजली दी जा चुकी है।

क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	क्रम संख्या	हरिजन बस्ती का नाम
१	मरूहना	३४	वगहा
२	राजपुर	३५	पचरांव
३	तुलापुर	३६	छपका
४	सवेसर	३७	सीखड़
५	गौरा	३८	जगुआं
६	हरगढ़	३९	कछवा
७	विजयपुर	४०	धैनैता
८	कनौराघाट	४१	वुच्छी
९	देवापर	४२	महुली
१०	धौरुपुर	४३	मिउर पुर
११	कलना	४४	गहिहान
१२	वभनी	४५	जमुई
१३	घटेहरा	४६	खजुरी
१४	मुर्कुरा	४७	शेरवां
१५	मेहुरी	४८	दौलताबाद
१६	चेहरा	४९	बेलहर
१७	काशीसर पट्टी	५०	वरांधा
१८	रामपुर	५१	पंडरी
१९	पसेवरा	५२	भाईपुर
२०	अदलहाट	५३	चितकिला
२१	बरेवां	५४	विच्छी
२२	दिक्षितपुर	५५	मेयर करमानपुर
२३	परसौधा	५६	बहादुरपुर
२४	नवगढ़वा	५७	धारा
२५	विसुनपुरा	५८	मेइना
२६	नकहरा	५९	वनौरा
२७	भरेठा	६०	राजपुर
२८	केलहट	६१	राबर्ट्सगंज
२९	जलालपुर मैदान	६२	परारी
३०	तिलठी	६३	पनकपुर सराय
३१	चील्ह	६४	बारापुर
३२	हिम्मन पट्टी	६५	खसोंव
३३	मचचग		

पी० ए० यू० पी०—ए० पी० १२०वि० सभा०—(१५४८)—१९७५—८३५।

उत्तर प्रदेश सभा